



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022024-251673  
CG-DL-E-01022024-251673

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945

No. 74]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 83(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12 में, उपनियम (3) में, सारणी में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“क्र.सं.	व्यक्ति	शर्त	आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की रीति
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
[I]	व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब	(क) लेखाओं की अधिनियम की धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा की जानी अपेक्षित है	(अ) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा ; या (आ) विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से डाटा पारेषण द्वारा ;
		(ख) जहां किसी व्यक्ति की जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय 80 वर्ष या अधिक आयु का व्यष्टि है और जो प्ररूप संख्यांक सहज (आईटीआर-1) या प्ररूप संख्यांक सुगम (आईटीआर-IV) में विवरणी प्रस्तुत करता है, पूर्व वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन निर्धारणीय कुल आय	(अ) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा ; या (आ) विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से डाटा पारेषण द्वारा ; या (इ) इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी में डाटा पारेषण करके और उसके पश्चात् प्ररूप आईटीआर-V में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करके ; या (ई) कागज प्ररूप ;
		(ग) किसी अन्य दशा में	(आ) विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से डाटा पारेषण द्वारा ; या (इ) इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी में डाटा पारेषण करके और उसके पश्चात् प्ररूप आईटीआर-V में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करके” ;

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट II में,

(क) प्ररूप आईटीआर-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप	आ.क.वि-2	भारतीय आयकर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [ कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए ] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	4	-	2	5

भाग क- साधारण		साधारण						
व्यक्तिगत सूचना	(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं. (पैन)				
	(क6) फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं.	(क7) परिसर/ भवन / गांव का नाम		(क5) प्रास्थिति (सही कानिशा न लगाएँ) <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब				
	(क8) मार्ग / गली / डाकघर	(क14) जन्मतिथि/गठन / तिथि/मास/वर्ष)						
	(क9) क्षेत्र / अवस्थान	(क15) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)						
	(क10) नगर/ शहर/ जिला	(क11) राज्य	(क13) पिन कोड / जिप कोड					(क12) देश
	(क16) निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं./ मोबाईल नं.1			(क17) मोबाईल नं. 2				
	(क18) ई मेल पता -1 (स्वयं का)			(क19) ई मेल पता -2				

फाइलिंग का स्टेटस	(क20क1)	धारा के अधीन दाखिल (सही कानिशा न लगाएँ) कृपया अनुदेश देखिए /	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92 गघ उपांतरित विवरणी <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्				
		या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153 ग				
	(क2)	क्या आप नई कर व्यवस्था का चयन करके धारा 115 खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं (डिफाल्ट रूप में 'नहीं' है? टिप्पण : बाहर निकलने का विकल्प चयन करने के लिए, धारा 139(1) के अधीन विवरणी सहित विकल्प का चयन करना चाहिए।					
	(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]					
	(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)				
	(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)				
	(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)				
	(खiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन निर्धारित शर्तों के अधीन आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिह्न) . हां. नहीं				
	(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तारीख / मास / वर्ष)	/ /				
	(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153 ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19 गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिक नंबर)	/ /			
(ङ)	भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यष्टि के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	अ. निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [ धारा 6(1)(क) ] <input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [ धारा (6)(1)(ग) ] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है ] • आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [ धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क) ]				

			<p>• आप भारत के नागरिक है या भारतीय मूल के व्यक्ति है और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं</p> <p>क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या</p> <p>ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए, यदि कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]</p>									
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<p><input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे है [धारा 6(6)(क)]</p> <p><input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे है [ धारा 6(6)(क)]</p> <p>• आप भारत के नागरिक है, या भारतीय मूल के व्यक्ति है जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है[धारा 6(6)(ग)]</p> <p>• आप भारत के नागरिक है जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख र. के अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभाय नहीं आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण[धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित</p>									
		इ. अनिवासी	<p><input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे</p> <p>(i) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें -</p> <table border="1"> <tr> <td>क्र.स.</td> <td>निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)</td> <td>करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)	1			2		
क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)										
1												
2												
			<p>(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -</p> <table border="1"> <tr> <td>पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</td> <td>पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)							
पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)											
	भारत में निवासीय प्रास्थिति(हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी	<p><input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं</p> <p><input type="checkbox"/> अनिवासी</p>									
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते है (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं										
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं? (सही का निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)											
(ज)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी पंजीकरण प्रदान करें											
(झ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता(एल.ई.आई) ब्यौरे (अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रूपए या अधिक है)											
	एल ई आई सं.		तक वैध है									
(ञ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -											
	(1)	प्रतिनिधि का नाम										
	(2)	प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)										
	(3)	प्रतिनिधि का पता										
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार										

(ट)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -								
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	क्या उसक शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)				
		(ड्राप डाऊन प्रदान किया जाना है)							
(ठ)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे								
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अधिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित शेयर	वर्ष के दौरान अंतरित शेयर	अंतिम अधिशेष		

	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	
1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरे)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
विवरण	नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)
	नियोजक का पता		नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)
	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)		1
क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)		1क
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)		1ख
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)		1ग
	घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		1घ
	ङ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		1ङ
	च किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।		1च
(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)			
2	कुल सकल वेतन (सभी नियाजकों से)		2
2क	धारा 89 क के अधीन करायन से राहत के लिए आय का दावा		2क
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)		3
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)		4
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)		5
क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती		5क
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		5ख
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर		5ग
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)		6

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)			
1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
गृह संपत्ति	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता
	I				
	II				
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> किराएदार का नाम यदि किराये पर हो।		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो					
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में					
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					

क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य	1क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च	
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)	1ट	
(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथकतः भरें)			
2	आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *	2	
3	"गृह संपत्ति से आय " शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2i अंक लें)	3	
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।		
टिप्पण	किराएदार का पैना/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-इक के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-इक के अधीन काटा जाता है		

अनुसूची - गछ		पूंजी अभिलाभ						
पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपुंअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)						
	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
		क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का			
			ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii			
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [ यदि (कii), (कi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (कi) लेंगे अन्यथा (कii) लेंगे।	काiii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi			
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
		iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv				
		ग	अतिशेष (काiii - खiv)		1ग			
		घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		1घ			
		ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)		अ1ङ			
		च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्न लिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					
			क्रं सं.	क्रेता (क्रेताओं का नाम)	क्रेता (क्रेताओं का पैना/ आधार संख्या)	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, ज़िप कोड
टिप्पण	पैना/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-इक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
2	इंक्विटि शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इंक्विटि की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ. ॥ के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है							
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य		2क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती						

				i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
				ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
				iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
				iv कुल (i + ii + iii)	खiv		
		ग		अतिशेष (2क - खiv)	2ग		
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ		
		ङ		साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)		अ2ङ	
3				अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)			
		क		एसटीसीजी संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है		अ3क	
		ख		एसटीसीजी संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है		अ3ख	
4				अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से			
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
			क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग		
			ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
			iii	कुल (ग + ii)	क iii		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
			iv	कुल (i + ii + iii)	खiv		
		ग		अतिशेष (4क iii - खiv)	4ग		
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	4घ		
		ङ		च2 (जो अ2 से भिन्न है) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ)		अ4ङ	
5				उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
			क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क		
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग		
			ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
			iii	कुल (ग + ii)	क iii		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		

		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii																																					
		iv कुल (i + ii + iii)	खiv																																					
	ग	अतिशेष (5क iii - खiv)	5ग																																					
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	5घ																																					
	ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूअ (5ग + 5घ)		अ5ङ																																				
	6	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि																																						
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं																																						
		<table border="1"> <tr> <td>क्रम सं.</td> <td>पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है</td> <td>वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है</td> <td>क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)</td> <td>नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है</td> <td>नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>2021-22</td> <td>54ख</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>2022-23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	i	2021-22	54ख				ii	2022-23																								
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि																																			
i	2021-22	54ख																																						
ii	2022-23																																							
	ख	क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि																																						
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + ख)		क6																																				
	7	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क + क7ख + क7ग)		अ7																																				
		<table border="1"> <tr> <td>क</td> <td>15 प्रतिशत की दर से प्रभाय, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास</td> <td>क7क</td> </tr> <tr> <td>ख</td> <td>30 प्रतिशत की दर से प्रभाय, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास</td> <td>क7ख</td> </tr> <tr> <td>ग</td> <td>लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास</td> <td>क7ग</td> </tr> </table>	क	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7क	ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ख	ग	लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ग																													
क	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7क																																						
ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ख																																						
ग	लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ग																																						
	8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु दावा किया गया है कि कर से प्रभाय नहीं है या डीटीएके अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय है																																						
		<table border="1"> <tr> <td>क्रम सं.</td> <td>आय की रकम</td> <td>ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है</td> <td>देश का नाम और कूट</td> <td>धनकक की मद</td> <td>क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)</td> <td>आय-कर अधिनियम की धारा</td> <td>आय-कर अधिनियम के अनुसार दर</td> <td>लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)</td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6)</td> <td>(7)</td> <td>(8)</td> <td>(9)</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	I									II										
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)																																
I																																								
II																																								
	क	डीटीएके अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि दावा किया गया है कि जो कर प्रभाय नहीं है		क8क																																				
	ख	डीटीएके अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि दावा किया गया है कि विशेष दरों पर कर प्रभाय है		क8ख																																				
	9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभाय (क1ङ + क2ङ + क3क + क3ख + क4ङ + क5ङ + क6 + क7 - क8क)		क9																																				
	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)																																						
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)																																						
		संनिर्माण की तारीख	दिन/मास/वर्ष	बिक्री/हस्तांतरण की तारीख																																				
		दिन/मास/वर्ष																																						
		<table border="1"> <tr> <td>क</td> <td>i</td> <td>प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य</td> <td>का</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य</td> <td>काii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।</td> <td>काiii</td> </tr> </table>	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii																										
क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का																																					
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii																																					
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii																																					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती																																						
		i अधिग्रहण की लागत	खi																																					
		ii क सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत	खii क																																					
		ii ख सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत	खii ख																																					
		(क) संशोधन की लागत																																						



		(ख)	संशोधन वर्ष						
		(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत						
		पंक्ति जोड़े							
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii					
		iv	कुल (खiiक + खiiख + खiii)	खiv					
	ग	अतिशेष (कiii - खiv)			1ग				
	घ	धारा 54 / 54ख / 54ङग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			1घ				
	ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)						आ1ङ	
	च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
		क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
		टिप्पण पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-इक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
	2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से							
		क	प्रतिफल का कुल मूल्य				2क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खi		
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii		
		iv	कुल (खi + खii + खiii)				खiv		
	ग	अतिशेष (2क - खiv)			2ग				
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			2घ				
	ङ	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)						आ2ङ	
	3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से							
		क	प्रतिफल का कुल मूल्य				3क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खi		
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii		
		iv	कुल (खi + खii + खiii)				खiv		
	ग	धारा 54ङग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			3ग				
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			3घ				
	ङ	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						आ3ङ	
	4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से							
		क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)				4क		
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				4ख		
	ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)			ख4चघ				
	5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)							
		क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपुंअ				5क		
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				5ख		
	ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)			आ5ग				
	6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)							
		क	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।						
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				ik		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य				iiख		
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)				iiiग		
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				क ii		
		iii	कुल (ik + ii)				क iii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खi		

		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
		iv कुल (खi + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशेष (6क iii - खiv)	6ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6घ			
	ङ	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)		आ 6ङ		
	7	अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से				
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7ख			
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7क - 7ख)		ख7ग		
	8	अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दें)				
	क	विनिर्दिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ	8क			
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख			
	ग	विनिर्दिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8क - 8ख)		आ 8ङ		
	घ	विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना संगणित)	8घ			
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ङ			
	च	विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8घ - 8ङ)		आ 8च		
	9	जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से				
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।				
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख			
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग			
		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii			
		iii कुल (iग + ii)	कiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi			
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशेष (9कiii - खiv)	9ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9घ			
	ङ	उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		आ 9ङ		
	10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं				
		हाँ; नहीं; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)				
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		i	2020-21	54/54च		
		ii	2021-22	54/54ख/54च/54घख		
		iii	2022-23	54/54ख/54च		
	ख	'क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कi + कii + ख)				ख 10
	11	दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे) (ख11क1 + ख11क2 + ख11ख)				ख 11
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			ख11क1	

		धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11क2								
	ख	20 % की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11ख								
	12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु दावा किया गया कि कर के लिए प्रभाय नहीं अथवा डीटीएके अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभाय नहीं									
		क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीएके की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I									
		II									
	क	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीएके अनुसार कर के लिए प्रभाय नहीं	ख12क							ख12क	
	ख	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीएके अनुसार विशिष्ट दरों पर कर के लिए प्रभाय नहीं	ख12ख							ख12ख	
	13									ख13	
	इ1	पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय की पूंजीगत लाभ राशि (क19 + ख13 (यदि हानि तो ख13 को शून्य लिखें))									इ1
	इ2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)									इ2
	इ3	पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (ग1 + ग2)									
	ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना									
		धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए									
	क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		क i	दिन / मास / वर्ष					
		ii	नए आवासीय घर की लागत		क ii						
		iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख		क iii	दिन / मास / वर्ष					
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		क iv						
		(ivक)	निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग)	आईएफएस कोड					
			दिदि/मामा/वाईवाई								
			2								
		v	दावा की गई कटौती की रकम		क v						
	ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		ख i	दिन / मास / वर्ष					
		ii	नई कृषि भूमि की लागत		ख ii						
		iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख		ख iii	दिन / मास / वर्ष					
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		ख iv						
		(ivक)	निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग)	आईएफएस कोड					
			दिदि/मामा/वाईवाई								
		v	दावा की गई कटौती की रकम		ख v						
	ग	धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		ग i	दिन / मास / वर्ष					
		ii	विनिदिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख रुपए से अनधिक)		ग ii						
		iii	विनिधान की तारीख		ग iii	दिन / मास / वर्ष					
		iv	दावा की गई कटौती की रकम		ग iv						
	घ	धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती									
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		घ i	दिन / मास / वर्ष					
		ii	नए आवासीय घर की लागत		घ ii						
		iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख		घ iii	दिन / मास / वर्ष					
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		घ iv						
		(ivक)	निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग)	आईएफएस कोड					
			दिदि/मामा/वाईवाई								
		v	दावा की गई कटौती की रकम		घ v						
	ड	धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)									



ऊ		प्रोद्भव की जानकारी / पूंजी अभिलाभ की रसीद	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
		पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख					
	1.	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
	2.	30% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
	3.	लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
	4.	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3vi से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
	5.	10% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
	6.	20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					
	7.	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3ix से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
	8.	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 16 से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					
<b>टिप्पण ▶</b>		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें					

अनुसूची 112क		एक कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री अथवा निधी उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/इकाई	आईएस आईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटी आर की एलटी सीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

115कघ(1)(ख)(i) ii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया												
क्रम सं.	अर्जित शेयर / इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर / यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्स सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटी आर की एलटी सीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

अनुसूची वीडिए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: ऐसे प्रत्येक संव्यवहार के ब्यारे भरे जाएं जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा (2)56x के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सीजी . का मद संग2 )

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल (क i + क ii)	1क	
	i लाभांश आय धारा 2(22)(ड़) के अधीन	क i	
	ii (i) के अतिरिक्त लाभांश आय	क ii	
	ख ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
	i बचत बैंक से नीचे	खi	
	ii निक्षेप (बैंक/पोस्ट ऑफिस/कापरेटिव) से	खii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	खiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
	v धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
	vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
	viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
	ix अन्य	खix	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ अन्य, सकल (दोड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्तंभ का उल्लेख करें (घi + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
	ङ कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
	क्रं सं.	प्रकृति	राशि
	1	पारिवारिक पेंशन	
	2	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	
	3	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	
	4	धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय पर अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	
	5	पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि	



6	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी			
	यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2कi + 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ एस1 से संबंधित तत्व)	2		
	कi लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2कi		
	कii धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii		
	ख धारा 115खख के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख		
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष	2ग		
	क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ i से घxix का योग)	2घ		
	i अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घ i		
	ik अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घ ik		
	ii सरकार या विदेशी करंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii		
	iii अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii		
	iv धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क(1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv		
	v धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घ v		
	vi धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घ vi		
	vii धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii		
	viii सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii		
	ix धारा 115कग के अधीन प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix		
	X धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x		
	xi निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi		
	xii प्रतिभूतियों (लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii		
	xiii धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii		
	xiv धारा 115खख के अधीन प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv		
	Xv कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	घ xv		
	xvi धारा 115क(1)(अ)(iiकक) के अधीन प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi		
	xvii भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii		

				xviii कार्बन जमा के अंतरण के रूप में -आय धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	घxviii								
				xix अनिवासी भारतीय की निवेश आय -धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घxix								
				Xx किसी एफ आई आई द्वारा प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश के रूप में आय ( धारा 115कख) में निर्दिष्ट यूनिटों के से भिन्न)-धारा 115 कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxx								
		ड		विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावा की गई अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्रापडाउन उपबंधित करें)					2ड				
		च		उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य के रूप में दावा की गई है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)					2च				
				क्रम सं. आय की रकम मद सं. 1 का, 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				I									
				II									
				3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)									
				का	व्यय/कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)						3का		
				कii	धारा 57(i) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1(क) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)						3कii		
				कiiक	धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि						3कiiक		
				कiii	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)						3कiii		
				ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)						3ख		
				ग	योग						3ग		
				4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम								4	
				5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ								5	
				5क धारा 89 क के अधीन करारधान से राहत हेतु आय का दावा								5क	
				6 [1 (डीटीएए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3/का अंक लें)								6	
				7 अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)								7	
				8 दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय									
				क	प्राप्तियां						8क		
				ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन						8ख		
				ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम						8ग		
				घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						8घ		
				ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करें)						8ड		
				9 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)								9	
				10 अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना									
				क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक			
						(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)			
				1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय								
				2	धारा 115खख के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय								
				3	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय								
				4	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न, 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)								

	5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय(जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)						
	6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
	7	धारा 115कगक (1)(क) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
	8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						
	10	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के अधीन राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)						
<b>टिप्पण ▶</b>		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।						

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)			
iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)			
v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)			
vii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)			
viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)			
ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)			
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9viii)			
xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			

Xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
xiii	कुल अग्रनीत हानि छोड़ना (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन		पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा		
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
X	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड से हानि है)	
Xii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रनीत हानि		आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा				
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
	1	2	3	4	5	6
i	2016-17					
ii	2017-18					
iii	2018-19					
iv	2019-20					
v	2020-21					
vi	2021-22					
vii	2022-23					
viii	2023-24					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रनीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
xi	2024-25 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xii)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2x+3x+4x+5x)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6x+7x+8x)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -फड)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि					

अनुसूची- VI क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां			
कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
	क	80ग		ख	80गगग
	ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)
	ङ	80 गगघ(2)		च	80घ(ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)
	छ	80घघ		ज	80घघख80घ(ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)
	झ	80ड		ञ	80डड
	ट	80डडक		ठ	80डडख
	ड	80छ		ढ	80छछ
	ण	80छछक		त	80छछग
2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती				
थ	80थथख		द	80ददख	
ध	80ननक		न	80ननख	
प	80प		पक	80गगज	
पख	ई-फाइलिंग अपयोजित के अनुसार कोई अन्य कटौती				
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से पख का योग)				3

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
		ii				
		iii कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
		i				
	ii					
	iii कुल					
घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	
				कुल संदान		

	i						
	ii						
	iii कुल						
	ड कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची 80छछक		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे					
क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (डाप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा					
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय योग्य रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय			
i							
	(पंक्ति जोड़े)						
	कुल अभिदाय						

अनुसूची 80घघ		आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा					
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैन	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3; पुत्री 4. पिता 5. माता 6. भाई 7. बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)						

अनुसूची 80प		अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा			
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता					

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना	
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115ग(2) के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ " के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कतिपय कटौती	2क
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)	3
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय [(3) का 18.5%] (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना			
1	निर्धारण वर्ष 2024-25 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1			
2	निर्धारण वर्ष 2024-25 (भाग-ख-कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2			
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]	3			
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)				
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)	
I	2013-14				
ii	2014-15				
iii	2015-16				
iv	2016-17				
v	2017-18				
Vi	2018-19				
Vii	2019-20				
Viii	2020-21				
ix	2021-22				
x	2022-23				
xi	2023-24				
xii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 1,2 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)				
xiii	योग				
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का योग]				6

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है							
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या					संबंध	रकम (रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1									
2									
3									

अनुसूची-विशेष आय		विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]				
क्रम सं.	सेक्सन	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का	
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iii)		
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)		
4	112परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)		

5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
6	115कग (बंधपत्रों / जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
7	115कक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
9	115ड विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii)
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)
14क	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क का भाग)
14ख	115खखज (आनलाइन गेम से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क ii)
15	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□	30	(अनुसूची सी.जी का 2ग)
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
20	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	□		(अनुसूची ओ.एस का 2च का भाग)
21	15% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
22	30% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3v का भाग)
23	धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)
24	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii का भाग)
25	20% की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
			कुल	

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)	
1	ब्याज से आय		1
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	
	ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि	iii
	iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)	2
	v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)	
	क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहाँ कृषि भूमि अवस्थित है	
	ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप	
	ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)	
	घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	



छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)						3		
	4	डीटीएके अनुसार कर पर अप्रभार्य दावा की गई आय								
		क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएके की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)		
		I								
		II								
		III	कर से अप्रभार्य दावा किए गए डीटीएके से कुल आय						4	
	5	कर पर दावा किए गए अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)						5		
	6	<b>योग (1+2+3+4+5)</b>						6		

अनुसूची पीटीआई	धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे															
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)				i	गृह संपत्ति										
					ii	पूँजी अभिलाभ										
					क	अल्पकालिक अवधि										
					क।	धारा 111क										
					कii	अन्य										
					ख	दीर्घकालिक अवधि										
					खा	धारा 112क										
					खाii	धारा 112क के अतिरिक्त										
					iii	अन्य स्त्रोत										
					क	लाभांश										
					ख	अन्य										
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी										
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन										
					ख	धारा .....के अधीन										
					ग	धारा.....के अधीन										
					2.					i	गृह संपत्ति					
										ii	पूँजी अभिलाभ					
										क	अल्पकालिक अवधि					
										क।	धारा 111क					
										कii	अन्य					
ख	दीर्घकालिक अवधि															
खा	धारा 112क															
खाii	धारा 112क के अतिरिक्त															
iii	अन्य स्त्रोत															
क	लाभांश															
ख	अन्य															

						<b>iv</b>	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी
						क	धारा <b>10(23चखख)</b> के अधीन
						ख	धारा .....के अधीन
						ग	धारा.....के अधीन
<b>टिप्पण:</b>	इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।						

<b>अनुसूची एफएसआई</b>		<b>भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)</b>							
क्रम सं.	देश का कोड (ई फाइलिंग में उपबंधित डापडाउन प्रदान किया जाना है)	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग ख-न। में शामिल)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।								

<b>अनुसूची टि.आर</b>		<b>भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)</b>				
	1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
			कुल			
	2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(घ) योग का भाग)				2
	3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीए लागू होता है (धारा 91) (1(घ) योग का भाग)				3
	4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4
		क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	हां / नहीं
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।					

<b>अनुसूची वि.आ.</b>		<b>भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा</b>	
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)	



(ii)												
ग 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाप्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाप्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाप्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हैं।												
क्र.सं0	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												

(ii)									
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई								

<b>अनुसूची-5अ</b>		पुरतगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति या पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी			
पति/पत्नी की नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या					
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस की रकम	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूँजी लाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

<b>अनुसूची कठ</b>		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)			
<b>आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे</b>	<b>क</b>	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्रं. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	<b>ख</b>	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्रं. सं.	वर्णन			रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति			
					रकम (लागत) में रुपए
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
	(ख)	शेयर और प्रतिभूति			
(ग)	बीमा पालिसी				
(घ)	दिए गए ऋण और अग्रिम				
(ङ)	हाथ में नकदी				
<b>ग</b>	आस्ति के संबंध में दायित्व (क + ख)				
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें।				

<b>अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन</b>		कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते					
<b>संदाय स्टार्टअप होने पर नियोक्ता का पैना नियोक्ता का डीपीआईआईटी रजिस्ट्रीकरण संख्या</b>							
<b>विवरण</b>							
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं? ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मियों होने से वंचित होने से ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आर्बिटि या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आर्बिटि किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं	चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि  स्तंभ (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8				
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8				
	3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)	
	4	2024-25					

## भाग - ख

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ. सं का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2
	3	पूँजी अभिलाभ	
		क लघु अवधि	
		i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू. अ. का मद ड का 9ii)	कi
		ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू. अ. का मद ड का 9iii)	कii
		iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू. अ. का मद ड का 9iv)	कiii
		iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	कiv
		v कुल लघु अवधि (कi + कii + कiii + कiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv
		ख दीर्घ अवधि	
		i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू. अ. का मद ड का 9vi)	खi
		ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू. अ. का मद ड का 9vii)	खii
		iii डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खiii
		iv कुल दीर्घ अवधि (खi + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv
		ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	3ग
		घ धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का सी2)	3घ
		ङ कुल पूँजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)	3ङ
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची गध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय (अनुसूची गध का 8ड) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ङ+4घ)	5	
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2अनुसूची सीवाईएलए स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के सामने मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का ब और 9-10 के लिए सीमित)	11	
12	कुल आय (9-11)	12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची धझ में स्तंभ (झ) का योग)	13	
14	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)	14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [लागू होगा यदि (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15	
16	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना	
1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित म्रतर कर का 4)	1क
	ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1ग
	घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1ग)	1घ

कर दायित्व की संगणना	2	कुल आय पर संदेय कर					
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क			
			विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2			
		ख	i	भाग Vi-क में कुल कटौती(अनुसूची VI-क का ओ)	2ख		
			ii	कुल आय			
			iii	शुद्ध कृषि आय / रेट दर पर कोई अन्य आय (अनुसूची ई आई का 4)			
			iv	'एग्रीगेट आय' (8+ 9)			
			v	आगे बढ़ाया गये चालू वर्ष का घाटा (अनुसूची सी वाई एल ए के 2viii एवं 3viii का कुल योग)			
		ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]			2ग	
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)			2घ	
	3	धारा 87क के अधीन रिबेट			3		
	4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)			4		
	5	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांति क राहत के बाद अधिभार			
		i	अनुसूची धड़ के 15(ii) के 25%	5i	iक		
		ii	10% या 15% पर लागू (निर्दिष्ट करें)	5ii	iiक		
		ii	अनुसूची धड़ के [(4) - 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर]	5iii			
		i					
		v	कुल (iक + iiक)		5i	v	
	6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)			6		
	7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)			7		
	8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम)			8		
	8क	धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80आई.ए.सी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)			8क		
	8ख	धारा 80 आई.ए.सी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर			8ख		
	8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)			8ग		
	9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)			9		
	10	धारा 115जघ के अधीन मजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)			10		
	11	कर राहत					
		क	धारा 89 (कंपया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11क			
		ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची टीआर का 2)	11ख			
		ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	11ग			
		घ	योग (11क + 11ख + 11ग)		11घ		
	12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			12		
	13	ब्याज और संदेय फीस					
		क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ( धारा 234क)	13क			
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ( धारा 234ख)	13ख			
		ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)	13ग			
		घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	13घ			
		ड	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)		13ड		
	14	संकलित दायित्व (12+ 13ड)			14		
	15	संदत्त कर					
		क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15क			
		ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15ख			
		ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 7(i) का योग)	15ग			
		घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15घ			
		ड	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)		15ड		
	16	संदेय कर (यदि 14, 15ड से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)			16		
	17	प्रतिदाय (यदि 15ड, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)			17		
बैंक खाता	18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।			हां, अथवा नहीं का चयन करें		
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार (ई फाईलिंग द्वारा उपबंधित डापडाउन)	



	i				
	ii				
	नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. बहुविध खातों के मामले में, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
ii	ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:				
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आई.बी.ए.एन
	यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं				
19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				
					□ हां □ नहीं

20	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
अग्रिम/स्वनिर्धारण	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रू.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
iv					
	टिप्पण ▶	भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।			
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [ नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार ]				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या ( टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				

ग	कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16ङ)							
क्र सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन्/आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/किराएदार/केता का पैन्/आधार सं.	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुसूची रिसीट/आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा
	टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौतीकी गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
							आय टीडीएस		आय टीडीएस	पैन/ आधार सं		
i												

घ											
स्त्रोत पर कर संग्रहण का विवरण( टी.सी.एस) [समाहर्ता द्वारा जारी प्रपत्र 27घ के अनुसार]											
क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	समाहर्ता का कर संग्रहण खाता संख्या तथा कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैन( यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	आगे लाया गया अदावाकर टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष की टीसीएस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	
				वित्त वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	राशि बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37 आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)		
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)	
									टी.सी.एस	पैन	
i											
टिप्पणी	कृपया भाग ख-ननझ के 15ग में स्तंभ 7(i) का कुल मांग दर्ज करें										

### सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक \_\_\_\_\_ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें) मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, लागू होगा जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना है)

तारीख	स्थान	यहाँ हस्ताक्षर करें→
-------	-------	----------------------

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम “;”		

(ख) प्ररूप आईटीआर-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप	आकवि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	4	-	2

भाग क- जी.ई.एन		साधारण					
व्यक्तिगत सूचना	(क1) पहला नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अन्तिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं0			
	(क5) फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं.	(क6) परिसर / भवन / ग्राम का नाम		(क14) प्रास्थिति (वैयनित करें) <input checked="" type="checkbox"/>			
	(क7) सड़क / गली / डाक घर	(क8) जन्मतिथि / स्वरूप (तिथि / मास / वर्ष) / /	(क15) व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि (तिथि / मास / वर्ष)				
	(क9) क्षेत्र / अवस्थान	(क16) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)					
	(क10) नगर / शहर / जिला	(क11) राज्य	(क13) पिन कोड / जिप कोड				
		(क12) देश					
	(क16) निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं0 / मोबाइल नं0 1	(क17) मोबाइल नं0 2					
	(क18) ई मेल पता-1 (स्वयं का)	ई मेल पता-2					
	क(19)(क1)	आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख(ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें) 1. 31 जुलाई 2. 31 अक्टूबर 3. 30 नवंबर					
	क(19)(क2)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरण, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्				
फाइल करने की प्रास्थिति		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग				
	(ख)	क) क्या आपने नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग किया है? [विकल्प न चुनने के अभाव में "नहीं"] <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां, लेकिन नियत तारीख से परे (यदि नहीं के अतिरिक्त अन्य विकल्प चुना गया है, तो कृपया फाइल करने की तारीख और प्ररूप 10खड़क की अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें) (यदि हां का चयन किया गया है तो, कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.ई की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)					
		टिप्पण: विकल्प न चुनने के लिए, धारा 193(1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख पर या उससे पूर्व प्ररूप 10-आई.ई में विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए।					
	(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]					
	(गii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)				
	(गiii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?	(यदि हां है तो) रकम (रु)				
	(गiv)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)				
(घ)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं? किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है? (हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
	यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं0 और मूल						

		<b>विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)</b>																				
(ड)		यदि धारा 139(9)/ 142(1)/ 148/ 153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिक नंबर/ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना/ आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अधीन दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें								(यूनिक नंबर)	/	/										
(च)		भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी	<input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा 6(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ दिया, भारतीय जहाजरानी पर कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत में 182 दिनों के लिए थे या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए था इससे अधिक [स्पष्टीकरण धारा 6(1)(ग) का 1(क)] . आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिनों के लिए या उससे अधिक गत वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक; या ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए या उससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक, यदि कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा 6(1)(ग) का 1(ख)]																		
			(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] . आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय i. विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है; तथा ii. भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)] . आप भारत के नागरिक हैं जो धारा 6 के खंड (1) के अधीन अनिवासी नहीं हैं और धारा 6 के खंड (1क) के अधीन भारत का निवासी माना जाता जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा 6(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित																		
			(ग) अनिवासी	<input type="checkbox"/> आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। - क्रम सं.   निवास की अधिकारिता (ओं)   करदाता (ओं) की पहचान संख्या 1       2       (ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें - पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)   पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)																		

	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी
(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ज)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)	
(झ)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारितों द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें	
	(1) प्रतिनिधि का नाम	
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)	
	(3) प्रतिनिधि का पता	
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या	

(ञ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।-
-----	---

		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध		निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)							
(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार है? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
	फर्म का नाम				स्थायी लेखा सं.									
(ठ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साधारण शेयर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
				आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर				वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष		
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयर की संख्या	अर्जन की लागत	शेयर की संख्या	विशेष प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ड)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ढ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिन्ह) ० हां ० नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
(ण)	क्या निर्धारित की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(त)	क्या आप एफ.आई.आई./एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, सेबी पंजीकरण प्रदान करें													
(थ)	विधिक इकाई पहचानने वाला (एल ई आई) ब्यौरा (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या उससे अधिक है)													
	एल ई आई सं.				तक वैध									
लेखा परीक्षा जानकारी	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी है? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
	(क2)	क्या निर्धारित केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कघ / 44कघक / 44खखक / 44खखख के अधीन आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
	(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं आवर्त 1 करोड़ से अधिक नहीं है <input type="checkbox"/> नहीं, आवर्त 10 करोड़ के अधिक है												
	(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं												
	(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं												
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी है? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
		यदि(ख) पर हां चुना जाता है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तें उल्लिखित हैं:												
	(खi)	धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक विक्रय, आवर्त या कुल प्राप्तियां (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/>												
	(खii)	धारा 44कघ/ धारा 44कघक/ धारा 44कड/धारा 44खख में आने वाले निर्धारित लेकिन उपधारणात्मक आधार पर प्रस्थापना करने वाला नहीं है(लागू खंड में चिन्ह लगाएं) <input type="checkbox"/> 44कघ <input type="checkbox"/> 44कघक <input type="checkbox"/> 44कड <input type="checkbox"/> 44खख												
	(खiii)	अन्य (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/>												
(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष)				/ /								

	(2)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/ फर्म)
	(5)	स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या
	(6)	स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) / आधार सं.
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख
	(8)	लेखा परीक्षा की अधिस्वीकृति सं.
	(9)	यूडीआईएन
(घi)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(घii)	यदि (घi) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	. हां . नहीं
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (दि./मा./वर्ष)	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	क्रम सं.	सेक्शन कोड
		तारीख (दिदि / मास / वर्ष)
		पावती सं.
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।	
	अधिनियम और धारा	दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष
		अधिनियम और धारा
		दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष
<b>कारबार की प्रकृति</b>	कारबार या बृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या बृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकल्पों/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कचक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)	
	क्रं0सं0	कोड (कृपया अनुदेश देखें)
	(i)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है
	(ii)	वर्णन
	(iii)	

<b>भाग क – तुलनपत्र</b>	मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का 31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)	
निधियों का उपयोग	1	स्वामी की निधि
	क	स्वामी की पूंजी
	ख	आरक्षित और अधिशेष
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति
	खi	
	ii	पूंजी आरक्षिति
	खii	
	iii	कानुनी आरक्षिति
	खiii	
	iv	कोई अन्य आरक्षिति
खiv		
v	योग (खi + खii + खiii + खiv)	
खv		
ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)	
1ग		
2	ऋण निधियां	
क	प्रतिभूत ऋण	
i	विदेशी मुद्रा ऋण	
क i		
ii	रूप में ऋण	
अ	बैंकों से ऋण	
iiअ		

		आ	अन्य से	iiआ			
		इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ			
		iii	योग (का + iiइ)		काiii		
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अधीन निक्षेप राशि भी है)					
		i	बैंकों से ऋण	खi			
		ii	अन्य से	खii			
		iii	योग (ख i + खii)		खiii		
	ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)				2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व				3	
	4	अग्रिम					
		i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i			
		ii	अन्यों से	ii			
		iii	कुल अग्रिम (i + ii)		4iii		
	5	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii)				5	
	1	स्थिर आस्तियां					
		क	सकल ब्लाक	1क			
		ख	अवक्षयण	1ख			
		ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग			
		घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ			
		ङ	योग (1ग + 1घ)		1ङ		
	2	विनिधान					
		क दीर्घकालिक विनिधान					
		i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का			
		ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii			
		iii	योग (का + काii)		काiii		
		ख अल्पकालिक विनिधान					
		i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi			
		ii	अधिमानी शेयर	खii			
		iii	डिबेंचर	खiii			
		iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv		
		ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)		2 ग		
	3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम					
		क चालू आस्तियां					
		I	बीजक				
			अ भंडार, जिसके अधीन खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ			
			आ कच्ची सामग्री	iआ			
			इ कार्यरत भंडार	iइ			
			ई तैयार माल / व्यापार माल	iई			
			उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ		
		ii	अन्यान्य ऋणी		काii		
		iii	नकद और बैंक अतिशेष				
			अ हस्तगत नकदी	iiiअ			
			आ बैंक के पास अतिशेष	iiiआ			
			इ योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ		
		iv	अन्य चालू आस्तियां		काiv		
		v	कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)		कv		
	ख	ऋण और अग्रिम					

	I	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खi			
		ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii		
		iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii		
		iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खiv)			3ग	
	घ	चालू दायित्व और उपबंध				
		I	चालू दायित्व			
			अ	अन्यान्य लेनदार	iअ	
			आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
			इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ	
			ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध नहीं है	iई	
		उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)			iउ
		ii	उपबंध			
			अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
			आ	छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ	
इ			अन्य उपबंध	iiइ		
ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)			iiई		
iii	योग (iउ + iiई)			घiii		
ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)			3ड		
4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क			
	ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख			
	ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग			
	घ	योग (4क अ 4ख अ 4ग)			4घ	
5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)			5		
कोई लेखा मामला नहीं	6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)				
	क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम			6क	
	ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम			6ख	
	ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम			6ग	
	घ	नकदी बकाया की रकम			6घ	

भाग क - विनिर्माण लेखा		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो)				
1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii		
	iii	कुल (i + ii)			कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी				ग
		घ				घ
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)				
		i	आवक वहन व्यय	i		
ii		विद्युत आर ईंधन	ii			
iii		अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
ड.	कारखाने का उपरी खर्च					
	i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			
	ii	कारखाना किराया और दरें	ii			
	iii	कारखाना बीमा	iii			
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv			



	V	कारखाने का साधारण व्यय	v			
		Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
		Vii	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)			ड.vii
च		विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)			1च	
2		बंद स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i			
		ii	चालू काम	2ii		
			कुल (2i + 2ii)			2
3		माल उत्पाद की लागू- व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)			3	

भाग -क व्यापारिक लेखा।		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)					
व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व					
		क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो				
			l	माल का विक्रय	i		
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
			iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
				क	iiiए		
				ख	iiiड		
				ग	iiic		
			iv	कुल (i + ii + iii ग)		कiv	
			ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति		ख	
			ग	बिक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर			
				i	i		
				ii	ii		
				iii	iii		
			iv	iv			
			v	v			
			vi	vi			
			vii	vii			
			viii	viii			
			ix	कुल (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix	
		घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)		4घ		
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5		
	6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6		
व्यापारिक लेखा के लिए विकलन	7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7		
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)			8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9		
			i	आवक वहन व्यय	9i		
			ii	विद्युत और ईंधन	9ii		
			iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii		
		10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय।				
				i	सीमा शुल्क	10i	
				ii	प्रति शुल्क	10ii	
				iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii	
				iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv	
				v	सेवा कर	10v	
				vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi	
				vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर ( सी जी एस टी)	10vii	
			viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii		
			ix	समेकित माल के वा कर (आई जी एस टी)	10ix		
			X	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x		
			xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi		
			xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
	11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित			11		
	12	कारबार/ वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)			12		
	12क	कई ट्रांजे का कारबार			12क		

12ख		इंटाडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित		12ख		
भाग क-लाभ और हानि		वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)				
लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख)				13
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमिशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	ब्याज आय	iv		
		v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभाय प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
		vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii		
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii		
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix		
		x	कृषि आय	x		
		xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
			क		xiए	
		ख		xiड		
		ग	योग (xiक + xiख)	xic		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)				14xii
लाभ और हानि लेखा से विकलान	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)				15
	16	बर्हिगामी माल भाडा				16
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग				17
	18	विद्युत और ईंधन				18
	19	किराया				19
	20	भवनों की मरम्मत				20
	21	मशीनरी की मरम्मत				21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
		i	वेतन और मजदूरी	22i		
		ii	बोनस	22ii		
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
		v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v		
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii		
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
		x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x		
		xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi
		xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है		22xii	हां / नहीं
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम		22xiii		
	23	बीमा				
		i	चिकित्सा बीमा	23i		
		ii	जीवन बीमा	23ii		
		iii	कीमेन्स बीमा	23iii		
		iv	अन्य बीमा, जिसके अधीन कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv		
		v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
	24	कर्मकार और कर्मचारी वृंद कल्याण संबंधी व्यय				24



		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी के लिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय		i			
		ii	अन्य को		ii			
		iii	कुल (i + ii)				51iii	
कर और विनियोग के लिए उपबंध	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण					52	
	53	करों के पूर्ण शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)					53	
	54	चालू कर के लिए उपबंध					54	
	55	आस्थगित कर का प्रावधान					55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)					56	
	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष					57	
	58	विनियो के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)					58	
	59	आरक्षित और अधिशेष के लिए अंतरित					59	
60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 - 59)					60		
उपधारणात्मक मामले	61	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना						
		क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण	
		(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (iक + iख+ iग) ( 2 करोड़ रू. के लिए सीमित 61i तथापि, यदि, 61iख, के 5% से कम है या समान है 61i के अधीन सीमा 3 करोड़ तक विस्तारित किया जाता है)			61i		
		(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		iक			
		(ख)	कैश में प्राप्ति		iख			
		(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति		iग			
		(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधारणात्मक आय (iiक + iiख)			61ii		
		(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो		iiक			
		(ख)	(61iख+61iग) का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो		iiख			
		टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
	62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधारणात्मक आय की संगणना						
		क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण	
		(i)	सकल प्राप्तियाँ (50 लाख रू. के लिए सीमित 62i तथापि, यदि, 61iख, के 5% से कम है या समान है 61i के अधीन सीमा 5 लाख रू. तक विस्तारित है)			62i		
		(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		iक			
		(ख)	कैश में प्राप्ति		iख			
		(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति		iग			
		(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो )			62ii		
		टिप्पण - यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
	63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधारणात्मक आय की संगणना						
		क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		विवरण	
		क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिटीक टन में)	महानों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधारणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रू0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रू0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

	(क)							
	(ख)							
		कुल						
		आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्योरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)						
	(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग ]					63(ii)	i
		टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व /पट्टे / किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।						

लेखा मामला नहीं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।						
	(i)	कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए						
	क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)				क1		
		1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क1		
		2	कोई अन्य रीति			क2		
	ख	सकल लाभ				कख		
	ग	व्यय				कग		
	घ	शुद्ध लाभ					64i	
	(ii)	वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए						
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)				क1		
		1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क1		
		2	कोई अन्य रीति			क2		
	ख	सकल लाभ						
	ग	व्यय						
	घ	शुद्ध लाभ					64ii	
	(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)					64iii	
	65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत				65i	
		ii	सकल लाभ				65ii	
		iii	खर्च यदि कोई हो				65iii	
		iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)				65iv	

<b>भाग क - अन्य जानकारी</b>		<b>अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो )</b>					
	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद					
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]				3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4) ]				3ख	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति					
अन्य जानकारी	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)					<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)					<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी				4घ	
	ड	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि				4ड	
	5	लाभ और हानि लेखा में जमान की गई रकम, जो निम्नलिखित है--					
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें				5क	

	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोधों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख		
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग		
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
	ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ		
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क + 5ख + 5ग + 5घ + 5ङ)		5च	
6		सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क		
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(iख)]	6ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
	घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ		
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiए)]	6ङ		
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च		
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ		
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज		
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ		
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ		
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vk)]	6ट		
	ठ	इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ		
	ड	इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड		
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ		
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण		
	त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वाबत संयुक्त प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त		
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6थ		
	द	कोई अन्य नामजूरी	6द		
	ध	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)		6ध	
7		धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख		
	ग	कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ		

	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)		7ज	
8	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i क) XVII- ख	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii) ]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (ii क) ]	अच		
	छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अधीन अस्वीकार्य	अज		
	झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)		8अज	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम		8आ	
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अधीन आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7) ]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9) ]	9घ		
	ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)		9च	
10	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	10घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी भुनाने के मद्दे संदेय कोई राशि	10च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ		

	ज	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सुक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)		10झ	
11		पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अनुज्ञेय			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई रकम	11घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुटी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सुक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11झ	
12		निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मुल्य बर्धित कर / विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य करम	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13		धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम		13	
14		धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14	
15		लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15	
16		धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम		16	
17		क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें		17	

## भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टाक	4
	5	कमी / अधिक यदि कोई हो	5
(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में		



		6	कच्ची सामग्री	
		क	आरंभिक स्टाक	6क
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ
		ङ	अंतिम स्टाक	6ङ
		च	प्राप्त तैयार माल	6च
		छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ
		ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज
		7	तैयार माल / उपोत्पाद	
		क	आरंभिक स्टाक	7क
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ
ङ	अंतिम स्टाक	7ङ		
च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च		

## विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा		
वेतन	नियोजक का नाम	नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)	नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
	नियोजक का पता	नगर/ शहर	राज्य	
			पिन कोड / जिले कोड	
	1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)	1	
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क	
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख	
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग	
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ	
	ङ	अधिसूचित देश (घ) के अतिरिक्त के अधीन देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ	
	च	गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय जिसमें धारा 89क के अधीन अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	1च	
		(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)		
	2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)	2	
	2क	धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा	2क	
	3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल)	3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)	4		
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5		
	क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)	6		

## अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)						
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
	I						
	II						
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें))		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I				
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II				
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य					1क
	ख	किराए कौ रकम जो वसूल नहीं की जा सकती					1ख
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					1ग
	घ	योग (1ख + 1ग)					1घ
	ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)					1ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)					1च	
छ	1च का 30%					1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज					1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)					1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया					1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)					1ट	
(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)							
2	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *					2	
3	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें					3	
टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।						
टिप्पण ▶	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-इख के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है						

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना				
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सद्वृत्त कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से				
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))				1
	2क	1 में सम्मिलित सद्वृत्त के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) क्रम सं. 12ख का ट्रेडिंग खाता + क्रम सं. 65iv अनुसूची लाभ और हानि का 65(4)				2क
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)				2ख
	3	क	वेतन			3क
		ख	गृह संपत्ति			3ख
		ग	पूजी अभिलाभ			3ग
घ		अन्य स्रोत			3घ	
ङ		धारा 115खखच अथवा 115खखज के अधीन प्रभार्य अन्य शीर्षों के अधीन आय, लाभ तथा हानि लेख में जमा प्राप्तियां/ आय			3ङ	
च	115खखछ के अधीन			3च		
छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की शुद्ध लागत)			3छ		

4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क		
4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप टाउन)	4ख		
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
	क	फर्मों से आय का अंश	5क	
	ख	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख	
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		i	ग i	
		ii	ग ii	
		iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii
	घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)		5 घ
6	शेष (1-2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3 च - 3 छ - 4क - 4ख - 5 घ)			6
7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभाष्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के अधीन परिकलित आय	क	वेतन	7क
		ख	गृह संपत्ति	7ख
		ग	पूजी अभिलाभ	7ग
		घ	अन्य स्रोत	7घ
		ड	धारा 115खखच के अधीन	7ड
		च	115खखछ के अधीन	7च
		छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	7छ
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है	8क		
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क - अन्य जानकारी का 21)	8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ड + 7च + 7छ + 8क + 8ख)	9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)	10		
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण	11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ड त का स्तंभ 6)	12i	
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii	
	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13		
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6घ)	14		
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)	15		
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)	16		
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)	17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय है (भाग क -ओ आई का 11ज)	18		
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 32कघ/ 32कग/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35कग/ 40 क(3क)/ 33कग/ 72 क/ 80 झझघ/ 80-क के अधीन समझी गई आय	21		

	22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22	
	23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
	24	कोई अन्य आय (जिसके अधीन उस से जिसमें कोई व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है)	24	
	25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25	
	26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
	27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
	28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गघ के अधीन कटौतियों की रकम ( अनुसूची डधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35जगग या धारा 35गघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	28	
	29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	29	
	30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)	30	
	31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	
	32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3ख + 4ड)	32	
	33	कुल (27+28+29+30+31+32)	33	
	34	आय (13+26-33)	34	
	35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -		
		i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii))	35i	
		ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii) )	35ii	
		iii धारा 44कड (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	35iii	
		iv धारा 44ख	35iv	
		v धारा 44खख	35v	
		vi धारा 44खखक	35vi	
		vii धारा 44घक	35vii	(प्ररूप उ ग ड की मद प)
		viii कुल (35i से 35viii)	35viii	
	36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)	36	
	37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हानि के पश्चात् विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ड + 37च)	क 37	
		क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क	
		ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख	
		ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग	
		घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ	
		ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ड	
		च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च	
	38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ड.)]	38	
	आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना		
		39 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)	39	
		40 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	40	
		41 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां	41	

	42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)	ख 42		
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
	43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	43		
	44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	44		
	45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)	45		
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)	46		
	47	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ	47		
	48	अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)	ग 48		
	49	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)	ग 49		
घ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (क 37+ ख 42+ ग 48)				
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय ( यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है )	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजराई के बाद शेष हानि (i - iv)			
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें				

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)				
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	3	धारा 115खकग की उपधारा (3) के दूसरे उपबंध के अनुसार समायोजन (नियम 5 के प्रतिनिर्देश)				
	3	कुल (3क) + (3ख)				
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5	3ख या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन				
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन					
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन					

9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण		अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)							
अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
	13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
	14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
	15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
	16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
	17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)							

18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजा व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)						
आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी						
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागु)	1क					
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागु)	1ख					
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागु)	1ग					
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ					
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)					1ङ	
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)						
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागु)	2क					
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागु)	2ख					
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागु)	2ग					
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))					2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागु)						3
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागु)						4
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू)						5
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)						6

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ						
आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी						
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क					
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख					
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग					
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-20iv)	1घ					
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)					1ङ	
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)						
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क					
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख					
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग					
	घ	योग (2क+2ख+2ग)					2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड क 17v)						3
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)						4
	5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)						5
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)						6

अनुसूची इ.एस.आर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती )		
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4)=(3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiए) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2एए) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ				
पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) ( अनिवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं )				
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से, प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)				
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	
	क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य		क i	
		ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		क ii	
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें ]		क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती		ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख ii	
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख iii	
		iv	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		ख iv	
		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)		ख v	
	ग	शेष (क iii - ख v)			1 ग	
	घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख / 54 छ / 54 झ क (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			1 घ	
	ङ	स्थायर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			क 1 ड	
च	स्थायर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पैन / आधार संख्या	प्रतिशत रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
टिप्पण	पैन / आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।					
2	विक्रय गिरावट से					



	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	(प्ररूप 3 ज डक का 5)	
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख	(प्ररूप 3 ज डक का 6 (ड))	
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2 क - 2 ख)			क 2 ग
3		ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परन्तुक (ऊ॥ के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
	iv	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv		
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v		
	ग	शेष (3 क - ख v)	3 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	3 घ		
	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3 क + 3 घ)			क 3 ड
4		अनिवासी के लिए जो च॥ नहीं है। - किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश की बिक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनिमय के साथ गणना की जाय)			
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी टी जी जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त			क 4 क
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी टी जी जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त नहीं			क 4 ख
5		अनिवासियों के लिए - 115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन से भिन्न,) के विक्रय से			
	क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-		
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	क	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
		ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
	iv	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv		
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v		
	ग	शेष (5 क iii - ख v)	5 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	5 घ		
	ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (उपर क 3 से भिन्न) + 5 घ)			क 5 ड
6		उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें		
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क	

				<b>ख</b>	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	<b>ix</b>					
				<b>ग</b>	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	<b>ig</b>					
				<b>ii</b>	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>क ii</b>					
				<b>iii</b>	कुल (ig + ii)	<b>क iii</b>					
				<b>ख</b>	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
				<b>i</b>	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	<b>ख i</b>					
				<b>ii</b>	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	<b>ख ii</b>					
				<b>iii</b>	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	<b>ख iii</b>					
				<b>iv</b>	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	<b>ख iv</b>					
				<b>v</b>	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	<b>ख v</b>					
				<b>ग</b>	शेष (6क iii - ख v)	<b>6 ग</b>					
				<b>घ</b>	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उद्भूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवलसार्थक मूल्यभरें)	<b>6 घ</b>					
				<b>ङ</b>	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीओसीजी का 6)	<b>6ङ</b>					
				<b>च</b>	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 छ /54 छ क	<b>6च</b>					
				<b>छ</b>	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी	<b>(6ग + 6घ + 6ङ + 6च)</b>	<b>क 6छ</b>				
			<b>7</b>	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							
			<b>क</b>	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं है, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं							
				क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नहीं ई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	नहीं ई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	
				<b>i</b>	2020-21	54 छ /54 छ क					
				<b>ii</b>	2021-22	54ख/54छ/54 छ क					
				<b>ii i</b>	2022-23	54ख/54छ/54 छ क					
				<b>ख</b>	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि						
					लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + xii + xiii + ख )					<b>क 7</b>	<b>क 8</b>
			<b>8</b>	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें) (क 8क + 8कख + क 8ग)							
				<b>क</b>	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य			<b>क 8क</b>			
				<b>ख</b>	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य			<b>क 8ख</b>			
				<b>ग</b>	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य			<b>क 8ग</b>			
			<b>9</b>	एसटीसीजी की रकम जो क 1-क 8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए दावाकृत प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है							

क्रम संख्या	आय की रकम	उपर मद संसे 1 क जिसमें क 8 सै सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डी डीटी एए की वस्तु	संधि के अनुसार दर यदि प्रभार्य नहीं यदि है प्रभार्य नहीं तो शून्य है (दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (9) या (6) के नीचे			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
I												
II												
क	डीटीएए के अधीन एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुल राशि									क 9	क	
ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से दावाकृत प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम									क 9	ख	
10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क)									क 10		
ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 6, 7, 8 और 9 निवासियों में लागू नहीं है )											
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)											
	क्रय अधिग्रहण की तारीख/			तारीख वर्ष/माह/			बिक्री स्थानांतरण की तारीख		तारीख वर्ष/माह/			
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर पूर्ण पूर्ण							क i			
	ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्तिका पूर्ण पूर्ण							क ii			
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क ii) के (क i) से गुणा न होने की दशा में 1.10 इस संख्या को (क i) के रूप में ले या अन्यथा (क ii) लें।							क iii			
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ											
	i	अर्जन की लागत							ख i			
	ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत							ख ii			
	iii	सूचीकरण के साथ सुधार की कुल लागत (क) सुधार की लागत (ख) सुधार वर्ष (ग) सूचीकरण के साथ सुधार लागत पंक्ति सम्मिलित करें							ख			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य रूप से व्यय							ख			
	viii	योग (ख ii क + ख ii ख + ख ii iii)										
ग	शेष (क iii - ख iv)							1 ग				
घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च /54 छ/54 ज क के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)							1 घ				
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)									ख 1	ङ	
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें) देखें टिप्पण											
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड						
	टिप्पण ▶	पैन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194 झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।										

2	विक्रय गिरावट से										
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य			2 क	(प्ररूप 3 गड़क का 5)						
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति			2 ख	(प्ररूप 3 गड़क का 6 ङ)						
ग	शेष (2 क - 2 ख)			2 ग							
घ	धारा 54ङ ग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			2 घ							

		<b>ड</b> गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग - 2 घ)		<b>ख 2 ड</b>
<b>3</b>		<b>बंद पत्र या डिबेंचर से के विक्रय से ( सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंद पत्रों से भिन्न )</b>		
	<b>क</b>	प्रतिकर का पूर्ण पूर्ण	<b>3 क</b>	
	<b>ख</b>	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	<b>i</b>	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	<b>ख i</b>	
	<b>ii</b>	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	<b>ख ii</b>	
	<b>iii</b>	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	<b>ख</b>	
	<b>iv</b>	योग (ख i + ख ii + ख iii)	<b>ख</b>	
	<b>ग</b>	शेष (3 क - ख iv)	<b>3 ग</b>	
	<b>घ</b>	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	<b>3 घ</b>	
	<b>ड</b>	बंद पत्र या डिबेंचर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)		<b>ख 3 ड</b>
<b>4</b>		(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी युनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है ((ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से		
	<b>क</b>	प्रतिकर का पूर्ण पूर्ण	<b>4 क</b>	
	<b>ख</b>	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	<b>i</b>	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	<b>ख i</b>	
	<b>ii</b>	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	<b>ख ii</b>	
	<b>iii</b>	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	<b>ख</b>	
	<b>iv</b>	योग (ख i + ख ii + ख iii)	<b>ख</b>	
	<b>ग</b>	शेष (4 क - ख iv)	<b>4 ग</b>	
	<b>घ</b>	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	<b>4 घ</b>	
	<b>ड</b>	उपर ख 4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 ग - 4 घ)		<b>ख 4 ड</b>
<b>5</b>		किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की बिक्री जिसमें धारा 112 क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है		
	<b>क</b>	धारा 112 क के अधीन एलटीसीजी (अनुसूची 112 क के स्तंभ 14	<b>5 क</b>	
	<b>ख</b>	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	<b>5 ख</b>	
	<b>ग</b>	उपर ख 5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (5 क - 5 ख)		<b>ख 5 ग</b>
<b>6</b>		अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)		
	<b>क</b>	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	<b>6 क</b>	
	<b>ख</b>	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	<b>6 ख</b>	
	<b>ग</b>	शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी (6 क - 6 ख)		<b>ख 6 ग</b>
<b>7</b>		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115 क ग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115 क घ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ ख 8 भरा जाना चाहिए।)		
	<b>क</b>	<b>i</b> प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें		
	<b>क</b>	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	<b>क</b>	
	<b>ख</b>	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	<b>ख</b>	
	<b>ग</b>	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	<b>ग</b>	
	<b>ii</b>	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>क ii</b>	

		iii कुल (ग + ii)	क			
		<b>ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ</b>				
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख			
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii + ख v)	ख			
		ग शेष (क iii - ख v)	7 ग			
		घ धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7 घ			
		इ अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7ग - 7घ)		ख 7इ		
	8	अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनितों या किसी न्यास की यूनितों का विक्रय जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।				
		क धारा 112क के अधीन एलटीसीजी (115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के स्तंभ 14)	8क			
		ख धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख			
		ग ऊपर ख8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख)		ख8ग		
	9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से यदि अध्याय 7क के अधीन विकल्प दिया गया है				
		क विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना की गई)	9 क			
		ख धारा 115च के अधीन कटौती घ टीए (नीचे मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ख			
		ग विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9क - 9ख)		ख 9 ग		
		घ विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी	9 ग			
		इ धारा 115च के अधीन कटौती घ टीए (नीचे मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 इ			
		च विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न नहीं आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9घ - 9इ)		ख 9 च		
	10	उपर जहाँ ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहाँ आस्तियों के विक्रय से				
		क i आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें				
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	क			
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख			
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग			
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क			
		iii कुल (ग + ii)	क			
		<b>ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ</b>				
		i सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत	ख i			
		ii सूचीकरण के साथ उन्नति लागत	ख			
		iii हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	ख			
		iv योग (ख i + ख iii + ख vi + ख vii)	ख			
		ग शेष (10 क iii - ख viii)	10			
		घ धारा 54 घ / 54 च / 54 छ / 54 ज क के अधीन कटौती (मद घमें ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	10 घ			
		इ उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10ग - 10घ)		ख		
	11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				

	क्या नीचे दिखाये गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरा उपलब्ध कराये				
	क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती का दावा किया गया	नहीं आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	नहीं आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं की गई नहीं राशि
	i	2020-21	54/54घ/54च/54छ/54छक		
	ii	2021-22	54/54ख/54घ/54च/54छ/54छक/54छख		
	iii	2022-23	54/54ख/54घ/54छ/54छक		
	ख 'क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल रकम (xi+xii+xiii +ख)				
	12 दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1 +ख12क2+ख12ख)				
	क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			ख12क1
	क2	धारा 112 के अधीन के अतिरिक्त धाराओं के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			ख12क2
	ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य			ख12ख

13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख 1 से ख 12 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए दावाकृत प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है										
	क्रम संख्या	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुल राशि									
	ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से दावाकृत प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम									
	14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड "ख2ड "ख3ड "ख4ड "ख5च + ख6ग "ख7ड "ख8च "ख9ग + ख9च + ख10ड "ख11 + ख12 - ख13क)									
ग1	पूंजी अभिलाभ आय की राशि (9i+9ii+9iii+9iv+9v+9vi+9vii+9viii)										
ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडीए की मद सं. ख)										
ग3	" पूंजी अभिलाभ " शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1 + ग 2) (शून्य के रूप में ख 14 लें यदि हानि है)										
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना										
	1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च /54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें									
	क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष			
	ii	नये आवासीय घर की लागत					क ii				
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष			
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					क iv				

	ivक निक्षेप की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
	दिदि/मामा/वाईवाई			
	v दावाकृत कटौती की रकम		क v	
<b>ख</b>	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती			
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii नये कृषि भूमि की लागत		ख ii	
	iii नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख		ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		ख iv	
	ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
	दिदि/मामा/वाईवाई			
	v दावाकृत कटौती की रकम		ख v	
<b>ग</b>	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत		ग ii	
	iii नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख		ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		ग iv	
	ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
	दिदि/मामा/वाईवाई			
	v दावाकृत कटौती की रकम		ग v	
<b>घ</b>	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती			
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		घ i	दिन/मास/वर्ष
	ii विनिर्दष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम		घ ii	
	iii विनिधान की तारीख		घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv दावाकृत कटौती की रकम		घ iv	
<b>ङ</b>	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती			
	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		ङ i	दिन/मास/वर्ष
	ii नये आवासीय घर की लागत		ङ ii	
	iii नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख		ङ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		ङ iv	
	ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
	दिदि/मामा/वाईवाई			
	v दावाकृत कटौती की रकम		ङ v	
<b>च</b>	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		च i	दिन/मास/वर्ष

		ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चii			
		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष		
		iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चiv			
			ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड		
			दिदि/मामा/वाईवाई				
		v	दावाकृत कटौती की रकम	चv			
	छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती					
		i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छi	दिन/मास/वर्ष		
		ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छii			
		iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छiii	दिन/मास/वर्ष		
		iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छiv			
			ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड		
			दिदि/मामा/वाईवाई				
		v	दावाकृत कटौती की रकम	छv			
	ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)					
i		मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष			
ii		नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii				
iii		विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष			
iv		दावाकृत कटौती की रकम	ज iv				
झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च + 1 छ + 1 ज)				1 झ		

उ	चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)										
	क्रम संख्या.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)	
				15%	30%	लागू दर	डीटीए दरें	10%	20%	डीटीए दरें	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड* + अ4क* + अ8क1* + अ8क2*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड* + आ5ग* + आ7ड* + आ8ग* + आ9ग* + आ12क1 + आ12क2)	(आ1ग* + आ2ड* + आ3ड* + आ6ग* + आ9च* + आ10ड* + आ11* + आ12ख*)	आ1ख		
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड* + अ4क* + अ8क1* + अ8क2*)								





अनुसूची-112क किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता														
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर-3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ.3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक														गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिण्टेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता है	
क्रम सं.	अर्जित शेयर/इकाई	आईएसआई एन कोड	शेयर/इकाई का नाम	शेयर/इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घाविधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटी आर-3 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 8 (क)	
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)	
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जोड़ें															
<b>कुल</b>															

अनुसूची वी.डी.ए							आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण : प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे जिसमें प्रत्येक अंतरण एक संव्यवहार है, भरे जाएंगे
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगे हैं( कारबार/ पूंजी अभिलाभ)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम( हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)	
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	
पंक्तियां जोड़ें							
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि )						(अनुसूची बीपी का मद सं. क 3छ)	
ख. कुल(स्तंभ 7 के कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि )						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग 2 )	

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
i	धारा 2(22)(ड़) के अधीन लाभांश आय	कi	
ii	(ii) के अलावा लाभांश आय	कii	
ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
i	बचत खाते से	खi	
ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii	
iii	आय-कर प्रतिदाय से	खiii	
iv	पास थ्रु आय की प्रकृति की आय में	खiv	
v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्यनिधि में योगदान पर अर्जित ब्याज 10(12)	खv	
vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्यनिधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्यनिधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्यनिधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
ix	अन्य	खix	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घi + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि
	1	परिवार पेंशन	
	2	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	
	3	अधिसूचित देश(2) के अतिरिक्त के अधीन देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	
	4	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।	
	5	पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि	
	6	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती	
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रमसं. 1 से संबंधित)	2	
कi	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभाय	2कi	
कii	धारा 115खख के अधीन प्रभाय ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii	
ख	धारा 115खख के अधीन प्रभाय आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi	
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii	
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii	
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv	

		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटितव्यय आदि	खv		
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
	ग		धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि का संचित शेष		2ग	
		क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	घ		विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घ/ से घxi,xका योग)		2घ	
		i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi		
		िक	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घ ik		
		ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समूहान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii		
		iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii		
		iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv		
		v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv		
		vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi		
		vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii		
		viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त सॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घviii		
		ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix		
		x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx		
		xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi		
		xii	प्रतिभृतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii		
		xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्र या सरकारी प्रतिभृतियों पर एफ आई आई द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiii		
		xiv	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खकक के अधीन प्रभार्य	घxiv		
		xv	कतिपय मामलों में अनाम दान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घxv		
		xvi	धारा 115क(1)(अ)(iiएए) के अधीन प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घxvi		
		xvii	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	घxvii		
		xviii	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घxviii		
		xix	धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभृतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxix		
		xx	अनिवासी भारतीय की विनिधान आय-115डके अधीन प्रभार्य	घxx		
	ड		विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति की पास थु आय (डापडाउन का उपबंध किया जाना है)		2ड	

च	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीएके अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)	2च
---	---	----

क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क से 1घ & 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	डीटीएके की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (2क, 2ख, 2घ, 2ङ एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)								
	क(i) व्यय/कटौतियाँ "ग" में इंदराज के अलावा ( पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)	3क(i)							
	क(ii) धारा 57(ii)क के अधीन कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)	3क(ii)							
	ख अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो)	3ख							
	ग धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज	3ग							
	ग i धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय - कलित राशि	3ग i							
	घ योग	3घ							
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4							
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5							
5क	धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा	5क							
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएके अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलएके 3.37को अंक ले जाए	6							

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) ( 2 + 6 ) ( यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें )	7					
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क प्राप्तियां	8क					
	केवल 8क में प्राप्तिओं के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करें)	8ङ					
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)	9					
10	प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोंतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना						
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	

1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टेबाजी से जीत पर आय						
2	धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय						
3	क्रम सं. 1ए(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						

4	धारा 115क(1)(क)(i)के अधीन, धारा 115क(1)(ए)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)					
6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय					
7	धारा 115कगक (1)(ए) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
9	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के अधीन कराने से राहत के लिए दावा नहीं					
10	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभांश आय					

**टिप्पण** ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें

अनुसूची सी.वाई.एल.ए		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे				
क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टाबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 3)	(अनुसूची ख त की मद ड का का 2v)	(अनुसूची ण द का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची गृह संपत्ति का 3)				
iv	कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का 37)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 3 iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				

x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)				
xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8 ड )				
Xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए		पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे				
क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्त्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)	(टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।)		
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v )	(ख / च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi )	(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii )	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि )			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii )	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि )			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix )	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि )			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि )			
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi )	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि )			



xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख/च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजा हानि)			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजा अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख/च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजा हानि)			
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभाषी अन्य स्तोत्रों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(घुड़ दौड़ों से ख/च हानि)			
Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य स्तोत्रों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रणीत मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सी.एफ.एल			भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे									
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	सट्टेबाजी के कारबार विनिदिष्ट कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि			सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिदिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि	
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग(1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत						
1	2	3	4	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9	10	
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
xii	2021-22											
xiii	2022-23											
xiv	2023-24											
xv	पूर्वतर वर्ष में हानि का कुल											
xvi	अनुसूची बीएफएलए अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)	
xvii	2024-25 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)			(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख42, यदि ve)	(अनुसूची वीपी का ग48, यदि ve))	(2x + 3x + 4x + 5x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(6x + 7x + 8x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि - वीई)	

	xviii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि								
--	-------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची यू डी		धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते						
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आईसीडीएस	लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव			
क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि(रू.)	लाभ में कमी(रू.)	कुल प्रभाव (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)			
III	संनिर्माण सविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X			

अनुसूची - 10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क्र.सं.	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.सं.	कटौती की रकम
	क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 व के उपाबंध क की मद 17)
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 व के उपाबंध क की मद 17)
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)				ग

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान
	i					
	ii					
	iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान
	i					
	ii					
	iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में दान	अन्य रूप में रकम	कुल दान
	i					
ii						
iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (दान संदर्भ संख्या)	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान
i						
ii						
iii						

80छछक अनुसूची ( फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानके ब्यौरे					
क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (डाप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा					
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय योग्य रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय			
i							
	(पंक्ति)						

	जोड़े)			
	कुल अभिदाय			

अनुसूची 80घघ		आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा				
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैना	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3; पुत्री 4. पिता 5. माता 6. भाई 7. बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)					

अनुसूची 80प		अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा		
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता				

अनुसूची द. क		अनुसंधान संगमों को दान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (ii)क) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां दान की पात्र रकम]			
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य रूप में संदान कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				

अनुसूची - 80झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां		
क	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क1 + क2)			ख

अनुसूची-80- झख		धारा 80झख के अधीन कटौतियां			
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियां [धारा 80झख(9)]	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ख	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ग	ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न हैं की दशा में कटौतियां [ धारा 80- झख (11क)]	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

घ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80इख(11 क)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ङ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौतियों (क1 से घ2 का योग)				ङ

अनुसूची-80- झग और 80झड		धारा 80झग और 80झड के अधीन कटौतियों						
धारा 80इख के अधीन कटौतियों	क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियों	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)			
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)			
	ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियों	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)			
			ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)			
	ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियों	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)			
			ग1	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)			
	घ पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियों							
	घक	असम	घक1				उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)
			घक2				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)
	घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1				उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)
			घख2				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)
	घग	मणिपुर	घग 1				उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)
			घग 2				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)
	घघ	मिजोरम	घघ1				उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)
घघ2			उपक्रम संख्या 2				(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)	
घङ	मेघालय	घङ 1	उपक्रम संख्या 1				(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)	
		घङ 2	उपक्रम संख्या 2				(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)	
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1				(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)	
		घच2	उपक्रम संख्या 2				(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)	
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1				(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)	
		घछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का मद 30)				
घज पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियों (घ का 1 से घछ 2 का योग)			घज					
ङ	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौतियों (क + घ + ग + घज)			ङ				

अनुसूची-VI क		अध्याय 6 क के अधीन कटौतियों			
1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
क	80ग		ख	80गगग	
ग	80गगघ(1)		घ	80गगघ (1ख)	
ङ	80गगघ(2)		च	80घ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्राॅप डाउन में ब्यौरा को भरा जाए)	

छ	80घघ		ज	80घघख (ई फाइलिंग प्रोटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा को भरा जाए)		
झ	80ङ		ञ	80ङङ		
ट	80ङङक		ठ	80ङङख		
ड	80छ		ढ	80छछ		
ण	80छछक		णा	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से णा का योग)						1
2	भाग ग - कतिपय आय की बाबत कटौती					
	त	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ख)			
	थ	80- झकख				
	द	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ड)			
	ध	80- झखक				
	न	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग/80झङ का ड)			
	प	80जजक				
	फ	80जजकक	प्रपत्र 10 घक में अनुसूची में क्रम सं. 5/(अiv) + 5//			
	ब	80 थथख				
	भ	80 ददख				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)						2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती					
	i	80 ननक		ii	80ननख	
	iii	80प		iv	80गगज	
	v	ई फाइलिंग प्रोटिलिटी के अनुसार कोई अन्य कटौती				
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii, iii, iv और v का योग)						3
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग)					4

<b>अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर</b>		<b>धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना</b>				
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय				1
	2	धारा 115जग(2) के अनुसार समायोजन				
		क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बाबत कटौतियाँ " अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क		
		ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख		
		ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग		
		घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ		
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)				3
		3क	धारा 115जग(1) के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो			3क
		3ख	धारा 115जग(1) के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय			3ख
	4	धारा 115जग(1) के अधीन देय कर [(9% of (3क) + 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से )				4

<b>अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा</b>		<b>धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना</b>			
1	निर्धारण वर्ष 2024-25 (भाग-ख-टीटीआई कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर				1
2	निर्धारण वर्ष 2024-25 (भाग-ख- टीटीआई कुल कर आय का 2आई) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2

3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3			
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)				
	क्र.सं. निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा	चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)	
		सकल(ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा(ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)	
	I 2013-14				
	ii 2014-15				
	iii 2015-16				
	iv 2016-17				
	V 2017-18				
	Vi 2018-19				
	Vii 2019-20				
	Viii 2020-21				
	ix 2021-22				
	X 2022-23				
	xi 2023-24				
	xii चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2, 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)				
	xiii योग				
5	वर्ष के दौरान धारा 115कघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट	5			
6	पश्चात्त्वर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट	6			

<b>अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय</b>		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल				
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है	
1						
2						
3						

<b>अनुसूची विशेष दर</b>						
विशेष दर	क्रम सं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
	1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			(अनुसूची ओ.एस का 2Aiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2Aiv)
	2	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 5vi क भाग)	
	3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 5vii क भाग)	
	4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 5x क भाग)	
	5	112(1)(ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 5x का भाग)	
	6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 5x का भाग)	
	7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूचि ण ध के 2घix का भाग)	
	7ख	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूचि ण ध के 2घxxi का भाग)	
8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए.के 5x का भाग)		

9	115कघ (प्रतिभृतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
10	115ड (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
11	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)
12	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)
14	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii का भाग)
15क	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ एस के 2क का भाग)
15ख	15खखख (ऑनलाईन गेम में जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ एस के 2क का भाग)
16	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ एस के 2ख का भाग)
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर )			
	क कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीपी का क3छ)
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सीजी का ग2)
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)			
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)
19	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)			
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीपी का 3च)
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयल्टी से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.द के 2घ का भाग)
21	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ एस के 2च का भाग)
22	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्य लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)
23	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्य	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)
24	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 10% की दर से प्रभार्य	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
25	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 10% की दर से प्रभार्य	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)
26	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्य होगा	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)
27	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाउन डाउन दिया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
28	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में डाउन-डाउन दिया जाएगा।)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ एस का 2ड)
			योग	

**अनुसूची-आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं**

फर्म जिनमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं						
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्याक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां / नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii
1							
2							
3							
4							
5							
6	योग						



अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय का ब्योरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)							
1	ब्याज से आय						1		
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii			
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि			iii			
		iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 38)			iv			
		v	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)						
		vi	5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)						
	क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है							
	ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश							
	ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)							
घ	क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)								
3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					3			
	4	डीटीएके अनुसार आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है							
		क्रम सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएके का अनुच्छेद		आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)
		I							
		II							
	III	डीटीएके से कुल आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है					4		
5	कोई और आय कर दावाकृत प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)					5			
6	योग (1+2+3+4+5)					6			

अनुसूची पीटीआई		धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे										
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि (7-8=9)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)				i	गृह संपत्ति					
						ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि					
							क। धारा 111क					
							कii	अन्य				
							ख	दीर्घकालिक अवधि				
							ख। धारा 112क					
							खii	धारा 112क के अलावा अन्य				
						iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश					
						ख	अन्य					
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन					

						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.					i	गृह संपत्ति				
						ii	पूँजी अभिलाभ				
						क	अल्पकालिक अवधि				
						क।	धारा 111क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खii	धारा 112क के अलावा अन्य				
						iii	अन्य स्तौत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
<b>टिप्पण ▶</b> इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।											

<b>अनुसूची टी.पी.एस.ए</b>		ईफाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार- धारा खड 92(2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण									
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है									
		क आतारक्त आयकर 18% या उससे अधिक का दर पर देय होगा									
	2	ख "क" पर 12% की दर से अधिभार									
		ग (क + ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर									
		घ कुल देय अतिरिक्त कर (क + ख + ग)									
	3	भुगतान किए गए कर									
	4	निवल देय कर (2घ-3)									
	5	धारा 92गड (2क) क अनुसार द्वितीयक समायोजन पूरा कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 7 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 8 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 9 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम									
	7	बीएसआर कोड									
8	चालान की क्रम संख्या										
9	जमा की गई राशि										

<b>अनुसूची-आय के विदेशी स्रोत</b>				<b>भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)</b>							
भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र. सं.	देश का कोड (ईफाइलिंग युटिलिटी में)	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - टी आई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी टी ए ए का सुसंगत अनुक्षेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है	

	उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा को भरा जाए)			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
				1			i	वेतन	
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
				योग					
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।									

अनुसूची- टि.आर		भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)				
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
				योग		
	2	उस देश की बाबत जहां डीटीएए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 90 / 90 क ) ( 1 (घ) के योग का भाग )				2
	3	उस देश की बाबत जहां डीटीएए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 91 ) ( 1 (घ) के योग का भाग )				3
	4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें				4
		क	कर प्रतिदाय की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	हां / नहीं
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।						

अनुसूची- वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा										
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण ( अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
आ 2	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख		संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य		अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		
(i)												
(ii)												
ख 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2)	(2 क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)												
(ii)												
ग 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	



**टिप्पण ▶** कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई

अनुसूची 5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी					
पति या पत्नी का नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 44 कख के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक					हाँ/नहीं
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 अ के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 92अ के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक					हाँ/नहीं
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अधीन प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टीडीएस की रकम पर	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टीडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूंजी अभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

अनुसूची क.ठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अधीन से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)					
आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं०	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं०	विवरण			रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
	(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) रु0 में
		(क) बैंक (जिसके अधीन सभी जमा रशियां)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूतियां			
		(ग) बीमा पॉलिसी			
		(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन			
		(ङ) हाथ नकदी			
	ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज			
	क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित का विनिवेश	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(i)					
(ii)					
घ	आस्तियों (क +ख +ग) के संबंध में दायित्व				
टिप्पण ▶	इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।				

अनुसूचि जी.एस.टी		जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना	
जी.एस.टी का ब्यौरा	क्रम सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।	

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन				कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-झकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते				
संदाय स्टार्टअप होने पर नियोक्ता का पैना								
नियोक्ता का डीपीआईआईटी रजिस्ट्रीकरण संख्या								
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7)	
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का करगुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं  यदि हां, तारीख बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं		चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)		
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	4	2024-25						

## भाग - ख

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन (अनुसूची ध का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ	
	i	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क37)	3i
	ii	सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii
iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्थ आय (अनुसूचि ख.त. के 3ड, 3च और 3छ)	3iv	
V	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3v	

4	<b>पूँजी अभिलाभ</b>			
	<b>क</b>	<b>अल्पकालिक</b>		
		<b>i</b>	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि सीजी की मद ड का 9 ii)	<b>क i</b>
		<b>ii</b>	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि सीजी की मद ड का 9 iii)	<b>क ii</b>
		<b>iii</b>	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजी की मद ड का 9iv)	<b>क iii</b>
		<b>iv</b>	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजीके मद ड का 9v)	<b>क iv</b>
		<b>v</b>	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	<b>4क v</b>
	<b>ख</b>	<b>दीर्घकालिक</b>		
		<b>i</b>	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि सीजी की मद ड का 9 vi )	<b>ख i</b>
		<b>ii</b>	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि सीजी की मद ड का 9 vii )	<b>ख ii</b>
		<b>iii</b>	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजीके मद ड का 9 viii)	<b>ख iii</b>
		<b>iv</b>	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे )	<b>4ख i v</b>
	<b>ग</b>	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4ख iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)		<b>4ग</b>
	<b>घ</b>	धारा 115खख के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		<b>4घ</b>
	<b>ङ</b>	कुल पूँजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ)		<b>4ङ</b>
5	<b>अन्य स्रोतों से आय</b>			
	<b>क</b>	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	<b>5 क</b>	
	<b>ख</b>	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय ( अनुसूचि ण ध का 2 )	<b>5 ख</b>	
	<b>ग</b>	घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) ( यदि हानि है तो शून्य भरे )	<b>5 ग</b>	
	<b>घ</b>	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) ( यदि हानि है तो शून्य भरे )		<b>5 घ</b>
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3व + 4ङ + 5 घ)		<b>6</b>	
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii 3xvii और 4xvii का योग)		<b>7</b>	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के स्तंभ 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)		<b>8</b>	
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियाँ (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)		<b>9</b>	
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग + 5ख + 3iv)		<b>10</b>	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है		<b>11</b>	
12	<b>अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ</b>			
	<b>क</b>	अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित]	<b>12 क</b>	
	<b>ख</b>	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	<b>12 ख</b>	
	<b>ग</b>	कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित)	<b>12ग</b>	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)		<b>13</b>	
14	कुल आय (10 -12ग -13)		<b>14</b>	
15	आय जो 14 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)		<b>15</b>	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)		<b>16</b>	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)		<b>17</b>	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ ( अनुसूची गचठ की पंक्ति xvi का योग )		<b>18</b>	
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)		<b>19</b>	



भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना		
कर दायित्व की संगणना	1	क धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)	1क	
		ख (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1ग	
		घ समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर ( 1क + 1ख + 1 ग)	1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर		
		क भाग ख- टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख	
		ग कृषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- टी आई कुल आय का (14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग	
		घ कुल आय पर संदेय कर ( 2क + 2ख- 2ग)	2घ	
		ड धारा 87क के अधीन रिबे ट	2ड	
	च रिबे ट के पश्चात संदेय कर ( 2घ - 2 ड)	2च		
छ अधिभार		उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	2छ
	i	अनुसूची धड़ के 17(ii) का @25 प्रतिशत	2छ i	iक
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	2छ ii	ii क
	iii	अनुसूची एस.आई का 2च- 17(ii) उपर्युक्त 2छ(ii) में संदर्भित आय पर कर)	2छ iii	
	iv	कुल (iक + iiक)		2छiv
ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iii)		2ज	
झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2ज)		2झ	
3	कुल कर संदेय (1घ और 2i से उच्चतर)		3	
3क	धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80 आईएसी (3-3ख) अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर		3क	
3ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) (vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर		3ख	
4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा ( लागू यदि 2i घ से अधिक है ) (अनुसूची एएमटीसी का 5)		4	
5	धारा 115जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)		5	
6	कर राहत			
	क धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क		
	ख धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची टीआर का 2)	6ख		
	ग धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	6ग		
	घ कुल (6क + 6ख + 6ग)		6घ	
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) ( शून्य भरे यदि नकारात्मक है )		7	
8	ब्याज और फीस देय			
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
	ख अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ		
	ड कुल ब्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)		8ड	
9	औसत दायित्व (7 + 8ड)		9	

संदत्त कर	10 संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10 क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10 ख			
	ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7(i))	10 ग			
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17क स्तंभ 5 से)	10 घ			
	ड	संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग + 10घ)	10 ड			
	11	संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	11			
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12			
	13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)	हां या नहीं का चयन करें			
	i.	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)				
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता का प्रकार (ई फाइलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	
	i					
	ii					
	नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. बहुविध खातों के मामले में, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमाम्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।					
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है					
	ii.	ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं				
		क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएन
		1.				
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अधीन किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)			□ हां □ नहीं	

15	यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:				
	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर		
	यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		16		
17	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण ► भाग ख -टीटीआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।				
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	टिप्पण ► कृपया भाग ख - टीटीआई के भाग 10ख में स्तंभ 5 का योग प्रविष्ट करें।				

ग	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ङ के अनुसार]												
क्रम.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 37 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	वर्ष जिसमें आय/परिग्रह दी गई	
							आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस पैन/आधार संख्या				
i													

टिप्पण▶ कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग -ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।

घ	स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)												
टी.सी.एस	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी धारा 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत किया गया अदावकृत टी.सी.एस	चालू वित्तीय वर्ष का टी.सी.एस	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	टी.सी.एस जमा आगे लाया गया					
	(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)		
i													
ii													

टिप्पण▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें।

#### सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूँ कि मैं..... (डाप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ / रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहाँ धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख		स्थान		हस्ताक्षर “;”
-------	--	-------	--	---------------

(ग) प्ररूप आईटीआर-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात. :-

"प्ररूप	आ .क.वि.-5	भारतीय आयकर विवरणी (i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	4	-	2

भाग क-साधारण		साधारण	
व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम		(क2) स्थायी लेखा संख्याक
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हाँ, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,
	(क7)फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं.	(क8)परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)
			(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)
	(क9)सड़क/गली/डाकघर	(क10) क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),
(क11)नगर/शहर/जिला	(क12)राज्य	(क13)पिनकोड/ जिप कोड	
	(क14)देश		
(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं. एसटीडी कोड सहित मोबाईल सं. 1		(क16)मोबाईल सं. 2	
(क17)ई-मेल पता-1		(क18)ई-मेल पता-2	
(क19 का)	आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख(ड्रापडाउन उपबंधित किया जाए) 1. 31 जुलाई 2. 31 अक्टूबर 3. 30 नवंबर		
(फाइल करने की प्रास्थिति)	(क19 काii)	(1) धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएँ) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उस से पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उ(उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।
		(2) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153(ग)
		(3) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		(4) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(ख)	यदि पुनरीक्षित/दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं. और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें/दिन/मास/वर्ष)		
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148/ 153(ग) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें		(यूनिक नंबर)

(घ i)	क्या आपने धारा 115 खकग(6) के अधीन विकल्प प्रयोग करके नई कर रीजिम से बाहर निकलने का विकल्प चुना है?(व्यतक्रम 'नहीं') <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, देय तारीख के भीतर <input type="checkbox"/> हां, लेकिन देय तारीख के पश्चात (यदि नहीं से भिन्न विकल्प चुना जाता है, कृपया फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें तथा प्ररूप 10 झड़क पावती संख्या) टिप्पण: बाहर निकलने का चुनाव करने के लिए, धारा 139(1) के अधीन प्ररूप 10 झड़क में देय तारीख को या से पूर्व विकल्प चुना जाना चाहिए।						
(घ ii)	क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.एफ की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)						
(घ iii)	यदि "नहीं", तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प . नहीं चुना गया . चुना जा रहा. यदि "चुना जा रहा" विकल्प चुना, कृपया पुस्तुत करें	प्रपत्र 10 झच दि/मा/व			पावती क्रमांक:		
(घ iv)	क्या आप धारा 115 खकड के अधीन कराधेय का विकल्प चुनने के लिए नई विनिर्माता सहकारी सोसायटी है, <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हाँ, प्ररूप 10 झचक को फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें तथा पावती संख्या प्रस्तुत करें) टिप्पण: प्ररूप 10 झचक के विकल्प का चुनाव, धारा 139(1)के अधीन विवरणी फाइल करने की देय तारीख को या से पहले प्रयोग किया जाना चाहिए।						
(ड.)	निवास संबंधी  प्रास्थिति (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी						
(च)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तयी सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं						
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें						
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें						
(ट)	क्या आप एमएसएमई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(ठ)	यदि हां तो, कृपया एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान करें।						
(ड)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं						
(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या स्पष्टीकरण (2क) से धारा 9(1) में परिभाषित अनुसार भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति है(एस ई पी) (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या						
(ण)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।						
(त)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा (फाइल की जा रही है ? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--						
	(1)	प्रतिनिधि का नाम					
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन उल्लिखित करें)					
	(3)	प्रतिनिधि का पता					
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या हाँक/ आधार संख्या					
थ	क्या आप फर्म में भागीदार है? (निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें						
	फर्म का नाम			स्थायी लेखा संख्यांक			
द	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है ? (निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें						
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित अंश	वर्ष के दौरान अंतरित अंश	अंत अतिशेष

				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/ क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	
	1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ध विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता(एलईआई) ब्यौरा(अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक है)														
	एलईआई संख्या						तारीख जब तक वैध								
संपरीक्षा जानकारी	क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	क 2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड़/ 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	क2 i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रू. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नआवेर 10 करोड़ से अधिक													
	क2 ii	क2i पर यदि हाँ का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	क 2iii	क2i पर यदि हाँ का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													
	ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए) यदि हाँ का चयन किया जाता है, तो उल्लेख करें कि निम्नलिखित में से किन शर्तों पर:-													
	खi	विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है (निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/>													
	खi i	धारा 44कघ, 44कघक, 44कड़, 44खख के अधीन आने वाला निर्धारिती, किंतु अनुमानित आधार पर आय नहीं पस्तुत कर रहा (लागु धारा पर टिक करें) <input type="checkbox"/> 44कघ <input type="checkbox"/> 44कघक <input type="checkbox"/> 44कड़ <input type="checkbox"/> 44खख													
	खi ii	अन्य (निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/>													
	ग	यदि (ख) हाँ है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखाकार द्वारा की गई है ? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं,													
		(i)	संपरीक्षारिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /												
		(ii)	कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम												
		(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या												
		(iv)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक फर्म)												
	(v)	संपत्तिक/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या													
	(vi)	संपत्तिक/फर्म लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा संख्या)/ आधार संख्या													
	(vii)	लेखा परीक्षारिपोर्ट की तारीख													
	(viii)	संपरीक्षारिपोर्ट की पावती संख्या													
	(ix)	यूडीआईएन													
(घi)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं														
(घi i)	यदि घड़ हाँ है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया	. हाँ . नहीं						लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व			पावती संख्या				
(घi ii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हाँ, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (कृपया अनुदेश देखें)														
	क्रम संख्यांक.			सेक्शन कोड						तारीख (दिन/मास/वर्ष)			पावती संख्या		
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?														

	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/मास)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/मास)					
भागीदार/ सदस्य / न्यास की सूचना	अ.	क्या पूर्व वर्ष के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (संस्था तथा सहकारी बैंकों में प्रबंधन समिति का विवरण) यदि हां तो प्रविष्ट/ सेवानिवृत्त भागीदारों का विवरण प्रदान करें।							
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम	प्रवेश/निवृत्ति	स्थायी लेखा संख्या					
	1.								
	2.								
	आ	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं							
इ.	यदि हां तो एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं								
उ.	क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (एसी संगम या निकाय/एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभार्य नहीं है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं								
	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2024 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक/न्यासी/फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था								
	क्र. सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)	एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)	पूँजी पर ब्याज की दर	संदत्त/संदेय पारिश्रमिक
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है		
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):		
(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)		
	क्र. सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
	(i)			
(ii)				
भाग क- बीएस		31 मार्च, 2024 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)		

निधियों के स्त्रोत	अ	निधियों के स्त्रोत			
	1	भागीदार /सदस्यता निधि			
	क	भागीदार /सदस्यता पूंजी		क	
		आरक्षितियां और अधिशेष			
		i	{पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		खi
		ii	पूंजी आरक्षिति		खii
		iii	कानूनी आरक्षिति		खiii
		iv	कोई अन्य आरक्षिति		खiv
		v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष		खv
	vi	योग (खi+ खii+ खiii+ खiv+ खv)		खvi	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क + खvi)		1ग	
	2	ऋण निधि			
	क	प्रतिभूत ऋण			
		i	विदेशी करेन्सी में ऋण		का
		ii	रूपए में ऋण		
		अ	बैंकों से		iiअ
			आ अन्य से		iiआ
			योग (iiiअ+iiiआ)		iiइ
		iii	कुल प्रतिभूत ऋण (का+ii ई)		कiii
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निकष सहित)			
		i	विदेशी मुद्रा ऋण		का
		ii	रूपया ऋण		
		अ	बैंकों से ऋण		iiअ
			आ आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से		iiआ
		अन्य से	iiइ		
ई		कुल रूपया ऋण (iiअ+iiआ+ii)			iiई
iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (खi + ii घ)		खiii		
ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)		2ग		
3	आस्थगित कर दायित्व		3		
4	अग्रिम				
i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से		i		
	अन्य से		ii		
	कुल अग्रिम (i+ii)		4iii		
5	निधि के स्त्रोत (1ग+2ग+3+4iii)		5		
आ	निधियों का उपयोग				
निधियों का उपयोग	1	नियत आस्तियां			
	क	सकल : ब्लाक		1क	
		अवक्षयण		1ख	
		शुद्ध ब्लॉक (क-ख)		1ग	
		प्रगतिगत कार्य पूंजी		1घ	
		योग (1ग+1घ)		1ङ	
	2	विनिधान			
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
		i	संपत्ति में विनिधान		i
			साम्या लिखत		
		अ	सूचीबद्ध साम्या		iiअ
			आ असूचीबद्ध साम्या		iiआ
		योग		iiइ	



		iii	अधिमानी शेयर	iii		
		iv	सरकारी या न्यास संपत्ति याहाँ	iv		
		v	डिबेंचर या बंधपत्र	v		
		vi	पारस्परिक निधियां	vi		
		vii	अन्य	vii		
		viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)			कviii
	ख		अल्पकालिक विनिधान			
		i	साम्या लिखत			
		अ	सूचीबद्ध साम्या	iअ		
		आ	असूचीबद्ध साम्या	iआ		
			योग	iइ		
		ii	अधिमानी शेयर	ii		
		iii	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii		
		iv	डिबेंचर या बंधपत्र	iv		
		v	पारस्परिक निधियां	v		
		vi	अन्य	vi		
		vii	कुल अल्पकालिक विनिधान (iइ+ii+iii+iv+v+vi)			खvii
		ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम					
	क		चालू आस्तियां			
		i	सूचियां			
		अ	कच्चा माल	iअ		
		आ	प्रगतिगतस्टॉक	iआ		
		इ	तैयार माल	iइ		
		ई	व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	iई		
		उ	भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोगयोग्य	iउ		
		ऊ	खुले औजार	iऊ		
		ए	अन्य	iए		
		ऐ	योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)			iऐ
		ii	विविध देनदार			
		अ	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	iiअ		
		आ	अन्य	iiआ		
			कुल विविध			iiइ
		iii	नकदी और बैंक अतिशेष			
		अ	बैंक में अतिशेष	iiiअ		
		आ	हाथ में नकदी	iiiआ		
			अन्य	iiiइ		
		ई	कुल नकद और नकद समतुल्य (iiiअ+iiiआ+iiiइ)			iiiई
		iv	अन्य चालू आस्तियां			कiv
		v	कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)			कv
	ख		ऋण और अग्रिम			
		i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi		
		ii	निक्षेप, उधार तथा कॉरपरेट अग्रिम और अन्य	खii		
		iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष	खiii		
		iv	योग (खi + खii + खiii)			खiv
		v	खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए है			
		क	कारबार या वृत्ती के प्रयोजन के लिए	वक		

		ख कारबार या वृत्ती के प्रयोजन के लिए नहीं	वख		
	ग	योग (कव+खiv)		3ग	
	घ	विद्यमान दायित्व और			
		i	विद्यमान दायित्व		
		अ	विविध		
		1	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1	
		2	अन्य	2	
		3	योग (1+ 2)	अ3	
		आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
			रण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध	iइ	
		ई	रण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध नहीं	iई	
		उ	अग्रिममें प्राप्त आय	iउ	
		ऊ	अन्य संदेय	iऊ	
		ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)	iए	
		ii	उपबंध		
		अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
		आ	छुट्टी नकदिकरण/अधिवर्षित/उपदान के लिए उपबंध	ii आ	
			अन्य	ii	
		ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)	iiई	
		iii	योग (iउ+ iiई)	घiii	
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)		3ङ	
4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्णव्यय	4क		
	ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
	ग	लाभ और हानि लेखा/ संचति अतिशेष	4ग		
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ	
	5	निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ +4घ)		5	
लेखा नहीं होने की दशा	ग	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ती की नियमित लेखा-बहियाँ नहीं रखी जाती, वहाँ हॉ कारबार या वृत्ती की बाबत 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें			
	1	विविध देनदारों की कुल रकम		ग1	
	2	विविध लेनदारों की कुल रकम		ग2	
	3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम		ग3	
	4	नकद अतिशेष की रकम		ग4	
भाग अ-विनिर्माण लेखा		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)			
1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन				
	क	आरंभिक सूची			
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)	कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)		ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी		ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय(घi + घii + घiii)		घ	
		i	आवक वहन व्यय	i	
		ii	बिजली और ईंधन	ii	
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
	ड.	कारखाना अधिव्यय			
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
		ii	कारखाना किराया और दर	ii	
		iii	कारखाना बीमा	iii	

		iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv		
		v	कारखाना साधारण व्यय	v		
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi		
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		ड.vii	
	च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)			च	
2	अंत स्टॉक					
		i	कच्ची सामग्री	2i		
		ii	प्रगति रत कार्य	2ii		
		योगII (2i + 2ii)		2		
3	उत्पादित माल की लागत -व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)					3

भाग अ- व्यापार लेखा		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा नहीं अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)					
व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व					
		क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)				
			i	माल का विक्रय	i		
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
			iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
			क		iii क		
			ख		iii ख		
			ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग		
			iv	योग (i + ii + iii ग)		कiv	
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख	
		ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर				
			i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
			ii	सेवा कर	ii		
			iii	वैट/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii			
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix		
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ		
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक					5
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग(4घ + 5iv )					6
व्यापार लेखा से विकलन	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक					7
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)					8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)					9
			i	आवक वहन व्यय	i		
			ii	बिजली और ईंधन	ii		
			iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii		
		10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदलत या संदेय शुल्क और कर				
		i	सीमा शुल्क	10i			
		ii	प्रति शुल्क	10ii			
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv			

	<b>v</b>	सेवा कर	<b>10v</b>		
	<b>vi</b>	वैट/विक्रय कर	<b>10vi</b>		
	<b>vii</b>	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	<b>10vii</b>		
	<b>viii</b>	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	<b>10viii</b>		
	<b>ix</b>	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	<b>10ix</b>		
	<b>x</b>	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	<b>10x</b>		
	<b>xi</b>	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	<b>10xi</b>		
	<b>xii</b>	योग ( <b>10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi</b> )	<b>10xii</b>		
<b>11</b>		उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित		<b>11</b>	
<b>12</b>		कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)		<b>12</b>	
<b>12क</b>		इंट्राडे का कारबार का आवर्तन		<b>12क</b>	
<b>12ख</b>		इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित		<b>12ख</b>	

<b>भाग अ-लाभ और हानि</b>		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)			
लाभ और हानि लेखा को जमा	<b>13</b>	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)			<b>13</b>
	<b>14</b>	अन्य आय			
		<b>i</b>	किराया	<b>i</b>	
		<b>ii</b>	कमीशन	<b>ii</b>	
		<b>iii</b>	लाभांश आय	<b>iii</b>	
		<b>iv</b>	ब्याज आय	<b>iv</b>	
		<b>v</b>	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	<b>v</b>	
		<b>vi</b>	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारित प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ (एस टी टी)	<b>vi</b>	
		<b>vii</b>	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	<b>vii</b>	
		<b>viii</b>	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	<b>viii</b>	
		<b>ix</b>	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	<b>ix</b>	
		<b>x</b>	कृषि-आय	<b>x</b>	
		<b>xi</b>	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
			क	<b>xiक</b>	
		ख	<b>xiख</b>		
		ग	योग ( <b>xiक + xiख</b> )	<b>xiग</b>	
	<b>xii</b>	अन्य आय का योग( <b>i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग</b> )			<b>14xii</b>
	<b>15</b>	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग( <b>13+ 14xii</b> )			<b>15</b>
लाभ और हानि लेखा से विकलन	<b>16</b>	जावक भाड़ा व्यय			<b>16</b>
	<b>17</b>	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग			<b>17</b>
	<b>18</b>	बिजली और ईंधन			<b>18</b>
	<b>19</b>	किराया			<b>19</b>
	<b>20</b>	भवन की मरम्मत			<b>20</b>
	<b>21</b>	मशीनरी की मरम्मत			<b>21</b>

<b>22</b>	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	<b>i</b>	वेतन और मजदूरी	<b>22i</b>		
	<b>ii</b>	बोनस	<b>22ii</b>		
	<b>iii</b>	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	<b>22iii</b>		
	<b>iv</b>	छुट्टी नकदीकरण	<b>22iv</b>		
	<b>v</b>	अवकाश यात्रा लाभ	<b>22v</b>		
	<b>vi</b>	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	<b>22vi</b>		
	<b>vii</b>	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	<b>22vii</b>		
	<b>viii</b>	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	<b>22viii</b>		
	<b>ix</b>	किसी अन्य निधि में अभिदाय	<b>22ix</b>		
	<b>x</b>	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	<b>22x</b>		
	<b>xi</b>	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर ( <b>22i</b> का <b>22x</b> योग)			
<b>xii</b>	क्या <b>22xi</b> में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	<b>xii</b> क	हां / नहीं		
	यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	<b>xii</b> ख			
<b>23</b>	बीमा				
<b>i</b>	चिकित्सा बीमा	<b>23i</b>			
<b>ii</b>	जीवन बीमा	<b>23ii</b>			
<b>iii</b>	प्रमुख व्यक्ति बीमा	<b>23iii</b>			
<b>iv</b>	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	<b>23iv</b>			
<b>v</b>	बीमा पर कुल व्यय( <b>23i</b> + <b>23ii</b> + <b>23iii</b> + <b>23iv</b> )			<b>23v</b>	
<b>24</b>	कर्मचारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				<b>24</b>
<b>25</b>	मनोरंजन				<b>25</b>
<b>26</b>	आतिथ्य				<b>26</b>
<b>27</b>	सम्मेलन				<b>27</b>
<b>28</b>	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				<b>28</b>
<b>29</b>	विज्ञापन				<b>29</b>
<b>30</b>	कमीशन				
<b>i</b>	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	<b>i</b>			
<b>ii</b>	अन्यों को	<b>ii</b>			
<b>iii</b>	योग ( <b>i</b> + <b>ii</b> )			<b>30iii</b>	
<b>31</b>	स्वामिस्व				
<b>i</b>	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	<b>i</b>			
<b>ii</b>	अन्यों को	<b>ii</b>			
<b>iii</b>	योग I ( <b>i</b> + <b>ii</b> )			<b>31iii</b>	
<b>32</b>	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				

		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i				
		ii	अन्यों को	ii				
		iii	योग (i + ii)			32iii		
33	होटल, भोजन तथा आवास					33		
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय					34		
35	विदेश यात्रा व्यय					35		
36	प्रवहण व्यय					36		
37	टेलीफोन व्यय					37		
38	अतिथि गृह व्यय					38		
39	क्लब व्यय					39		
40	उत्सव समारोह व्यय					40		
41	छात्रवृत्ति					41		
42	दान					42		
43	संदान					43		
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)							
		i	संघ उत्पाद शुल्क	44i				
		ii	सेवा कर	44ii				
		iii	वेट/विक्रय कर	44iii				
		iv	उप कर	44iv				
		v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v				
		vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi				
		vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii				
		viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii				
		ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix				
		x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x		
45	संपरीक्षा फीस					45		
46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक					46		
47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)							
		i		i				
		ii		ii				
		iii	योग (i + ii)			47iii		
48	अशोध्य ऋण ( उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)							
		i(1)				48i(1)		
		i(2)				48i(2)		
		i(3)				48i(3)		

		अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग <b>[48i(1)+48i(2)+48i(3)]</b>	<b>48i</b>		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहाँ स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	<b>48ii</b>		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	<b>48iii</b>		
	iv	कुल अशोध ऋण <b>48i + 48ii + 48iii</b>			<b>48iv</b>
	<b>49</b>	अशोध और संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध			<b>49</b>
	<b>50</b>	अन्य उपबंध			<b>50</b>
	<b>51</b>	ब्याज अवक्षयण के पूर्व लाभ और कर <b>[15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]</b>			<b>51</b>
	<b>52</b>	ब्याज			
	i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	<b>i</b>		
	ii	अन्यों को	<b>ii</b>		
	iii	योग (i + ii)			<b>52iii</b>
	<b>53</b>	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			<b>53</b>
	<b>54</b>	करों के पूर्व शुद्ध लाभ <b>(51 - 52iii - 53)</b>			<b>54</b>
कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	<b>55</b>	चालू कर के लिए उपबंध			<b>55</b>
	<b>56</b>	आस्थगित कर का प्रावधान			<b>56</b>
	<b>57</b>	कर के पश्चात् लाभ <b>(54 - 55 - 56)</b>			<b>57</b>
	<b>58</b>	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत अतिशेष			<b>58</b>
	<b>59</b>	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम <b>(57 + 58)</b>			<b>59</b>
	<b>60</b>	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित			<b>60</b>
	<b>61</b>	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रनीत अतिशेष <b>(59 - 60)</b>			<b>61</b>
	उपधारात्मक आय मामले	<b>62</b>	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)		
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
		(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (iक + iख + iग) (62i 2 करोड़ रू तक सीमित है, तथापि यदि 62i ख, 62i के 5% से कम या समतुल्य है तो 62i के अधीन सीमा 3 करोड़ रू तक बढ़ जाती है)		<b>62i</b>
		क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	<b>iक</b>	
		ख	नकद में प्राप्तियां	<b>iख</b>	
		ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति	<b>iग</b>	
		(ii)	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक + iiख)		<b>62ii</b>
		क	<b>62i</b> क का <b>6%</b> या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	<b>iiक</b>	
	ख	<b>(62iख + 62iग)</b> का <b>8%</b> या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	<b>iiख</b>		
		टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है			
<b>63</b>	धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)				

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
(i)	सकल प्राप्तियां (63i, 50 लाख रू तक सीमित है, तथापि यदि 63iख, 63i के 5% से कम या समतुल्य है तो 63i के अधीन सीमा 75 लाख रू तक बढ़ जाती है)		63i
क	खाते में देय चेक या खाते में देय ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिकली निकासी प्रणाली से प्राप्त या विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्राप्त		iक
ख	नकद में प्राप्तियां		iख
ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति		iग
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)		63ii
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है			
64	धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना		
क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता (मी. ट. में)
			मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारित द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया
			माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी. ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)
(क)			
(ख)			
			कुल
यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक )			
(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [ सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]		
(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक		
(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)		
टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।			
65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें		
(i)	कारबार कर रहे निर्धारित के लिए		
ए	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		iक
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1
	2	किसी अन्य ढंग से	क2
ख	सकल लाभ		iख
ग	व्यय		iग
घ	शुद्ध लाभ		65i
(ii)	वृत्तिरत निर्धारित के लिए		
क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		iiक

लेखारहित मामला



		1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
		2	किसी अन्य ढंग से	क2		
		ख	सकल लाभ	iiख		
		ग	व्यय	iiग		
		घ	शुद्ध लाभ			65ii
		(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)			65iii
	66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन			66i
		ii	सकल लाभ			66ii
		iii	व्यय, यदि कोई हो			66iii
		iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)			66iv

भाग क - अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)					
अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति	(चयनित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद				
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चयनित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं				
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ x1(3)]	3क				
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ x1(4)]	3ख				
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति					
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)				<input type="checkbox"/>	
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)				<input type="checkbox"/>	
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हाँ तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)					
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ				
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ				
	5	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई रकम, जो-					
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क				
	ख	प्रोफोर्मा प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख				
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग				
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ				
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ					
च	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई कुल रकम(5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च					
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकालित रकम						
क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क					
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(ख)]	6ख					
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग					
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ					
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii)क]	6ङ					
च	किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च					

छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 गगघ में निदिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारीयों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6 ट	
ठ	डूवंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6 ठ	
ड	डूवंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6 ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6 ढ	
ण	कर्मचारियों के बीच परिवार कल्याण से संवर्धन के प्रयोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6 ण	
त	प्रतिभूतियों से संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है। [36(1)(xv)]	6 त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6 थ	
द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
ध	कोई अन्य अनुज्ञेय	6 ध	
न	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)	6 न	
प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारिती की मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखों में विकालित रकम		
क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणीका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]		
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ	
ज	प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7 ञ	
8	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखों में विकालित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (i क) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहित या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच	

		छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iiड) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
		ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40ख]	अज	
		झ	कोई अन्य अनुज्ञेय	अझ	
		ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अज
	आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम		8आ
	9		धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखे में विकालित रकमें		
		क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
		ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
		ग	उपदान के लिए [40क(7)]	9ग	
		घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, ए ओ पी या ब ओ आइ या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40क(9)]	9घ	
		ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ	
		च	कोई अन्य अनुज्ञेय	9च	
		छ	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(9क और 9ङ का योग)		9 छ
	10		किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम		
		क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
		ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
		ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
		घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
		घक	ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक	
		ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
		च	छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
		छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ	
		ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	10ज	
		झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(10क से 10ज का योग)		10झ
	11		पूर्व वर्ष के लाभ-हानी लेखे में विकालित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम		
		क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
		ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	

	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

	घक	ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	च	छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(11क से 11ज का योग)	11झ		
12		निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम(12क से 12ज का योग)	12झ		
13		धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकम	13		
14		धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम	14		
15		लाभ-हानी लेखे में (शुद्ध) जमा या विकालित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15		
16		धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय व्यय	16		
17		क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें)	17		

भाग क-परिणात्मक ब्यौरे		परिणात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)			
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टॉक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	बंद स्टॉक		4	
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो		5	
	(ख)	विनिर्मान समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
	क	आरंभिक स्टॉक		6क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		6ख	

	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	बंद स्टॉक	6ङ	
	च	प्राप्ति तैयार उत्पाद	6च	
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
	ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
	क	आरंभिक स्टॉक	7क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	बंद स्टॉक	7ङ	
	च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

## विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरे)

<b>अनुसूची गृह संपत्ति</b>		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेश को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डाउन डाउन का उल्लेख करें)				
1	संपत्ति का पता	नगर/शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन नहीं है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)					
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह-स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
	I		क/ आधार संख्या			
II						

/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएँ (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम) यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) / आधार संख्या (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन / टैन / आधार संख्या (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
	I		
II			

क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य	1क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च	
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट	
	(प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विवरण भरे)		
2	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*	2	
3	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 23 का अंक लें)	3	
<b>टिप्पण ▶</b>	यदि धारा 194-ख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।		

अनुसूची - कारबार या वृत्ती		कारबार या वृत्ती से आय की संगणना					
अ	कारबार या वृत्ती से आय	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ती					
		1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकम (भाग क-पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv))	1			
		2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि / लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv ]	2क			
		2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि ( हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख			
		3	115खखच के अधीन प्रभार्य या 115खखछ के अधीन प्रभार्य या 115खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां	क	गृह संपत्ति	3क	
				ख	पूंजी अभिलाभ	3ख	
				ग	अन्य स्त्रोत	3ग	
				गा	लाभांश आय	3गा	
				गा	लाभांश आय के अलावा	3गा	
				घ	धारा 115खखच	3घ	
				ड	धारा 115खखछ	3ड	
		च	धारा 115 खखज के तहत (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	3च			
		4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (डापडाउन का उल्लेख करें)	4क			
		4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख			
		4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (डापडाउन का उल्लेख करें)	4ग			
		5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
		(क)	फर्म/ (फर्मों से आय का अंश	5क			
				(ख)	ए ओ पी /बी ओ पी से आय का अंश	5ख	
						(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय ( प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)
				i	ग i		
ii	ग ii						
iii	योग (ग i + गii)			5ग iii			
(घ)	कुल छूट प्राप्त आय (5क + 5ख + 5गiii)	5घ					
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ड - 3च - 4क - 4ख - 4ग - 5घ)		6				
7	115खखच के अधीन प्रभार्य/115खखछ के अधीन प्रभार्य/ 115 खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क			
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख			
		ग	अन्य स्त्रोत	7ग			
		घ	धारा 115खखच	7घ			
		ड	धारा 115खखछ	7ड			
		च	धारा 115 खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा	7च			
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8क					
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)	8ख					
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ड + 7च + 8क + 8ख)	9					
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10					

11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण	11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)	12i	
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करें आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार)	12ii	
	iii कुल (12i + 12ii)	12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6s)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9छ)	17	
18	(पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय (भाग क -णझ का 11झ)	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35कखक/ 40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित नहीं की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें हानि निर्धारित भागीदार है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नाम डाली गई है ( अनुसूची डधद की मद x(4) (यदि धारा 35या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकमलाभ और हानि खाते के नाम डाली गई रकमसे कम है तो यह मद 24में जाएगी)	28	
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम(भाग क -णझ का 8ख)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10झ)	30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	
32	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)	33	
34	आय (13+26-33)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ती के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ [ अनुसूची का 62(ii)]	35i	
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	35ii	
	iii धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	35iii	
	iv धारा 44ख	35iv	
	v धारा 44खख	35v	
	vi धारा 44खखक	35vi	

	vii	धारा 44घक	35vii		
	viii	धारा 44घख	35viii	(प्ररूप 3 गडकी मद 4)	
	ix	कुल (35i से 35viii)			35vii i
36		सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ती से शुद्ध लाभ या हानि (34+35viii)			36
37		नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हो तो, को लागू करने के पश्चात सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होती है तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को इ में ले जाए) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च)			क 37
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ख		
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ङ		
	च	नियम 7क, 7ख और 8 मद सं. 36के सिवाय आय	37च		
38		वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(37क+37ख+37ग+37घ+37ङ.)]			38
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
39		लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			39
40		धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन			40
41		धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियाँ			41
42		सट्टेबाजी के कारबार से आय ( हानि की दशा में 6xvi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाए)			आ42
		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
43		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			43
44		धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			44
45		धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ ( धारा- (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न , (ii) 32 या 35 जिन पर धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है			45
46		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43+44-45)			46
47		धारा 35 कघ के अनुसार कटौतियाँ (1)			47
48		विनिर्दिष्ट कारबार से आय (46-47) ( हानि की दशा में 7xvi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाए)			इ48
49		धारा 35 कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मैन्यू से चयन किए जाए)			इ49
घ		कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय ( क37+ ख42+ ग48)			घ
ङ		चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे के खाते में डालने के अंतः शीर्ष			
	क्र. सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डाल
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	बट्टे खाते में डाली जानी वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या सकारात्मक)		(क 37)	
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(ख)		
	v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii)			
	vi	बट्टे खाते में डालने के पश्चात शेष हानि (i - v)			



अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)			
1	आस्तियों का ब्लॉक	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3क	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3ख	धारा 115 ख क ग की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अनुसार समायोजन				
3	कुल (3क+3ख)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,				
17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण		अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)						
1	आस्तियों का ब्लॉक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
			5	10	40			
2	दर (%)	कुछ नहीं	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण (10+11)							
13	आयकर अधिनियम (स्तंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,							
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास							
16	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 -3- 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )						
आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क				
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख				
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग				
		घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ				
		ङ	संयंत्र और मशीनरी का पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1ङ			
		2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)					
			क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क			
			ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख			
			ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग			
			घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ			
		3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)				3	
		4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)				4	
		5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)				5	
		6	कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची - डीसीजी		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ						
	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i)	1क				
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख				
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग				

	घ 45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-20iv)	1 घ	
	ङ योग (1क+1ख+1ग+ 1घ)		1ङ
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)		
	क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क	
	ख 10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख	
	ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग	
	घ योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीपीएम 17v)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)		4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)		5
6	योग (1ङ+ 2घ + 3 + 4 + 5 )		6

अनुसूची इएसआर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)		
क्र.स.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकमसे अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
	(1)	(2)		(4)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें।			

अनुसूची-पूँजी अभिलाभ		पूँजी अभिलाभ		
क	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) उप-मद 4 और 5 अनिवासियों के लिए लागू नहीं है)			
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)	क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	
		बिक्री/स्थानांतरण की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	
अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क i
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्तिका मूल्य	क ii
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (कi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (कi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]	क iii
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ	
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii
		iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv
		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v
		ग	तुलन कiii - ख v)	1 ग
घ	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		1 घ	

	<table border="1"> <tr> <td>ड</td> <td>स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)</td> <td>क 1</td> <td>ड</td> </tr> <tr> <td>च</td> <td>स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>क्र.सं.</td> <td>क्रेता(ओं) के नाम</td> <td>क्रेता(ओं) का पैन/आधार संख्या</td> <td>अंश प्रतिशतता</td> <td>राशि</td> <td>संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड</td> <td>पिन कोड</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>टिप्पण</td> <td colspan="3">यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।</td> </tr> </table>	ड	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	क 1	ड	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)				<table border="1"> <tr> <td>क्र.सं.</td> <td>क्रेता(ओं) के नाम</td> <td>क्रेता(ओं) का पैन/आधार संख्या</td> <td>अंश प्रतिशतता</td> <td>राशि</td> <td>संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड</td> <td>पिन कोड</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड										टिप्पण	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।			
ड	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	क 1	ड																													
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)																															
	<table border="1"> <tr> <td>क्र.सं.</td> <td>क्रेता(ओं) के नाम</td> <td>क्रेता(ओं) का पैन/आधार संख्या</td> <td>अंश प्रतिशतता</td> <td>राशि</td> <td>संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड</td> <td>पिन कोड</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड																								
क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड																										
टिप्पण	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।																															
2	<p>स्लम्य बिक्री से</p> <table border="1"> <tr> <td>क</td> <td>i नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य</td> <td>2कi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य</td> <td>2कii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)</td> <td>2कiii</td> </tr> <tr> <td>ख</td> <td>वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य</td> <td>2 ख</td> </tr> <tr> <td>ग</td> <td>स्लम्य की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)</td> <td>क 2</td> <td>ग</td> </tr> </table>	क	i नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi		ii नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii		iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	ग	स्लम्य की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)	क 2	ग															
क	i नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi																														
	ii नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii																														
	iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii																														
ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख																														
ग	स्लम्य की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)	क 2	ग																													
3	<p>ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परन्तुक (एफआईआईके लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है</p> <table border="1"> <tr> <td>क</td> <td>प्रतिफल का पूरा मूल्य</td> <td>3 क</td> </tr> <tr> <td>ख</td> <td>धारा 48 के अधीन कटौतियाँ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी</td> <td>ख i</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत</td> <td>ख ii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत</td> <td>ग iii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय</td> <td>ख iv</td> </tr> <tr> <td></td> <td>v योग (i + ii + iii + iv)</td> <td>ख v</td> </tr> <tr> <td>ग</td> <td>शेष (3 क - ख v)</td> <td>3 ग</td> </tr> <tr> <td>घ</td> <td>धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)</td> <td>3 घ</td> </tr> <tr> <td>ड</td> <td>साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड + 3 घ)</td> <td>क 3</td> <td>ड</td> </tr> </table>	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii		iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv		v योग (i + ii + iii + iv)	ख v	ग	शेष (3 क - ख v)	3 ग	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड + 3 घ)	क 3	ड
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क																														
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ																															
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i																														
	ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii																														
	iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii																														
	iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv																														
	v योग (i + ii + iii + iv)	ख v																														
ग	शेष (3 क - ख v)	3 ग																														
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ																														
ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड + 3 घ)	क 3	ड																													
4	<p>अनिवासियों के लिए जो एफ आ ईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)</p> <table border="1"> <tr> <td>क</td> <td>संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है</td> <td>क 4</td> <td>क</td> </tr> <tr> <td>ख</td> <td>संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है</td> <td>क 4</td> <td>ख</td> </tr> </table>	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है	क 4	क	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है	क 4	ख																							
क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है	क 4	क																													
ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है	क 4	ख																													
5	<p>अनिवासियों की दशा में -धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)</p> <table border="1"> <tr> <td>क</td> <td>i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य</td> <td>क</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य</td> <td>ख</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ग पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25कक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)</td> <td>ग</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य</td> <td>कii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii कुल (ग + ii)</td> <td>कiii</td> </tr> <tr> <td>ख</td> <td>धारा 48 के अधीन कटौतियाँ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी</td> <td>ख i</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत</td> <td>ख ii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत</td> <td>ख iii</td> </tr> </table>	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख		ग पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25कक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग		ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		iii कुल (ग + ii)	कiii	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।																															
	क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क																														
	ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख																														
	ग पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25कक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग																														
	ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii																														
	iii कुल (ग + ii)	कiii																														
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ																															
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i																														
	ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii																														
	iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii																														

		iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्य	ख iv		
		v योग (i + ii + iii + iv)	ख v		
	ग	शेष (5 क iii - ख v)	5 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	5 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ)	क 5 ङ		
6		पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	i विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क		
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25 गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ii ग		
	ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii	कुल (ii + i)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड (iii) नियम 8 कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
	iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्य	ख iv		
	v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v		
	ग	शेष (6 क iii - ख v)	6 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	6 घ		
	ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ङ		
	च	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च		
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग + 6 घ + 6 ङ - 6 च )	क 6 छ		
7		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	क	क्या नीचे दिए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएँ			
	क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
	i	2020-21	54 छ/54 छक		
	ii	2021-22	54 छ/54 छक		
	iii	2022-23	54 छ/54 छक		
	ख	धारा 54 छ/54 छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि			7 ग
					प्रपत्र 5 ग का क्रम सं. 4 ख

		लघुअवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + xii+ xiii+ ख+ग)								क7	
8	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क+क8ख+क8ग)								क8		
	क	लघुअवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य						अ8क			
	ख	लघुअवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य						अ8ख			
	ग	लघुअवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य						अ8ग			
9	क 1 – क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है										
	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आईटी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 से कम)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि								क9	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीजीटी प्रभार्य कर के दावे की कुल रकम								क9	
10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क 8 - क 9क)								क 10		
ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं )										
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्योरे पृथक् रूप से भरें)										
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य					कi			
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					कii			
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किंसी दशा में (कii) (कi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (कi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]					कiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी					ख i			
		ii	अर्जन की लागत					ख ii			
		iiक	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत					ख iiक			
		iiख	सूचीकरण के साथ सुधार की कुल लागत					ख iiख			
			(क) सुधार की लागत								
			(ख) सुधार वर्ष								
			(ग) सूचीकरण के साथ सुधार की लागत								
			पंक्ति सम्मिलित करें								
		iii	पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय					ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)					ख iv			
	ग	शेष (क iii - ख iv)					1 ग				
	घ	धारा 54 डग/ 54 छ/ 54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ				
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)								ख 1	
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)								ड	
		क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य		
	टिप्पण	▶ यदि धारा 194-इक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।									
2	स्लम्प बिक्री से										
	क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2कi			

	ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii	
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii	
	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2ख	
	ग	शेष (2कiii - 2 ख)	2ग	
	घ	धारा 54डग के अधीन कटौती	2घ	
	ड	स्लम्य के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)		
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)			
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)		ख 3ग
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से			

	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)		ख 4 ग	
5	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरों-मुखनिधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से				
	उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची 112 क के कॉलम 14 )			ख5च	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मूद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
	इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी			ख6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से				
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।		
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क	
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख	
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ( क और ख से उच्चतर)	ग	
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)			ख 7 ग

8	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से उपर्युक्त ख8 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14))										ख8च			
	9 आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं													
	क	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।												
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य							क				
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य							ख				
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)							ग				
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य							क ii				
		iii	कुल (ग + ii)							क iii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ											
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत							ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत							ख ii					
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय							ख iii					
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)							ख iv					
	ग	अतिशेष (क iii- खiv)										9 ग		
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54क के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)										9 घ		
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग-घ)										ख 9 ङ		
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि													
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं													
	क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि								
	i	2020-21	54घ/54छ/54क											
	ii	2021-22	54घ/54छ/54क/54क											
	iii	2022-23	54घ/54छ/54क											
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि												
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि										10ग	प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख	
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + xii + xiii + ख + ग)										ख 10		
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय, (अनुसूची तनझ भरे) (आ11क + आ11ख)													
	क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय										आ11क1		
	क2	धारा 112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय										आ11क2		
	ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभाय										आ11ख		
12	ख 1 से ख 11 में अंतर्विष्ट एसटीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभाय होने का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभाय है													
	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 से कम)				



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी दावा की गई दावा की गई अप्रभार्य नहीं कर की कुल राशि									ख12क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी दावा की गई प्रभार्य कर की कुल राशि									ख12ख
13	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9घ + ख 10 + ख 11 - ख 12क)										ख13
ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (क10 + ख13) (ख13 को शून्य लें यदि हानि हो)										ग1
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)										ग2
ग3	"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1+ग2)										ग3
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना										
1	धारा 54घ / धारा 54ड/धारा 54छ / धारा 54क के अधीन कटौती की दशा में हानि निम्नलिखित ब्यौरे दें *										
	क	54 घ के अधीन किया गया कटौती का दावा									
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष			
	ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत					क ii				
	iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष			
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					क iv				
		(ivक) जमा की तारीख		(ivख) लेखा संख्या		(ivग) आई एफ एस कोड					
		दिन/मास/वर्ष									
	v	कम किए गए दावे की रकम					क v				
	ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष			
	ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम					ख ii				
	iii	निवेश की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष			
	iv	कम किए गए दावे की रकम					ख iv				
	ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष			
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय					ग ii				
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष			
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					ग iv				
		(ivक) जमा की तारीख		(ivख) लेखा संख्या		(ivग) आई एफ एस कोड					
		दिन/मास/वर्ष									
	v	कम किए गए दावे की रकम					ग v				
	घ	54क के अधीन कम किया गया दावा									
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					घ i	दिन/मास/वर्ष			
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय					घ ii				
	iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख					घ iii	दिन/मास/वर्ष			
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					घ iv				

			(ivक)	(ivख)	(ivग)							
			जमा की तारीख	लेखा संख्या	आई एफ एस कोड							
			दिन/मास/वर्ष									
		v	कम किए गए दावे की रकम		घv							
		ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)			1 ड						
ड	पूँजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूँजी हानि को चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)											
	क्र.सं	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूँजी अभिलाभ (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ हानि	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ हानि	मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ		9= 1-2-3-4-5-6-7-8)				
				15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	i	मुजराई की जाने वाली पूँजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हो)		(अ 3ड* + अ 4क* + अ 8क*)	अ 5ड* + * + अ 8ख*	(अ 1ड* + अ 2ग* + अ 4ख* + अ 7* + अ 8ग*)	अ 9ख*	आ 4ग* + आ 5* + आ 7ग* + आ 8* + आ 11क1* + आ 11क2*)	(आ 1ग* + आ 2ड* + आ 3ग* + आ 6* + आ 9ड* + आ 10* + आ 1ख)	आ 1ख		
	ii		15%	(अ 3ड* + अ 4क* + अ 8क*)								
	iii		30%	अ 5ड* + अ 8ख*								
	iv	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	लागू दर	(अ 1ड* + अ 2ग* + अ 4ख* + अ 6ख* + अ 7* + अ 8ग*)								
	v		डीटीएए दर	अ 9ख*								
	vi		10%	आ 4ग* + आ 5* + आ 7ग* + आ 8* + आ 11क1* + आ 11क2*)								
	vii	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	20%	(आ 1ग* + आ 2ड* + आ 3ग* + आ 6* + आ 9ड* + आ 10* + आ 1ख)								
	viii		डीटीएए दर	आ 1ख								
	ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)										
	x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)										
	इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।											
	इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।											
च	पूँजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विषय में सूचना											
		पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)			
	1	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएए की मद Svi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो										
	2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएए की मद Svii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो										
	3	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएए की मद Sviii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो										
	4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी लाभ अनुसूची बीएफएए की मद Six से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो										

5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो				
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो				
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				
8	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)				

अनुसूची-112क		किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता													
क्रम सं..	अर्जित शेयर/इकाई	आईएस आईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाई की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्स शनके बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2) (कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटी आर-5 की एलटी सीजी अनुसूची की मद 5 (क)	
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जाई															
<b>कुल</b>															

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिण्टेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं..	अर्जित शेयर/इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाई की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची वी.डी.ए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(ख) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग2)
टिप्पण: जहां प्रत्येक 'हस्तांतरण' संव्यवहार है, प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएंगे						

अनुसूची-अन्य स्त्रोत		अन्य स्त्रोतों से आय		
<b>1</b>	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			<b>1</b>
<b>क</b>	लाभांश, सकल		<b>1क</b>	
	<b>i</b>	धारा 2(22)(ड़) के तहत लाभांश आय	<b>कi</b>	
	<b>ii</b>	(i) के अलावा लाभांश आय	<b>कii</b>	
<b>ख</b>	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)		<b>1ख</b>	
	<b>i</b>	बचत खाता से	<b>खi</b>	
	<b>ii</b>	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	<b>खii</b>	
	<b>iii</b>	आय कर प्रतिदाय से	<b>खiii</b>	
	<b>iv</b>	पास थ्रु आय की प्रकृति की आय/हानिमें	<b>खiv</b>	
	<b>v</b>	अन्य	<b>खv</b>	
<b>ग</b>	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		<b>1ग</b>	
<b>घ</b>	धारा 56(2) (भा) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)		<b>1घ</b>	
	<b>i</b>	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	<b>घi</b>	
	<b>ii</b>	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	<b>घii</b>	
	<b>iii</b>	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	<b>घiii</b>	
	<b>iv</b>	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	<b>घiv</b>	
	<b>v</b>	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	<b>घv</b>	
<b>ङ</b>	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		<b>1ङ</b>	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि	
	<b>1</b>	धारा 56 (2)(xii) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी कारबार न्यास से किसी इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट रकम		
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
<b>2</b>	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क(i) + 2क(ii) + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रमसं.1 से संबंधित)			<b>2</b>
	<b>कi</b>	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़ और कार्ड गेम आदि जीतने से हुई आय	<b>2क</b>	
	<b>कii</b>	धारा 115 खखज के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन गेम जीतने से हुई आय	<b>2कख</b>	
	<b>ख</b>	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	<b>2ख</b>	
	<b>i</b>	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	<b>खi</b>	
	<b>ii</b>	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	<b>खii</b>	
	<b>iii</b>	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	<b>खiii</b>	
	<b>iv</b>	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	<b>खiv</b>	
	<b>v</b>	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	<b>खv</b>	
	<b>vi</b>	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	<b>खvi</b>	
<b>ग</b>	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गi से गxiii का योग)		<b>2 ग</b>	
	<b>i</b>	धारा 115 क (1) क क के परन्तुक से भिन्न धारा 115 क (1) (क) के अधीन प्रभार्य, अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	<b>ग i</b>	
	<b>ik</b>	धारा 115 क (1) (क) के परन्तुक के अधीन प्रभार्य अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या धारा 80 ठफ की उपधारा 1क में यथा निर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के इकाई से किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	<b>ग ik</b>	
	<b>ii</b>	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	<b>ग ii</b>	
	<b>iii</b>	धारा 115क(1)(क)(ik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	<b>ग iii</b>	
	<b>iv</b>	धारा 115क(1)(क)(ikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	<b>ग iv</b>	



6	अन्य स्रोतों से निवल आय 1(डीटीएए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें)	6
---	--	---

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप में दर्ज करें, यदि नकारात्मक)						7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क	प्राप्तियाँ	8क				
	ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11.xiv में आंकड़े भरें)	8ङ				
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएँ)						9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना						
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 ये 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय					
	2	धारा 115 ख ख ज के अधीन ऑनलाइन गेम्स जीतने से हुई आय					
	3	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
	4	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलित)					
	5	धारा 115 क (1)(क)(क) के परन्तुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय					
	6	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय					
	7	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
	8	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलित है)					
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					

<b>अनुसूची सी.वाई.एल.ए</b> चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात आय के ब्यौरे							
चालू वर्ष हानि समायोजन	क्र. सं.	आय का शीर्ष /स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति है। हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
i		हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एच पी का 3)	(अनुसूची बीपी के मद 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	

ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एच पी का 3)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एच पी का क 37)				
iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजीकी मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजीकी मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजीकी मद ड का 9iv)				
x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजीकी मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजीकी मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजीकी मद ड का 9 vii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजीकी मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात शेष हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बी.एफ.एल.ए		पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात आय के ब्यौरे					
अग्रनीत हानि समायोजन	क्र. सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
i		गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(खयदि गृह संपत्तिसे हानि है)			





1	2	3	4	5क	5ख	5गउ5क-5ख	6	7	8	9	10	11
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
Xii	2021-22											
Xiii	2022-23											
Xiv	2023-24											
Xv	पूर्व वर्ष की हानियों का योग ख/ च											
Xvi	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायेजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2i)	(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)					(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)
xvii	2024-25 चालू वर्ष की हानिय		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीएफ का ख42, यदि -iड)	(अनुसूची बीएफ का ग48, यदि -iड)	अनुसूची बीपी का ड(iv) यदि नकारात्मक हो)	(2x+3x+4x+5x) अनुसूचीसीजी के मद ड)	(6x+7x+8x) अनुसूची सीजी के मद ड)			(अनुसूची ओएस का 8इ यदि -iड)
xviii	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)											
Xix	चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत (xvii-xviii)											
xx	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xv-xvi+xix)											

**अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण**
**धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक**

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ या 115 ख क ग (1क) के अधीन कराधान के	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के मोक की रकमकी मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शेष

(1)	(2)	(3)	लिए समायोजित रकम का विकल्प (3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ बढ़ना(रु.)	लाभ घटना(रु.)	शुद्ध प्रभाव(रु.)
1	2	3	4	5
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - गझ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - गझ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	अवशेष औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्रम संख्या	वचनबंध	निर्धारण वर्ष इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन/सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम संख्या	रकम
	क	वचनबंध सं.0 1		क	(प्ररूप 56व के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 1 के लिए
	ख	वचनबंध सं.0 2		ख	(प्ररूप 56व के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 2 के लिए
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियाँ (क+ख)				ड

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे			
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	
				नकद दान	अन्य ढंग से दान
				कुल दान	दान के लिए उपयुक्त रकम
	i				
ii					
iii	कुल				

ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान		
i							
ii							
iii	कुल						
ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान		
i							
ii							
iii	कुल						
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
iii	कुल						
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची 80 छछक		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे					
क्रम संख्या	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (डापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची 80 छछग		राजनैतिक दलों को चंदे का विवरण					
क्र.सं.	दिनांक	चंदे की राशि			चंदे के योग्य राशि	यूपीआई अंतरण या बैंक नंबर के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आईएफएस कोड
		चंदा नकद में	अन्य माध्यम में चंदा	कुल चंदा			
i							
	पंक्ति जोड़ें						
	कुल चंदा						

अनुसूची 80 झकग		योग्य स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (यदि क 19(छ) का उत्तर हां है तभी भरा जाए)				
क्रम संख्या	स्टार्ट-अप के निगमन की तिथि	व्यापार की प्रकृति	अंतर मंत्रीस्तरीय प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

अनुसूची 80ठक अपतटीय बैंकिंग इकाई या आईएफएससी संबंध में कटौती							
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया							
क्रम संख्या	इकाई का प्रकार	इकाई के आय का प्रकार	पंजीकरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	पंजीकरण की तिथि	पंजीकरण संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पंक्ति जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा							
कुल							

अनुसूची आर. ए अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन कटौती)						
	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची-80-झ.क धारा 80- झ.क के अधीन कटौतियाँ					
क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियाँ (अवसंरचना सुविधा)	क1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)				ग

अनुसूची-80-झ.ख धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियाँ					
क	जम्मू कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा 80झख(4)]	क1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		क2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनीज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है। [धारा 80झख(9)]	ख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		ख2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
ग	गृह प्रयोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(10)]	ग1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		ग2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परीक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	घ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		घ2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	ङ 1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		ङ 2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
च	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)				च

अनुसूची-80-झग या 80-झड		धारा 80-झग या धारा 80झड के अधीन कटौतियाँ				
धारा 80-झग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		क1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		क2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		ख1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		ग1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ग1	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				
	घक	असम	घक1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घक2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घख2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घग	मणिपुर	घग1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घग2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घघ	मिजोरम	घघ1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घघ2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घड	मेघालय	घड1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
		घड2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
घच	नागालैंड	घच1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
		घच2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
घछ	त्रिपुरा	घछ1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
		घछ2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)		घज			
ड	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)		ज			

अनुसूची 80त		धारा 80त के अधीन कटौतियाँ		
		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबद्ध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियाँ प्रदाय करने में लगे संचयी सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियाँ			

	प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियाँ।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियाँ			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ड) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची-6क		अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
कुल कटौतियाँ	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80छ	ख	80छछख		
	ग	80छछग				
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)				1	
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	घ	80-झक	(अनुसूची 80-ठक का च)	ड	80-झकख	
	च	80-झकग	(अनुसूची 80-झक का 6)	छ	80-झकख	(अनुसूची 80-झक का ड)
	ज	80-झक		झ	80झग/80झड	(अनुसूची 80 झग/80झड का ड)
	ञ	80ञक		ट	80ञकक	प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5/(Aiv) + 5//
	ठ	80ठक(1)	(अनुसूची 80-ठक का 8)	ड	80ठक(1क)	(अनुसूची 80-ठक का 8)
	ण	80त				
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)				2	
	3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 + 2)			3	

अनुसूची-ए.एम.टी		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना			
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय			1
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख		
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवक्षय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग		
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ		
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग)			3
	क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क		
	ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख		
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति [(3ख) का 18.5% या 15% (3क) का 9% जैसा अनुप्रयोज्य हो] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)			4

अनुसूची ए.एम.टी.सी		धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115 जघ के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 1घ)			1		
2	निर्धारण वर्ष 2024-25 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 4)			2		
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]			3		
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती					
	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
			सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख1) - (ख2)	
	i	2011-12				
	ii	2012-13				
	iii	2013-14				
	iv	2014-15				
	v	2015-16				
	vi	2016-17				
	vii	2017-18				
	viii	2018-19				
	ix	2019-20				
	x	2020-21				
	xi	2021-22				
	Xii	2022-23				
	xiii	2023-24				
	xiv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविष्ट करें)				
	xv	योग				
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]				6	

अनुसूची एसआई		विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)				
क्र.सं.	धारा / विवरण	<input checked="" type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii	
1	111क या धारा 115कघ(1)(ii)- परंतुक (शेयर/इक्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है )	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vi)		
2	115 कघ ( एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहा। एसटीटी का नहीं किया गया है )	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vii)		
3	112 परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी /यूनिट सूचीकर के बिना)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)		
4	112(1)(c)(ii) ( गैर अनिवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी )	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)		
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कखमें निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)		
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंधपत्रों/जीडीआर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)		
7	115 कघ ( प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)		
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी )	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xi)		



9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरोँ अथवा इकाइयोँ की बिक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटीका भुगतान किया जाता है)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)
10	भारत में डीटीएके अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)
11	भारत में डीटीएके अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	□	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग ix)
13ख	115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xxiii)
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2का)
15	115 खखज (ऑनलाइन खेल से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2काii)
16	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)			
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घxvi)
18	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)			
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 7ड)
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2गxvi)
19	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)			
	क कारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)
20	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2गviii)
21	भारत में डीटीएके अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभार्य है	□		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग)
22	15% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	15	(अनुसूची ओ.एस के 5vi का भाग)
23	30% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	30	(अनुसूची ओ.एस के 5vii का भाग)
24	10% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस के 5x का भाग)
25	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5x)
26	20% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	20	(अनुसूची ओ.एस के 5xi का भाग)
27	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)
28	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)
			<b>योग</b>	

अनुसूची आई एफ		भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है						
फर्म जिसमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है							
	क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पैर	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हाँ/नहीं)	क्या फर्म का धारा 92ड लागू होती है (हाँ/नहीं)	फर्म का लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ माहिस्स की रकम	फर्म मू 31 मार्च का पूंजी बकाया
	1						i	ii
	2							
	3							
4	योग							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)					
1	ब्याज से आय						1
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से भिन्न)				i	
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii	

	iii	पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii				
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बी.पी की क्र.सं. 38) से संबंधित कृषि आय अंश	2				
	v	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					
	vi	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
	क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।					
	ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन					
	ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)					
	घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)					
छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय / कृपया विनिर्दिष्ट करें)			3		
	क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10(23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड़) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।	3क				
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें	3ख				
	4	डीटीएके अनुसार दावा किये गए कर से अप्रभार्य आय					
	क्र.सं०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएके का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)
	I						
	II						
	III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीएके से कुल आय					4
	5	कर से अप्रभार्य पास थ्रू आय (अनुसूची पीटीआई)			5		
	6	योग (1+2+3+4+5)			6		

अनुसूची पीटीआई		धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
पास के माध्यम से आय	1.			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				कi	धारा 111क					
				कii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खi	धारा 112क					
				खii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य स्त्रोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					

					ख	धारा .....के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
	2.				i	गृह संपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				
					कii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112क				
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्रोत				
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा .....के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
<b>टिप्पण ▶</b> इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।										

<b>अनुसूची टी.पी.एस.ए</b>		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण									
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)									
	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा									
	2	ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार								
		ग	(क + ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर								
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क + ख + ग)								
	3	भुगतान किए गए कर									
	4	निवल देय कर (2घ-3)									
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)	
	6	बैंक और शाखा का नाम									
		बीएसआर कोड									
8	चालान की क्रम संख्या										
9	जमा की गई राशि										

<b>अनुसूची 115 नघ</b>		धारा 115 नघ के अधीन अनुवृद्धि आय		
1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का संकलित उचित बाजार मूल्य (एफएमवी)	1		
2	घटाए: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2		
3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)	3		

4	(i) धारा 10(1) में निर्देशित आय से सीधे अर्जित आस्तियों का एफएमवी	4i		
	(ii) धारा 12 क ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी, यदि उक्त अवधि के दौरान धारा 11 और 12 के अधीन लाभ का दावा नहीं किया गया है	4 ii		
	(iii) धारा 115 नघ (2) के तीसरे परंतुक के अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का एफएमवी	4 iii		
	(iv) कुल (4i+4ii+4 iii)		4iv	
5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व		5	
6	धारा 115 नघ के अनुसार अर्जित आय [3-4iv-5]		6	
7	धारा 115 नघ के अधीन अधिकतम मर्जिन दर पर अतिरिक्त संदेय आयकर		7	
8	धारा 115 नघ के अधीन संदेय ब्याज		8	
9	धारा 115 नघ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख		9	
10	अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज		10	
11	कर और संदेय ब्याज		11	
12	शुद्ध संदेय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)		12	
13	अनुवृद्धि आय पर कर जमा करने की तारीख(तारीखें)	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख3 (दिन/माह/वर्ष)
14	बैंक एवं शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान का क्रमांक			
17	जमा की गयी राशि			

अनुसूची-एफएसआई		भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)							
क्र. सं.	देश कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा डापडाउन उपलब्ध करवाया जाएगा)	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय ( भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ)	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्त्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्त्रोत					
				योग					
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त किए गए करो पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)			
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च ज झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च ज झ की (ड) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिस के अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
1					

	(ए)	(ड)	(c)	(d)	(e)
	योग				
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का किया गया है जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हाँ तो उसके ब्यौरे दें				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत की गई है	हाँ/नहीं
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिदेश करें					

अनुसूची वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा											
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)											
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	आ2	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/क्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	अ3	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(i)												
	(ii)												
	अ4	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
<b>ख</b>	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)												
(ii)												
<b>ग</b>	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)												
(ii)												
<b>घ</b>	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)												
(ii)												
<b>ङ</b>	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)												
(ii)												
<b>च</b>	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक a *											

क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्योरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
टिप्पण ▶	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज़ापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई											

अनुसूची जीएसटी	जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी	
जीएसटी ब्योरा	क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०
	(1)	(2)
		फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
		(3)
टिप्पण▶	कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक जानकारी दें।	

## भाग - ख

भाग ख-कुल आय	कुल आय की संगणना			
कुल आय	1	गृह संपत्तिसे आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ	2v	
	i	सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बी पी का 17) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)		2i
	ii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका 3(iii)) यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)		2ii
	iii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका 3(iii)) यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)		2iii
	iv	विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का 3, 3ख और 3 च)		2iv
	v	योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएल की हानि की प्रविष्ट में लें जो ए)	2v	
3	पूँजी अभिलाभ	क		
क	अल्पकालिक			
	i	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद 3 का 9ii)	का	

	ii	30 % की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजीकी मद ड का 9iii)	कii		
	iii	लागू दर पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजीकी मद ड का 9iv)	कiii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9v)	कiv		
	v	कुल अल्पकालिक (क + कii + कiii + कiv) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कv		
	ख	दीर्घकालिक			
	i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजीकी मद ड का 9vi)	खi		
	ii	20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजीकी मद ड का 9vii)	खii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	खiii		
	iv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	3खiv		
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)		3ग	
	घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		3घ	
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)		3ङ	
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4क		
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 भरें)	4ख		
	ग	घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4ग		
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3 ग + 3ङ + 4 घ)				
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)				
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5-6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv)का योग + 4ख + 2iv)				
8	7 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)				
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग + 4ख + 2iv)				
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय				
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]		11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2)]		11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित		11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)				
13	कुल आय (9- 11ग -12)				
14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)				
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आयकोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)				
16	कुल आय (13- 14 + 15) [यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य नहीं की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा]				
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानि याहाँ (अनुसूची सीएफएल के xi x का योग)				
18	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)				



भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना	
कर दायित्व की संरचना	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1क
	ख	पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर	1ग
	घ	माननी गई आय (1क+1ख+1ग) पर कुल संदेय कर	1घ
	2	कुल आय पर संदेय कर	
कर	क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख
	ग	कृषि आय पर छूट [भाग ख-नहीं झ का 13-14 कर से प्रभावी अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)	2घ
ड	उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार
	i	अनुसूची एस.आई के 12 (iii) का 25%	2ड i
	ii	10% या 15% पर लागू (निर्देश संदर्भ)	2ड ii
	iii	[(2घ) पर 12ड (ii) में संदर्भित आय पर कर - अनुसूची एस.आई का 12(ii)]	2ड iii
च	iii	कुल (iक + iiक + iii)	2ड iii
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2डiii	2च
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ + 2ड iv + 2च)	2छ
3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)	3	
4	पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115 जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)	4	
5	धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर (3 - 4)	5	
6	कर राहत		
	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख
ग	योग (6क + 6ख)	6ग	
7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7	
8	ब्याज और देय फीस		
	क	विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ
ड	कुल ब्याज और देय फीस (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ड	
9	कुल दायित्व (7 + 8 ड)	9	
संदत्त कर और बैंक के ब्याज	10	संदत्त कर	
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क
	ख	स्रोत पर काटी गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख
	ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग
	घ	स्वतः निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ
ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ड	
11	संदेय रकम (यदि 9, 10ड से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	11	
12	प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक है)	12	

	13	धारा 115 नड के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115 नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर(अनुसूची 115 नघ का क्र.सं. 12)	13	
	14	क्र.सं. 12 (13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात धारा 115 नघ के अधीन संदेय कर	14	
	15	क्र.सं. 14 (12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे खाते में जमा किया जाएगा)	15	
बैंक खाता	16	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)		हां या नहीं का चयन करें
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)		
		क्रम सं.	बैंक का नाम	खाता सं.
		क्र.सं. की दशा में बैंक का आईएफएस कोड		खाता का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा ड्रापडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)
	i			
	ii			
नोट: 1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी 2) कई खातों के मामले में, विवरणी प्रसंस्करण के पश्चात प्रतिदाय का विधि मान्य खातों में से किसी एक में जमा किया जाएगा।				
आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:				
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश
				आई.बी.ए.एन
		आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं		
	17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

<b>18 अनुसूची-आयकर</b>													
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर के ब्यौरे												
कर	क्रम संख्या	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)			चालान का क्रम संख्या			रकम(रु.)	
	i												
	ii												
	iii												

ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे (कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङ के अनुसार)												
क्र.सं	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/आधार संख्या	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टीडीएस कटौती)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	प्रस्तावित समान रसीद/आहरण	अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट					
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

		आय टी.डी.एस	आय टी.डी.एस	पैन/ आधार संख्या							
i											
टिप्पण भाग ख ▶ ननइके 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें											
ग स्त्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [ संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार ]											
ग	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	दावा नहीं किया गया अग्रणित स्त्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	
					वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च	स्वयं नियम 37-आई (1) के अनुसार संग्रहित किया	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	टी.सी.एस	पैन/ आधार नं.
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)	
i										टी.सी.एस	पैन/ आधार नं.
ii											
टिप्पण ▶ कृपया भाग ग - टीटीआईके 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें।											

## सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री ..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी ..... (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्थाई खाता संख्या ..... धारक हूँ (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख                      स्थान                      यहाँ हस्ताक्षर करें।"

[अधिसूचना सं. 19/2024/फा. सं. 370142/47/2023-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ.969(अ), तारीख 26 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 64 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2024 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31 st January, 2024

**G.S.R. 83(E).**— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of April, 2024.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (herein after referred to as the principal rules), in rule 12, in sub-rule (3), in the Table, for Sl. No. 1 and entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: —

<i>“Sl. No.</i>	<i>Person</i>	<i>Condition</i>	<i>Manner of furnishing return of income</i>
<i>(i)</i>	<i>(ii)</i>	<i>(iii)</i>	<i>(iv)</i>
[1	Individual or Hindu Undivided Family	(a) Accounts are required to be audited under section 44AB of the Act;	(A) Electronically under digital signature; or (B) Transmitting the data electronically in the return under electronic verification code;
		(b) Where total income assessable under the Act during the previous year of a person, being an individual of the age of eighty years or more at any time during the previous year, and who furnishes the return in Form number SAHAJ (ITR-1) or Form number SUGAM (ITR-4).	(A) Electronically under digital signature; or (B) Transmitting the data electronically in the return under electronic verification code; or (C) Transmitting the data in the return electronically and thereafter submitting the verification of the return in Form ITR-V; or (D) Paper form;
		(c) In any other case	(A) Electronically under digital signature; or (B) Transmitting the data electronically in the return under electronic verification code; or (C) Transmitting the data in the return electronically and thereafter submitting the verification of the return in Form ITR-V.”

3. In the principal rules, in Appendix II,

(a) for FORM ITR-2, the following FORM shall be substituted, namely: —

“FORM	ITR-2	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b> [For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	4	-	2

Part A-GEN		GENERAL									
PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN							
	(A6) Flat/Door/Block No.	(A7) Name of Premises/Building/Village		(A5) Status (Tick) <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF							
	(A8) Road/Street/Post Office	(A14) Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)									
	(A9) Area/locality	(A15) Aadhaar Number (12 digit) / Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)									
	(A10) Town/City/District	(A11) State			(A13) PIN code/ZIP code						
		(A12) Country									
	(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1	(A17) Mobile No. 2									
FILING STATUS	(A18) Email Address-1 (self)			(A19) Email Address-2							
	(A20)	(a1i) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]			o 139(1)-On or before due date, o 139(4)-After due date, o 139(5)-Revised Return, o 92CD-Modified return, o 119(2)(b)-After condonation of delay						
		(a1ii) Or filed in response to notice u/s			o 139(9), o 142(1), o 148, o 153C						
	(a2)	Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is “No”) Note- For Opting out, option should be exercised along with the return of income filed u/s 139(1)									
	(b)	Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]									
	(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)							Amount (Rs) (If Yes)		
	(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)							Amount (Rs) (If Yes)		
	(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)							Amount (Rs) (If Yes)		
	(biv)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)							(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	(c)	If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)									
(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement							(Unique Number)		/	
(e)	Residential Status in India (for individuals)		A. Resident	o You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]							

	(Tick applicable option)		<p>o You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]</p> <p><input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)]</p> <p><input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for</p> <p>a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or</p> <p>b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]</p>																
		<b>B. Resident but not Ordinarily Resident</b>	<p>o You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]</p> <p>o You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]</p> <p><input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)]</p> <p><input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]</p>																
		<b>C. Non-resident</b>	<p>o You were a non-resident during the previous year.</p> <p>(i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -</p> <table border="1"> <tr> <th>S.No.</th> <th>Jurisdiction(s) of residence</th> <th>Taxpayer Identification Number(s)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -</p> <table border="1"> <tr> <th>Total period of stay in India during the previous year (in days)</th> <th>Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				S.No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)	1			2			Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)		
S.No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)																	
1																			
2																			
Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)																		
	<b>Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)</b>	<b>D. o Resident Non-resident</b>	<b>o Resident but not Ordinarily Resident</b>			<b>o</b>													
(f)	<b>Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)</b>					<b>o Yes</b> <b>o No</b>													
(g)	<b>Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) p</b> <b>o Yes</b> <b>o No</b> (If "YES" please fill Schedule 5A)																		
(h)	<b>Whether you are an / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No</b>																		
(i)	<b>Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)</b>																		
	<b>LEI Number</b>	<b>Valid upto date</b>																	
(j)	<b>Whether this return is being filed by a Representative Assessee? (Tick) p</b> <b>o Yes</b> <b>o No</b> <b>If yes, please furnish following information -</b>																		
	(1)	<b>Name of the Representative</b>																	
	(2)	<b>Capacity of the Representative (drop down to be provided)</b>																	
	(3)	<b>Address of the Representative</b>																	
	(4)	<b>Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the Representative</b>																	
(k)	<b>Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) p</b> <b>o Yes</b> <b>o No</b> <b>If yes, please furnish following information -</b>																		
	<b>Name of Company</b>	<b>Type of company</b>	<b>PAN</b>	<b>Whether its shares are listed or unlisted</b>	<b>Director Identification Number (DIN)</b>														
		<b>(Drop down to be provided)</b>																	



**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**

<b>Schedule S</b>		<b>Details of Income from Salary</b>			
<b>SALARIES</b>	Name of Employer		Nature of employer (Tick) $\beta$ (drop down to be provided)		TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)
	Address of employer		Town/City	State	PIN code/ ZIP code
	<b>1</b>	<b>Gross Salary (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)</b>			<b>1</b>
		<b>a</b>	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	<b>1a</b>	
		<b>b</b>	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	<b>1b</b>	
		<b>c</b>	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	<b>1c</b>	
		<b>d</b>	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)	<b>1d</b>	
		<b>e</b>	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"	<b>1e</b>	
		<b>f</b>	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.	<b>1f</b>	
	<i>(Add multiplier rows for Gross Salary in case of more than one employer)</i>				
<b>2</b>	<b>Total Gross Salary (from all employers)</b>			<b>2</b>	
<b>3</b>	<b>Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions)</b> (Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)			<b>3</b>	
<b>3(a)</b>	<b>Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A</b>			<b>3a</b>	
<b>4</b>	<b>Net Salary (2 – 3 – 3a)</b>			<b>4</b>	
<b>5</b>	<b>Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)</b>			<b>5</b>	
	<b>a</b>	Standard deduction u/s 16(ia)	<b>5a</b>		
	<b>b</b>	Entertainment allowance u/s 16(ii)	<b>5b</b>		
	<b>c</b>	Professional tax u/s 16(iii)	<b>5c</b>		
<b>6</b>	<b>Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)</b>			<b>6</b>	

<b>Schedule HP</b>		<b>Details Of Income From House Property (Please Refer Instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)</b>					
<b>HOUSE PROPERTY</b>	<b>1</b>	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ ZIP Code	
	Is the property co-owned? <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No (if "YES" please enter following details)						
	Your percentage of share in the property (%)						
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)	Percentage Share in Property			
	<b>I</b>						
	<b>II</b>						
	/Tick $\beta$ the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)	PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)	PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)		
	<input type="radio"/> Let out						
	<input type="radio"/> Self-occupied		<b>I</b>				
	<input type="radio"/> Deemed let out		<b>II</b>				
	<b>a</b>	Gross rent received or receivable or lettable value			<b>1a</b>		
	<b>b</b>	The amount of rent which cannot be realized			<b>1b</b>		
	<b>c</b>	Tax paid to local authorities			<b>1c</b>		
	<b>d</b>	Total (1b + 1c)			<b>1d</b>		
	<b>e</b>	Annual value (1a – 1d) (nil if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)			<b>1e</b>		
	<b>f</b>	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)			<b>1f</b>		
	<b>g</b>	30% of 1f			<b>1g</b>		
	<b>h</b>	Interest payable on borrowed capital			<b>1h</b>		
	<b>i</b>	Total (1g + 1h)			<b>1i</b>		
	<b>j</b>	Arrears/Unrealized rent received during the year less 30%			<b>1j</b>		
<b>k</b>	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)			<b>1k</b>			
<i>(fill up details separately for each property)</i>							
<b>2</b>	Pass through income/loss if any *			<b>2</b>			



3	<b>Income under the head "Income from House Property" (1k+2)</b> (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3
<b>NOTE ▶</b>	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.	
<b>NOTE ▶</b>	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.	

Schedule CG		Capital Gains									
<b>CAPITAL GAINS</b>	<b>A</b>	<b>Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)</b>									
	<b>Short-term Capital Gains</b>	<b>1</b>	<b>From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)</b>								
		<b>a</b>	<b>i</b>	Full value of consideration received/receivable			<b>ai</b>				
			<b>ii</b>	Value of property as per stamp valuation authority			<b>aii</b>				
			<b>iii</b>	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]			<b>aiii</b>				
			<b>b</b>	<b>Deductions under section 48</b>							
				<b>i</b>	Cost of acquisition without indexation			<b>bi</b>			
				<b>ii</b>	Cost of Improvement without indexation			<b>bii</b>			
				<b>iii</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			<b>biii</b>			
				<b>iv</b>	Total (bi + bii + biii)			<b>biv</b>			
			<b>c</b>	Balance (aiii – biv)			<b>1c</b>				
		<b>d</b>	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)			<b>1d</b>					
		<b>e</b>	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						<b>A1e</b>		
		<b>f</b>	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
		<b>S. No.</b>	<b>Name of buyer(s)</b>	<b>PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)</b>	<b>Percentage share</b>	<b>Amount</b>	<b>Address of property, country code, ZIP code</b>	<b>Pin code</b>	<b>State</b>		
		<b>NOTE ▶</b>		Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
	<b>2</b>	<b>From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)</b>									
		<b>a</b>	Full value of consideration					<b>2a</b>			
		<b>b</b>	Deductions under section 48								
		<b>i</b>	Cost of acquisition without indexation					<b>bi</b>			
		<b>ii</b>	Cost of Improvement without indexation					<b>bii</b>			
		<b>iii</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					<b>biii</b>			
		<b>iv</b>	Total (i + ii + iii)					<b>biv</b>			
		<b>c</b>	Balance (2a – biv)					<b>2c</b>			

			d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	2d			
			e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c +2d)			A2e	
	3	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
			a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid			A3a	
			b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid			A3b	
	4	For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD						
			a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
				ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	Aii		
				iii	Total (ic + ii)	aiii		
			b	Deductions under section 48				
				i	Cost of acquisition without indexation	bi		
				ii	Cost of improvement without indexation	bii		
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
				iv	Total (i + ii + iii)	biv		
			c	Balance (4aiii – biv)			4c	
			d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	4d			
			e	Short-term capital gain on sale of securities by an FII (other than those at A2) (4c +4d)			A4e	
	5	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above						
			a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
				iii	Total (ic + ii)	aiii		
			b	Deductions under section 48				
				i	Cost of acquisition without indexation	bi		
				ii	Cost of Improvement without indexation	bii		
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
				iv	Total (i + ii + iii)	biv		
			c	Balance (5aiii – biv)			5c	
			d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			5d	

		e	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above (5c + 5d)							A5e			
		6	Amount deemed to be short term capital gains										
		a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? o Yes o No o Not applicable. If yes, then provide the details below										
			Sl. No. in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)						
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account							
		i	2021-22	54B									
		ii	2022-23	54B									
		b	Amount deemed to be short term capital gains, other than at 'a'										
			Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + aXii + b)								A6		
		7	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A7a + A7b + A7c)								A7		
			a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%			A7a						
			b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%			A7b						
			c	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates			A7c						
		8	Amount of STCG included in A1 – A7 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
			Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate /lower of (6) or (9)]	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			I										
			II										
			a	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA								A8a	
			b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA								A8b	
		9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6+ A7 - A8a)								A9		
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 5, 6, 7 & 8 are not applicable for residents)											
		1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)										
			Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY					Date of sale/transfer DD/MM/YYYY					
			a	i	Full value of consideration received/receivable					ai			
				ii	Value of property as per stamp valuation authority					aii			
				iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]					aiii			
			b	Deductions under section 48									
				i	Cost of acquisition					bi			
				ii a	Cost of acquisition with indexation					biia			
				ii b	Total cost of improvement with indexation					biib			
					(a) Cost of improvement								
					(b) Year of Improvement								

				(c) Cost of Improvement with indexation							
				Add row							
		iii		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
		iv		Total (bia + biib + biii)			biv				
		c		Balance (aiii – biv)			1c				
		d		Deduction under section 54/54B/54EC/54F (Specify details in item D below)			1d				
		e		Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)					B1e		
		f		In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State	
			NOTE ►		Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.						
		2		From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)							
		a		Full value of consideration					2a		
		b		Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation					bi		
			ii	Cost of improvement without indexation					bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii		
			iv	Total (bi + bii + biii)					biv		
		c		Balance (2a – biv)					2c		
		d		Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)					2d		
		e		LTCG on bonds or debenture (2c – 2d)							B2e
		3		From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA							
		a		Full value of consideration					3a		
		b		Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation					bi		
			ii	Cost of improvement without indexation					bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii		
			iv	Total (bi + bii + biii)					biv		
		c		Balance (3a – biv)					3c		
		d		Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)					3d		
		e		Long-term Capital Gains on assets at B3 above (3c – 3d)							B3e
		4		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A							
		A		LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)					4a		
		B		Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)					4b		
		C		Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 above (4a – 4b)							B4c
		5		For NON-RESIDENTS - from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)							

			A	LTCG computed without indexation benefit	5a			
			B	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5b			
			C	LTCG on share or debenture (5a-5b)			B5c	
		6	For NON-RESIDENTS - from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up)					
			a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
				ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
				iii	Total (ic + ii)	aiii		
			b	Deductions under section 48				
				i	Cost of acquisition without indexation	bi		
				ii	Cost of improvement without indexation	bii		
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
				iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
			c	Balance (6aiii - biv)			6c	
			d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			6d	
			e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d)			B6e	
		7	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
			a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii))			7a	
			b	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)			7b	
			c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 above (7a - 7b)			B7c	
		8	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
			a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)			8a	
			b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			8b	
			c	Balance LTCG on sale of specified asset (8a - 8b)			B8c	
			d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)			8d	
			e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			8e	
			f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (8d-8e)			B8f	
		9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable					

			a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains	ic	
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii	
				iii	Total (ic + ii)	aiii	

	<b>B</b>	<b>Deductions under section 48</b>		
		<b>i</b> Cost of acquisition with indexation	<b>bi</b>	
		<b>ii</b> Cost of improvement with indexation	<b>bii</b>	
		<b>iii</b> Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	<b>biii</b>	
		<b>iv</b> Total (bi + bii + biii)	<b>biv</b>	
	<b>C</b>	Balance (9a <sup>iii</sup> – biv)	<b>9c</b>	
	<b>D</b>	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	<b>9d</b>	
	<b>E</b>	Long-term Capital Gains on assets at B9 above ( (9c – 9d)	<b>B9e</b>	

	<b>10</b>	Amount deemed to be long-term capital gains											
	<b>A</b>	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?											
		Yes ; No ; Not applicable. (If yes, then provide the details below)											
		<b>Sl. No.</b>	<b>Previous year in which asset transferred</b>	<b>Section under which deduction claimed in that year</b>	<b>New asset acquired/constructed</b>	<b>Amount not used for new asset or remained unutilized in</b>							
		<b>i</b>	2020-21	54/54F	<b>Previous year in which asset acquired/</b>	<b>Amount utilised out of Capital Gains account</b>							
		<b>ii</b>	2021-22	54/54B/54F/ 54GB									
		<b>iii</b>	2022-23	54/54B/ 54F									
		<b>b</b>	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'										
		Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b)					<b>B10</b>						
	<b>11</b>	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+ B11a2+ B11b)					<b>B11</b>						
		<b>a1</b>	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A			<b>B11 a1</b>							
		<b>a2</b>	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than u/s 112A			<b>B11 a2</b>							
		<b>b</b>	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain,			<b>B11b</b>							
	<b>12</b>	Amount of LTCG included in B1- B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
		<b>Sl. No.</b>	<b>Amount of income</b>	<b>Item No. B1 to B11 above in which included</b>	<b>Country name &amp; Code</b>	<b>Article of DTAA</b>	<b>Rate as per Treaty (Enter NIL, if not chargeable)</b>	<b>Whether TRC obtained (Y/N)</b>	<b>Section of I.T. Act</b>	<b>Rate as per I.T. Act</b>	<b>Applicable rate [lower of (6) or (9)]</b>		
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>		
		<b>I</b>											
		<b>II</b>											
		<b>a</b>	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA								<b>B12a</b>		
		<b>b</b>	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA								<b>B12b</b>		
	<b>13</b>	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e+B2e+B3e+B4c+B5c+B6e+B7c+B8c+B8f+B9e+B10+ B11 - B12a)									<b>B13</b>		
	<b>C1</b>	Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)									<b>C1</b>		
	<b>C2</b>	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Col. 7 of Schedule VDA)									<b>C2</b>		
	<b>C3</b>	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)									<b>C3</b>		
	<b>D</b>	Information about deduction claimed against Capital Gains											
		<b>1</b>	In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/115F give following details										
		<b>a</b>	Deduction claimed u/s 54										
		<b>i</b>	Date of transfer of original asset			<b>ai</b>	dd/mm/yyyy						
		<b>ii</b>	Cost of new residential house			<b>aii</b>							
		<b>iii</b>	Date of purchase/construction of new residential house			<b>aiii</b>	dd/mm/yyyy						
		<b>iv</b>	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date			<b>aiv</b>							
			(iva) Date of deposit		(ivb) Account number		(ivc) IFS code						
			dd/mm/yyyy										

				v	Amount of deduction claimed	av	
				b	Deduction claimed u/s 54B		
				i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy
				ii	Cost of new agricultural land	bii	
				iii	Date of purchase of new agricultural land	biii	dd/mm/yyyy
				iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv	
					(iva) Date of deposit	(ivb) Account number	(ivc) IFS code
					dd/mm/yyyy		
				v	Amount of deduction claimed	bv	
				c	Deduction claimed u/s 54EC		
				i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy
				ii	Amount invested in specified/notified bonds (Not exceeding fifty lakh rupees)	cii	
				iii	Date of investment	ciii	dd/mm/yyyy
				iv	Amount of deduction claimed	civ	
				d	Deduction claimed u/s 54F		
				i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy
				ii	Cost of new residential house	dii	
				iii	Date of purchase/construction of new residential house	diii	dd/mm/yyyy
				iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div	
					(iva) Date of deposit	(ivb) Account number	(ivc) IFS code
	dd/mm/yyyy						
v	Amount of deduction claimed	dv					
e	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)						
i	Date of transfer of original foreign exchange asset	e i	dd/mm/yyyy				
ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	e ii					
iii	Date of investment	e iii	dd/mm/yyyy				
iv	Amount of deduction claimed	e iv					
f	Total deduction claimed (1a+1b+1c+1d+1e)						
f	f						

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8a & B12a which is not chargeable under DTAA)										
Sl	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off  (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTA A rates	10%	20%	DTA A rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)		(A2e* + A3a* + A7a*)	A4e* + A7b*	(A1e* + A3b* + A5e* + A6* + A7c*)	A8b	(B3e* + B4c* + B6e* + B7c* + B8c* + B11a1* + B11a2*)	(B1e* + B2e* + B5c* + B8f* + B9e* + B10* + B11b*)	B12b	

	ii	15%	$(A2e^* + A3a^* + A7a^*)$							
	iii	Short term capital gain	30%	$A4e^* + A7b^*$						
	iv	Long term capital gain	applicable rate	$(A1e^* + A3b^* + A5e^* + A6^* + A7c^*)$						
	v	DTAA rates		$A8b$						
	vi	Short term capital gain	10%	$(B3e^* + B4c^* + B6e^* + B7c^* + B8c^* + B11a1^* + B11a2^*)$						
	vii	Long term capital gain	20%	$(B1e^* + B2e^* + B5c^* + B8f^* + B9e^* + B10^* + B11b^*)$						
viii	DTAA rates		$B12b$							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i - ix)									

**TE**  
**▶ N**  
**▶** The figures of STCG in this table (A1e\* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A6) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e\* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

**F** Information about accrual/receipt of capital gain

	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 3iii of schedule BFLA, if any.</i>					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.</i>					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.</i>					
	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long-term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any.</i>					
6	Long-term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 3viii of schedule BFLA, if any.</i>					



7	<p>Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates</p> <p><i>Enter value from item 3ix of schedule BFLA, if any.</i></p>					
8	<p>Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30%</p> <p><i>Enter value from item 16 of schedule SI, if any</i></p>					
<p><b>NOTE</b> Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head</p>						



115AD(1)(b)(iii) proviso For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A														
Sl. No.	Share/Unit Acquired	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full Value of Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are Acquired after 31st January 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition without indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31st January,2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) of LTCG Schedule of ITR2
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1														
2														
3														
4														
Add Rows														
<b>Total</b>														

Schedule VDA						
Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)						
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
<b>Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)</b>						<b>(Item No. C2 of Schedule CG)</b>

Schedule OS		Income from Other Sources			
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+1b+1c+1d+1e)		1	
	a	Dividends, Gross (ai+aii)		1a	
	i	Dividend income other than (ii)	ai		
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii		
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv + bvi + bvii + bviii + bix)		1b	
	i	From Savings Bank	bi		
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii		
	iii	From Income-tax Refund	biii		
	iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv		
	v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv		
	vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(11)	bvi		
	vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii		
	viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii		
	ix	Others	bix		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross		1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)		1d	
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di		
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration stamp duty value of property in excess of such consideration	diii		
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div		
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv		
	e	Any other income (please specify nature)		1e	
	Sl. No.	Nature			Amount
1	Family Pension				
2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)				
3	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"				
4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.				
5	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)				
6	Any sum received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)				
Rows can be added as required					
2	Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)		2		

ai	Winings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB			2ai	
aii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ			2aii	
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv + bv + bvi)			2b	
i	Cash credits u/s 68	bi			
ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c	
	S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxv)			2d	
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)		di		
ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA, chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)		dia		
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		dii		
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)		diii		
iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%		div		
v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)		dv		
vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)		dvi		
vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)		dvii		
viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)		dviii		
ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC		dix		
x	Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC		dx		
xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115AC A		dxii		
xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)		dxiii		
xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)		dxiii		
xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA		dxiv		
xv	Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC		dxv		
xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4%		dxvi		
xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF		dxvii		

		xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG				dxviii					
		xix	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E				dxix					
		xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				dxix					
	e	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)									2e	
	f	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)									2f	
		Sl. No.	Amount of income	Item No. 1a to 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (12)	
		I										
		II										
	3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)										
	ai	Expenses / Deductions other than "aii" (in case other than family pension)						3ai				
	aii	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1A)						3aii				
	aiia	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) - Computed Amount						3aiia				
	aiii	Deduction u/s. 57(iia) (in case of family pension only)						3aiii				
	b	Depreciation (available only if income offered in 1c of Schedule OS)						3b				
	c	Total						3c				
	4	Amounts not deductible u/s 58									4	
	5	Profits chargeable to tax u/s 59									5	
	5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A									5a	
	6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1(after reducing income related to DTAA portion) - 3 + 4 + 5-5a ) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA )									6	
	7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)									7	
	8	Income from the activity of owning and maintaining race horses										
	a	Receipts					8a					
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b					
	c	Amounts not deductible u/s 58					8c					
	d	Profits chargeable to tax u/s 59					8d					
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xii of Schedule CFL)									8e	
	9	Income under the head "Income from Other Sources" (7+ 8e) (take 8e as nil if negative)									9	
	10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources										
		S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3				
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)										

	2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ						
	3	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
	5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						
	7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
	8	Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	9	Dividend income chargeable at DTAA Rates						
	10	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s 89A)						
<b>NOTE ▶</b>		Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.						

Schedule CYLA Details of Income after Set off of Current Year Losses						
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4=1-2-3
	i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(3 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
	iii	House property	(3 of Schedule HP)			
	iv	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)			
	vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)			
	vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)			
	viii	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)			
	ix	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)			
	x	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of Schedule CG)			
xi	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				

	xii	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)			
	xiii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii)				
	xiv	Loss remaining after set-off (i – xiii)				

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years			
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off	
		1	2	3	
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)		
	ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
	iii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iv of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vii	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viii	Long term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	( 4xi of schedule CYLA)		
	xi	Profit from owning and maintaining race horses	(4xii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)	
	xii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
	xiii	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			



Schedule CFL		Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
		1	2	3	4	5	6
CARRY FORWARD OF LOSS	i	2016-17					
	ii	2017-18					
	iii	2018-19					
	iv	2019-20					
	v	2020-21					
	vi	2021-22					
	vii	2022-23					
	viii	2023-24					
	ix	Total of earlier year losses					
	x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)			(2xi of Schedule BFLA)
	xi	2024-25 (Current year losses)		(2xiv of Schedule CYLA)	(2x+3x+4x+5x) of item E of Schedule CG	(6x+7x+8x) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)
	xii	Total loss carried forward to future years					

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A			
<b>TOTAL DEDUCTIONS</b>	<b>1</b>	<b>Part B- De deduction in respect of certain payments</b>			
	<b>a</b>	<b>80C</b>		<b>b</b>	<b>80CCC</b>
	<b>c</b>	<b>80CCD(1)</b>		<b>d</b>	<b>80CCD(1B)</b>
	<b>e</b>	<b>80CCD(2)</b>		<b>f</b>	<b>80D</b> (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	<b>g</b>	<b>80DD</b>		<b>h</b>	<b>80DDB</b> (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	<b>i</b>	<b>80E</b>		<b>j</b>	<b>80EE</b>
	<b>k</b>	<b>80EEA</b>		<b>l</b>	<b>80EEB</b>
	<b>m</b>	<b>80G</b>		<b>n</b>	<b>80GG</b>
	<b>o</b>	<b>80GGA</b>		<b>p</b>	<b>80GGC</b>
	<b>2</b>	<b>Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction</b>			
	<b>q</b>	<b>80QQB</b>		<b>r</b>	<b>80RRB</b>
	<b>s</b>	<b>80TTA</b>		<b>t</b>	<b>80TIB</b>
	<b>u</b>	<b>80U</b>		<b>ua</b>	<b>80CCH</b>
	<b>ub</b>	<b>Any other deduction as per the e-filing utility</b>			
	<b>v</b>	<b>Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to ub)</b>			

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G						
<b>DETAILS OF DONATIONS</b>	<b>A</b>	<b>Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit</b>						
		<b>Name and address of Donee</b>	<b>PAN of Donee</b>	<b>Amount of donation</b>			<b>Eligible Amount of donation</b>	
				<b>Donation in cash</b>	<b>Donation in other mode</b>	<b>Total Donation</b>		
		<b>i</b>						
		<b>ii</b>						
		<b>iii</b>	<b>Total</b>					
	<b>B</b>	<b>Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit</b>						
		<b>Name and address of Donee</b>	<b>PAN of Donee</b>	<b>Amount of donation</b>			<b>Eligible Amount of donation</b>	
				<b>Donation in cash</b>	<b>Donation in other mode</b>	<b>Total Donation</b>		
		<b>i</b>						
		<b>ii</b>						
		<b>iii</b>	<b>Total</b>					
	<b>C</b>	<b>Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit</b>						
		<b>Name and address of Donee</b>	<b>PAN of Donee</b>	<b>Amount of donation</b>			<b>Eligible Amount of donation</b>	
				<b>Donation in cash</b>	<b>Donation in other mode</b>	<b>Total Donation</b>		
		<b>i</b>						
		<b>ii</b>						
		<b>iii</b>	<b>Total</b>					
	<b>D</b>	<b>Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit</b>						
		<b>Name and address of Donee</b>	<b>PAN of Donee</b>	<b>ARN (Donation Reference Number)</b>	<b>Amount of donation</b>			<b>Eligible Amount of donation</b>
					<b>Donation in cash</b>	<b>Donation in other mode</b>	<b>Total Donation</b>	
		<b>i</b>						
		<b>ii</b>						
		<b>iii</b>	<b>Total</b>					
<b>E</b>	<b>Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)</b>							

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed ( <i>drop down to be provided</i> )	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
Total donation							

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties					
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution			
i							
(add rows)							
Total contribution							

Schedule 80DD		Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability				
Nature of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	UDID Number (If available)
Dependent person with disability	1. Spouse					
Dependent person with severe disability	2. Son					
	3. Daughter					
	4. Father					
	5. Mother					
	6. Brother					
	7. Sister					
	8. Member of the HUF (in case of HUF)					

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC			
1	Total Income as per item 12 of PART-B-II			1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)			3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)			4	

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD				
1	Tax under section 115JC in assessment year 2024-25 (1d of Part-B-III)					1
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2024-25 (7 of Part-B-III)					2
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D) = (B3) – (C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	i	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
	viii	2020-21				
	ix	2021-22				
	x	2022-23				
	xi	2023-24				
	xi	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)				
	xii	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item No. 4 (C)]					5
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6

Schedule SI						
SI No	Section	b	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)	
1	111- Accumulated balance of recognized provident for prior years	o		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule)	
2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	o	15	(3iii of Schedule BFLA)		
3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	o	30	(3iv of Schedule)		
4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
9	115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset)	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
10	112 (LTCG on others)	o	20	(3viii of Schedule)		
11	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	o	10	(part of 3vi of Schedule BFLA)		
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of Schedule BFLA)		
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3ix of schedule BFLA)		
14a	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	o	30	(part of 2a(i) of Schedule OS)		
14b	115BBJ (Winnings from online games)	o	30	(2a(ii) of Schedule OS)		
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	o	60	(2b of Schedule OS)		
16	115BBH (Income from transfer of Virtual Digital Asset)	o	30	(C2 of Schedule CG)		
17	115BBF (Tax on income from patent)	o	10	(part of 2d of Schedule OS)		
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	o	10	(part of 2d of Schedule OS)		
19	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	o		(part of 2d of Schedule OS)		
20	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	o		(part of 2f of Schedule OS)		
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	o	15	(part of 3iv of Schedule BFLA)		
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	o	30	(part of 3v of Schedule BFLA)		
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%- under sections other than u/s 112A	o	10	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	o	20	(part of 3viii of Schedule BFLA)		
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	o		(2e of Schedule OS)		
			<b>Total</b>			

Schedule SPI		Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64							
SI No	Name of person	PAN/ Aadhaar No. of person (optional)					Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1									
2									
3									

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)						
EXEMPT INCOME	1	Interest income					1	
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i		
		ii	Expenditure incurred on agriculture			ii		
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii		
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)			2		
		v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)					
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located					
		b	Measurement of agricultural land in Acre					
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)					
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)					
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child)					3	
	4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA						
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA		Head of Income
	I							
	II							
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax					4	
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)					5		
6	Total (1+2+3+4+5+)					6		

Schedule PTII		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB										
PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss (7-8)	IDS on such amount, if any		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	1.	(Dropdown to be provided)				I	House property					
						ii	Capital Gains					
						a	Short term					
							ai	Section 111A				
							aii	Others				
							b	Long term				
							bi	Section 112A				
							bii	Other than Section 112A				
						iii	Other Sources					
						A	Dividend					
						B	Others					
						iv	Income claimed to be exempt					
						a	u/s 10(23FBB)					
	b	u/s .....										
	c	u/s .....										
	2.					I	House property					
						ii	Capital Gains					
						a	Short term					
							ai	Section 111A				
							aii	Others				
							b	Long term				
bi							Section 112A					
bii							Other than Section 112A					
iii						Other Sources						
a						Dividend						
B						Others						

					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s .....				
					c	u/s .....				
<b>NOTE</b>		Please refer to the instructions for filling out this schedule.								

Schedule FS I			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)						
Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-II)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e) = (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
<b>NOTE</b>		Please refer to the instructions for filling out this schedule.							

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)			
I Summary of Tax relief claimed					
	Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FS I in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FS I in respect of each country)	Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
	a	Amount of tax refunded		b	Assessment year in which tax relief allowed in India
<b>NOTE</b>		Please refer to the instructions for filling out this schedule.			





C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December, 2023												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December, 2023												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December, 2023 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, - (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			

(i)									
(ii)									
<b>NOTE ►</b>	<i>Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.</i>								

<b>Schedule 5A</b>		<b>Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code</b>				
<b>Name of the spouse</b>						
<b>PAN/ Aadhaar No. of the</b>						
	<b>Heads of Income</b>	<b>Receipts under the head</b>	<b>Amount apportioned in the hands of the spouse</b>	<b>Amount of TDS deducted on income at (ii)</b>	<b>TDS apportioned in the hands of spouse</b>	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	House Property					
2	Capital gains					
3	Other sources					
4	Total					

<b>Schedule AL</b>		<b>Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)</b>			
<b>DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES</b>	<b>A</b>	<b>Details of immovable assets</b>			
	<b>Sl. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Address</b>	<b>Pin code</b>	<b>Amount (cost) in Rs.</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	<b>B</b>	<b>Details of movable assets</b>			
	<b>Sl. No.</b>	<b>Description</b>			<b>Amount (cost) in Rs.</b>
	(1)	(2)			(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	<b>Financial assets</b>			<b>Amount (cost) in Rs.</b>
		(a)	Bank (including all deposits)		
		(b)	Shares and securities		
		(c)	Insurance policies		
		(d)	Loans and advances given		
		(e)	Cash in hand		
<b>C</b>	<b>Liabilities in relation to Assets at (A + B)</b>				
<b>NOTE ►</b>	<i>Please refer to instructions for filling out this schedule.</i>				

<b>Schedule: Tax deferred on ESOP</b>		<b>Information related to Tax deferred - relating to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC</b>						
PAN of the employer being an eligible startup								
DPIIT registration number of the employer								
<b>DETAILS</b>	<b>Sl. No.</b>	<b>Assessment Year</b>	<b>Amount of Tax deferred brought forward</b>	<b>Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year</b>			<b>Amount of tax payable in the current Assessment Year</b>	<b>Balance amount of tax deferred to be carried forward to the next Assessment years</b>
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i) Fully (ii) Partly (iii) Not sold	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the	(to be	Col (3- 7)

			Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3  (Details to be provided as per utility)	such specified security or sweat equity share? o Yes o No  If yes, specify date	said *clause were allotted. If yes, specify date	populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2026-27) (Payment to be made in FY 2025-26)		
2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
3	2024-25						

## PART-B

Part B – TI		Computation of total income	
	<b>1</b>	Salaries (6 of Schedule S)	<b>1</b>
	<b>2</b>	Income from house property (3 of Schedule HP) (enter nil if loss)	<b>2</b>
TOTAL INCOME	<b>3</b>	Capital gains	
		<b>a</b> Short term	
		<b>i</b> Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	<b>ai</b>
		<b>ii</b> Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	<b>aii</b>
		<b>iii</b> Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	<b>aiii</b>
		<b>iv</b> Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	<b>aiv</b>
		<b>v</b> Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	<b>3av</b>
		<b>b</b> Long-term	
		<b>i</b> Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	<b>bi</b>
		<b>ii</b> Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	<b>bii</b>
		<b>iii</b> Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	<b>biii</b>
		<b>iv</b> Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	<b>3biv</b>
		<b>c</b> Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	<b>3c</b>
		<b>d</b> Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	<b>3d</b>
		<b>e</b> Total capital gains (3c + 3d)	<b>3e</b>
	<b>4</b> Income from other sources		
	<b>a</b> Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	<b>4a</b>	
	<b>b</b> Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	<b>4b</b>	
	<b>c</b> Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	<b>4c</b>	
	<b>d</b> Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)	<b>4d</b>	
	<b>5</b> Total of headwise income (1+2+3e+4d)	<b>5</b>	
	<b>6</b> Losses of current year set off against 5 (total of 2xiii and 3xiii of Schedule CYLA)	<b>6</b>	
	<b>7</b> Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA + 2 of Schedule OS)	<b>7</b>	
	<b>8</b> Brought forward losses set off against 7 (2xii of Schedule BFLA)	<b>8</b>	
	<b>9</b> Gross Total income (7-8) (3xiii of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)	<b>9</b>	
	<b>10</b> Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	<b>10</b>	
	<b>11</b> Deductions under Chapter VI-A [w of Schedule VIA and limited to (9-10)]	<b>11</b>	
	<b>12</b> Total income (9 - 11)	<b>12</b>	
	<b>13</b> Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)	<b>13</b>	
	<b>14</b> Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)	<b>14</b>	
	<b>15</b> Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	<b>15</b>	
	<b>16</b> Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)	<b>16</b>	
	<b>17</b> Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	<b>17</b>	

Part B – TII		Computation of tax liability on total income				
	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)	1a		
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above	1c		
		d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)		1d	
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	2		Tax payable on total income			
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-II	2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)	2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c		
	d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)		2d		
	3		Rebate under section 87A		3	
	4		Tax payable after rebate (2d - 3)		4	
	5		Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
		i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI	5i	ia	
		ii	@ 10% or 15%, as applicable (Refer instructions)	5ii	iaa	
		iii	On [(4) - 15(ii) of Schedule SI - tax on incomes referred in 5(ii) above]	5iii		
		iv	Total ia + iia		5iv	
		6	Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)		6	
		7	Gross tax liability (4 + 5iv + 6)		7	
		8	Gross tax payable (higher of 1d and 7)		8	
		8a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (8-8b)		8a	
		8b	Tax deferred - relating to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC		8b	
	8c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)		8c		
	9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)		9		
	10		Tax payable after credit u/s 115JD (8a + 8c - 9)		10	
TAXES PAID	11		Tax relief			
		a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E)	11a		
		b	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	11b		
		c	Section 91 (3 of Schedule TR)	11c		
		d	Total (11a + 11b + 11c)		11d	
		12		Net tax liability (10 - 11d) (enter zero if negative)		12
		13		Interest and fee payable		
		a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	13a		
		b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	13b		
		c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	13c		
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	13d			
	e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d)		13e		
	14		Aggregate liability (12 + 13e)		14	
	15		Taxes Paid			
		a	Advance Tax (from column 5 of 20A)	15a		
		b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 of 20C)	15b		
		c	TCS (total of column 7(i) of 20D)	15c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)	15d		
	e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)		15e		
	16		Amount payable (Enter if 14 is greater than 15e, else enter 0)		16	
	17		Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)		17	

<b>BANK ACCOUNT</b>	<b>18</b>	<b>Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)</b>					<b>Select Yes or No</b>
		<b>Sl.</b>	<b>IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India</b>	<b>Name of the Bank</b>	<b>Account Number</b>	<b>Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)</b>	
		<b>i</b>					
		<b>ii</b>					
		<b>Note: 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c.</b> <b>2. In case of multiple accounts, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.</b>					
		<b>Rows can be added as required</b>					
	<b>ii.</b>	<b>b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:</b>					
		<b>Sl. No.</b>	<b>SWIFT Code</b>	<b>Name of the Bank</b>	<b>Country of Location</b>	<b>IBAN</b>	
		<b>Rows can be added as required</b>					
	<b>19</b>	<b>Do you at any time during the previous year,</b> <b>(i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or</b> <b>(ii) have signing authority in any account located outside India; or</b> <b>(iii) have income from any source outside India?</b> <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>					<input type="radio"/> <b>Yes</b> <input type="radio"/> <b>No</b>

<b>20</b>	<b>TAX PAYMENTS</b>				
<b>A</b>	<b>Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax</b>				
<b>ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX</b>	<b>Sl No</b>	<b>BSR Code</b>	<b>Date of Deposit (DD/MM/YYYY)</b>	<b>Serial Number of Challan</b>	<b>Amount (Rs)</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	<b>i</b>				
	<b>ii</b>				
	<b>iii</b>				
	<b>iv</b>				
	<b>NOTE ►</b>	<i>Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 15a &amp; 15d of Part B-TTI</i>			
<b>B</b>	<b>Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]</b>				
<b>TDS ON SALARY</b>	<b>Sl No</b>	<b>Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer</b>	<b>Name of the Employer</b>	<b>Income chargeable under Salaries</b>	<b>Total tax deducted</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	<b>I</b>				
	<b>II</b>				
	<b>NOTE ►</b>	<i>Please enter total of column 5 in 15b of Part B-TTI</i>			
<b>C1</b>	<b>Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16E furnished by Deductor(s)]</b>				

SI No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/ Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during FY 2023-24 )		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward		
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	
							Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.			
<b>I</b>															
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column 9 in 15b of Part B- TTI															

<b>D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]</b>															
Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37BA(2)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward					
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)						
											(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)
<b>i</b>															
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column 7(i) in 15c of Part B- TTI															

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making return in my capacity as \_\_\_\_\_ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (Please see instruction) I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date		Place		Sign here →	
------	--	-------	--	-------------	--

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof";

(b) for FORM ITR-3, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-3	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b> (For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession) (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	4	-	2

## Part A-GEN

## GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) Firstname	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN					
	(A5) Flat/Door/Block No.	(A6) Name Of Premises/Building/Village		(A14) Status (Tick) <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF					
	(A7) Road/Street/Post Office	(A8) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)		(A15) Date of Commencement of Business (DD/MM/YYYY)					
	(A9) Area/locality	(A16) Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)							
	(A10) Town/City/District	(A11) State		(A12) PIN code/ZIP code					
		(A13) Country							
	(A17) Residential/Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1	Mobile No. 2							
	(A18) Email Address-1 (self)			Email Address-2					
A(19) (ai)	Due Date for filing return of income [Dropdown to be provided] :								
	1. 31st July 2. 31st October 3. 30th November								
FILING STATUS	(A19) (aii)	Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		<input type="checkbox"/> 139(1)- On or Before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay					
		Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C					
	(b)	a. Have you exercised the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes, within the due date <input type="checkbox"/> Yes, but beyond the due date (If option other than 'No' is selected, please furnish date of filing and Acknowledgement number of form 10-IEA)  Note-For Opting out, option should be exercised in form 10-IEA on or before the due date for filing return u/s 139(1)							
(c)	Are you filing return of income under seventh proviso to Section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? – (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]								
(ci)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)			Amount (Rs) (If Yes)					



(cii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)	
(ciii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)	
(civ)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)		(Tick) o Yes o No	
(d)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		/ /	
(e)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement		(unique number)	/ /
(f)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	o You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]	
			o You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]	
			o You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)]	
			<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]	
		B. Resident but not Ordinarily Resident	o You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]	
			o You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]	
			<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)]	
			<input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]	
		C. Non-resident	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -	
			S.No.	Jurisdiction of residence
1				
2				
(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -				
	Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)		

	<b>Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)</b>	<input type="radio"/> Resident	<input type="radio"/> Resident but not Ordinarily Resident	<input type="radio"/> Non-resident
(g)	Do you want to claim the benefit under section 115H? ( <i>applicable in case of resident</i> )		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
(h)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)			
(i)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, furnish following information -			
	(1)	Name of the representative assessee		
	(2)	Capacity of the Representative ( <i>drop down to be provided</i> )		
	(3)	Address of the representative assessee		
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee		

(j)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -													
	Name of Company	Type of Company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted			Director Identification Number (DIN)							
(k)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information													
	Name of Firm						PAN							
(l)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(m)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
(n)	In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i).													
(o)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													

(p)	Whether you are an FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No		
(q)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)		
	LEI Number		Valid upto date

AUDIT INFORMATION	(a1)	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(a2)	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/44B/44BB/44AD/44ADA/44BBA <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	a2i	If No, whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business is between Rs. 1 crore and Rs. 10crores? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> No, turnover exceeds 10 crores
	a2ii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account like capital contributions, loans etc. during the previous year, in cash & non-a/c payee cheque/DD, does not exceed five per cent of said amount? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	a2iii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc., in cash & non-a/c payee cheque/DD during the previous year does not exceed five per cent of the said payment? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
		If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions:
	(bi)	Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>
	(bii)	Assessee falling u/s 44AD/44ADA/44AE/44BB but not offering income on presumptive basis (Tick applicable section) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 44AD, <input type="checkbox"/> 44ADA, <input type="checkbox"/> 44AE, <input type="checkbox"/> 44BB
	(biii)	Others (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>
	(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below
	(1)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /
	(2)	Name of the auditor signing the tax audit report
	(3)	Membership No. of the auditor
(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
(5)	Proprietorship/firm registration number	
(6)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm	

(7)	Date of report of the audit	
(8)	Acknowledgement number of the audit report	
(9)	UDIN	

(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
(dii)	If (di) is Yes, Whether the accounts have been audited u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Date of furnishing the audit report? DD/MM/YY	Acknowledgement number
(diii)	If liable to furnish other audit report, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under: (Please see Instruction)		
	Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)
			Acknowledgement number
(e)	If liable to audit under any Act other than the Income-tax act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?		
	Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section (DD/MM/YY)

NATURE OF BUSINESS		NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS (OTHER THAN THOSE DECLARING INCOME UNDER SECTIONS 44AD, 44ADA AND 44AE)		
S.No.	Code	Trade name of the proprietorship, if any	Description	
(i)	<i>[Please see instruction]</i>			
(ii)				
(iii)				

**Part A-BS** BALANCESHEET AS ON 31<sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2024 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION *(fill items below in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill item 6)*

SOURCES OF FUNDS		APPLICATION OF FUNDS		
SOURCES OF FUNDS	<b>1 Proprietor's fund</b>			
	a	Proprietor's capital		a
	b	Reserves and Surplus		
		i	Revaluation Reserve	bi
		ii	Capital Reserve	bii
		iii	Statutory Reserve	biii
		iv	Any other Reserve	biv
		v	Total (bi + bii + biii + biv)	
	c	Total proprietor's fund (a + bv)		bv 1c
	<b>2 Loan funds</b>			
	a	Secured loans		
		i	Foreign Currency Loans	ai
		ii	Rupee Loans	
			A From Banks	iiA
			B From others	iiB
			C Total (iiA + iiB)	iiC
		iii	Total (ai + iiC)	aiii
	b	Unsecured loans (including deposits)		
		i	From Banks	bi
		ii	From others	bii
	iii	Total (bi + bii)	biii	
c	Total Loan Funds (aiii + biii)		2c	
<b>3 Deferred tax liability</b>			3	
<b>4 Advances</b>				
	i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i	
	ii	From others	ii	
	iii	Total Advances (i + ii)	4iii	
<b>5 Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)</b>			5	
APPLICATION OF FUNDS	<b>1 Fixed assets</b>			
	a	Gross: Block		1a
	b	Depreciation		1b
	c	Net Block (a – b)		1c
	d	Capital work-in-progress		1d
	e	Total (1c + 1d)		1e
	<b>2 Investments</b>			
	a	Long-term investments		
		i	Government and other Securities - Quoted	ai
		ii	Government and other Securities – Unquoted	a ii
		iii	Total (ai + aii)	aiii
	b	Short-term investments		
		i	Equity Shares, including share application money	bi
		ii	Preference Shares	bii
		iii	Debentures	biii
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv	
c	Total investments (aiii + biv)		2c	
<b>3 Current assets, loans and advances</b>				
a	Current assets			
	i	Inventories		

NO ACCOUNT CASE	A	Stores/consumables including packing material	iA				
		B Raw materials	iB				
		C Stock-in-process	iC				
		D Finished Goods/Traded Goods	iD				
		E Total (iA + iB + iC + iD)		iE			
	ii	Sundry Debtors			aii		
	iii	Cash and Bank Balances					
		A	Cash-in-hand	iiiA			
		B	Balance with banks	iiiB			
		C	Total (iiiA + iiiB)		iiiC		
	iv	Other Current Assets			aiv		
	v	Total current assets (iE + aii + iiiC + aiv)			av		
	b	Loans and advances					
		i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi			
		ii	Deposits, loans and advances to corporates and others	bii			
		iii	Balance with Revenue Authorities	biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)		biv		
	c	Total of current assets, loans and advances (av + biv)			3c		
	d	Current liabilities and provisions					
		i	Current liabilities				
			A	Sundry Creditors	iA		
			B	Liability for Leased Assets	iB		
			C	Interest Accrued on above	iC		
			D	Interest accrued but not due on loans	iD		
	E	Total (iA + iB + iC + iD)			iE		
ii	Provisions						
	A	Provision for Income Tax	iiA				
	B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB				
	C	Other Provisions	iiC				
	D	Total (iiA + iiB + iiC)		iiD			
iii	Total (iE + iiD)			diii			
e	Net current assets (3c – diii)			3e			
4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a				
	b	Deferred tax asset	4b				
	c	Profit and loss account/ Accumulated balance	4c				
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d			
	5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d)				5	
	6	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31 <sup>st</sup> day of March, 2024, in respect of business or profession)					
	a	Amount of total sundry debtors		6a			
	b	Amount of total sundry creditors		6b			
	c	Amount of total stock-in-trade		6c			
	d	Amount of the cash balance		6d			

**Part A-Manufacturing Account** Manufacturing Account for the financial year 2023 - 24 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

NO ACCOUNT CASE	1	Debits to manufacturing account				
	A	Opening Inventory				
		i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		
	iii	Total (i + ii)		Aiii		
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B	
	C	Direct wages			C	
D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D		

	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses	iii		
	E	Factory Overheads			
	I	Indirect wages	i		
	ii	Factory rent and rates	ii		
	iii	Factory Insurance	iii		
	iv	Factory fuel and power	iv		
	v	Factory general expenses	v		
	vi	Depreciation of factory machinery	vi		
	vii	Total ( i + ii + iii + iv + v + vi )			Evi
	F	Total of Debits to Manufacturing Account ( Aiii + B + C + D + Evi )			1F
2		Closing Stock			
	i	Raw material	2i		
	ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)			2
3		Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account ( 1F - 2 )			3

Part A—Trading Account		Trading Account for the financial year 2023 -24 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
		A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)		
			i	Sale of goods	i
			ii	Sale of services	ii
			iii	Other operating revenues (specify nature and amount)	
			a		iiia
			b		iiib
			c	Total (iiia + iiib)	iiic
			iv	Total (i + ii + iiic)	Aiv
			B	Gross receipts from Profession	
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied		
			i	Union Excise duties	i
			ii	Service tax	ii
			iii	VAT/ Sales tax	iii
			iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv
			v	State Goods & Services Tax (SGST)	v
			vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi
			vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii
			viii	Any other duty, tax and cess	viii
			ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)	Cix
		D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)		4D
	5	Closing Stock of Finished Goods			5
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6
	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
		i	Carriage inward	9i	
		ii	Power and fuel	9ii	
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	9iii	
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
		i	Custom duty	10i	

	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii		
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix		
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
	xii	Total (10i+ 10ii+ 10iii+ 10iv+ 10v+ 10vi + 10vii + 10viii+ 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account		11	
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)		12	
	12a	Turnover from Intraday Trading		12a	
	12b	Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account		12b	

Part A-P& L		Profit and Loss Account for the financial year 2023-24 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)				
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)			13	
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
		xi	Any other income (specify nature and amount)			
		a		xia		
		b		xib		
		c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward			16	
	17	Consumption of stores and spare parts			17	
	18	Power and fuel			18	
	19	Rents			19	
	20	Repairs to building			20	
	21	Repairs to machinery			21	
	22	Compensation to employees				

i	Salaries and wages	22i		
ii	Bonus	22ii		
iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
iv	Leave encashment	22iv		
v	Leave travel benefits	22v		
vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
ix	Contribution to any other fund	22ix		
x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi
xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No	
	If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
<b>23 Insurance</b>				
i	Medical Insurance	23i		
ii	Life Insurance	23ii		
iii	Keyman's Insurance	23iii		
iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
<b>24 Workmen and staff welfare expenses</b>				
<b>25 Entertainment</b>				
<b>26 Hospitality</b>				
<b>27 Conference</b>				
<b>28 Sales promotion including publicity (other than advertisement)</b>				
<b>29 Advertisement</b>				
<b>30 Commission</b>				
i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
ii	To others	ii		
iii	Total (i + ii)			30iii
<b>31 Royalty</b>				
i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
ii	To others	ii		
iii	Total (i + ii)			31iii
<b>32 Professional / Consultancy fees / Fee for technical services</b>				



	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			32iii
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37
38	Guest House expenses				38
39	Club expenses				39
40	Festival celebration expenses				40
41	Scholarship				41
42	Gift				42
43	Donation				43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	Audit fee				45
46	Other expenses (specify nature and amount)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	Total (i + ii)			46iii
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)				
	i1				47 i1
	i2				47 i2
	i3				47 i3

	i	Rows can be added as required Total (47i1+47i2+47i3)	47i			
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)	47ii			
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	47iii			
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)		47iv		
48	Provision for bad and doubtful debts			48		
49	Other provisions			49		
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47 iv + 48 + 49)]			50		
51	Interest					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)		51iii		
52	Depreciation and amortization			52		
53	Net profit before taxes (50 - 51iii - 52)			53		
PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	54	Provision for current tax			54	
	55	Provision for Deferred Tax			55	
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)			56	
	57	Balance brought forward from previous year			57	
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)			58	
	59	Transferred to reserves and surplus			59	
	60	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (58 - 59)			60	
PRESUMPTIVE INCOME CASES	61 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD					
	SR.NO	Name of Business	Business code	Description		
	(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (iA + iB + iC) (61i limited to Rs.2 Crores, however if 61iB is less than or equal to 5% of 61i then the limit under 61i is extended to Rs.3 Crores.)			61i	
	A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	iA			
	B	Receipts in Cash	iB			
C	Any mode other than A and B	iC				
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iiA + iiB)			61ii	
	A	6% of 61iA, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiA			
	B	8% of (61iB+61iC), or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiB			
	<i>NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i>					
62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA					
	SR.NO	Name of Business	Business code	Description		

	(i)	Gross Receipts (62i limited to Rs.50 Lakh, however if 62iB is less than or equal to 5% of 62i then limit under 62i is extended to Rs.75 Lakh)			62i		
		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date			iA	
		B	Receipts in Cash			iB	
		C	Any mode other than A and B			iC	
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)			62ii		
		NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB					
	63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE					
		SR.NO	Name of Business		Business code	Description	
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/ hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher	
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(a)					
		(b)					
		Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)					
		Total					
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]				63(ii)	
		NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB					

NO ACCOUNT CASE	64	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2023-24 in respect of business or profession -				
		(i)	For assessee carrying on Business			
		a	Gross receipts (a1 + a2)		ia	
			1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date		a1
			2	Any other mode		a2
		b	Gross profit		ib	
		c	Expenses		ic	
		d	Net profit		64i	
		(ii)	For assessee carrying on Profession			
		a	Gross receipts (a1 + a2)		ii a	
			1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date		a 1
			2	Any other mode		a2
		b	Gross profit		ii b	
		c	Expenses		ii c	
	d	Net profit		64ii		
	(iii)	Total profit (64i + 64ii)			64iii	
	65	i	Turnover from speculative activity		65i	
		ii	Gross Profit		65ii	

	iii	Expenditure, if any	65iii		
	iv	Net income from speculative activity (65ii-65iii)	65iv		
<b>Part A- OI</b> Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB; for others, fill if applicable)					
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash			
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI (3) of Schedule ICDS]	3a		
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]	3b		
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year			
		a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
		d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
		e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
		a	the items falling within the scope of section 28	5a	
		b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
		c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
		d	any other item of income	5d	
		e	capital receipt, if any	5e	
		f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses			
		a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
		b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
		c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
		d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
		e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e	
		f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		

	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund setup under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m		
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	r	Any other disallowance	6r		
s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)			6s	
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37				
a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a			
b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b			
c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c			
d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d			
e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e			
f	Any other penalty or fine	7f			
g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g			
h	Amount of any liability of a contingent nature	7h			
i	Any other amount not allowable under section 37	7i			
j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)			7j	
8	A	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		

		<b>d</b>	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad			
		<b>e</b>	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae			
		<b>f</b>	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af			
		<b>g</b>	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag			
		<b>h</b>	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/40(ba)]	Ah			
		<b>i</b>	Any other disallowance	Ai			
		<b>j</b>	Total amount disallowable under section 40 (total of Aa to Ai)		8Aj		
	<b>B</b>		Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B		
<b>9</b>	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A						
	<b>a</b>	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)		9a			
	<b>b</b>	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)		9b			
	<b>c</b>	Provision for payment of gratuity [40A(7)]		9c			
	<b>d</b>	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]		9d			
	<b>e</b>	Any other disallowance		9e			
	<b>f</b>	Total amount disallowable under section 40A (total of 9a to 9e)				9f	
<b>10</b>	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year						
	<b>a</b>	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law		10a			
	<b>b</b>	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees		10b			
	<b>c</b>	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered		10c			
	<b>d</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation		10d			
	<b>da</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing		10da			
	<b>e</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank		10e			
	<b>f</b>	Any sum payable towards leave encashment		10f			
	<b>g</b>	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets		10g			

	<b>h</b>	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	<b>10h</b>		
	<b>i</b>	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)		<b>10i</b>	
<b>11</b>	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	<b>a</b>	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	<b>11a</b>		
	<b>b</b>	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	<b>11b</b>		
	<b>c</b>	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	<b>11c</b>		
	<b>d</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	<b>11d</b>		
	<b>da</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	<b>11da</b>		
	<b>e</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	<b>11e</b>		
	<b>f</b>	Any sum payable towards leave encashment	<b>11f</b>		
	<b>g</b>	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	<b>11g</b>		
	<b>h</b>	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	<b>11h</b>		
	<b>i</b>	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)		<b>11i</b>	
<b>12</b>	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	<b>a</b>	Union Excise Duty	<b>12a</b>		
	<b>b</b>	Service tax	<b>12b</b>		
	<b>c</b>	VAT/sales tax	<b>12c</b>		
	<b>d</b>	Central Goods & Service Tax (CGST)	<b>12d</b>		
	<b>e</b>	State Goods & Services Tax (SGST)	<b>12e</b>		
	<b>f</b>	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	<b>12f</b>		
	<b>g</b>	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	<b>12g</b>		
	<b>h</b>	Any other tax	<b>12h</b>		
	<b>i</b>	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		<b>12i</b>	
<b>13</b>	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA				<b>13</b>
<b>14</b>	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				<b>14</b>
<b>15</b>	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				<b>15</b>
<b>16</b>	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				<b>16</b>
<b>17</b>	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE <i>Tick</i> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes, please fill schedule TP SA]				<b>17</b>

Part A – QD		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)		
QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern			
	1	Opening stock	1	
	2	Purchase during the previous year	2	
	3	Sales during the previous year	3	
	4	Closing stock	4	
	5	Shortage/ excess, if any	5	
	(b) In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials		
	a	Opening stock	6a	
	b	Purchases during the previous year	6b	
	c	Consumption during the previous year	6c	
	d	Sales during the previous year	6d	
	e	Closing stock	6e	
	f	Yield finished products	6f	
	g	Percentage of yield	6g	
	h	Shortage/ excess, if any	6h	
	7	Finished products/ By-products		
	a	opening stock	7a	
	b	purchase during the previous year	7b	
	c	quantity manufactured during the previous year	7c	
d	sales during the previous year	7d		
e	closing stock	7e		
f	shortage/ excess, if any	7f		

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**

Schedule S		Details of Income from Salary		
SALARIES	Name of Employer	Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Drop down to be provided	TAN of Employer (mandatory if tax is deducted) 	
	Address of employer	Town/City	State 	
	Pin code/Zip code			
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)	1	
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	1a	
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	1b	
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c	
d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A	1d		
e	Income from retirement benefit account maintained in a country 'other than notified country' u/s 89A	1e		



f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year	1f	
<i>(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)</i>			
2	Total Gross Salary (from all employers)	2	
2a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A	2a	
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 <i>(drop-down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions)</i> <i>(Note-Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)</i>	3	
4	Net Salary (2 – 2a-3)	4	
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)	5	
a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a	
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b	
c	Professional tax u/s 16(iii)	5c	
6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)	6	

Schedule HP		Details of Income from House Property <i>(Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)</i>				
1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ Zip Code	
Is the property co-owned? <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No (if "YES" please enter following details)						
Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>						
Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property		
I						
II						
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out	Name(s) of Tenant(s) (if let out)	PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
	I					
	II					
a	Gross rent received or receivable or lettable value			1a		
b	The amount of rent which cannot be realized	1b				
c	Tax paid to local authorities	1c				
d	Total (1b + 1c)	1d				
e	Annual value (1a – 1d) <i>(nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)</i>			1e		
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)			1f		
g	30% of 1f	1g				
h	Interest payable on borrowed capital	1h				
i	Total (1g + 1h)			1i		
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%			1j		
k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)			1k		
(fill up details separately for each property)						

2	Pass through income/Loss if any *	2	
3	Income under the head "Income from house property" (1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
<b>NOTE ▶</b>	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass-through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head		
<b>NOTE ▶</b>	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.		

Schedule BP		Computation of income from business or profession		
<b>A From business or profession other than speculative business and specified business</b>				
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) and 65(iv) of P&L)	1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss) [Sl.no. 12b of Trading account + Sl.no. 65iv of Schedule P&L]	2a	
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss)	2b	
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a Salaries	3a
			b House property	3b
			c Capital gains	3c
			d Other sources	3d
			di Dividend income	3di
			dii other than Dividend income	3dii
			e u/s 115BBF	3e
			f u/s 115BBG	3f
	g u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition)	3g	(Item No. A of Schedule VDA)	
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44DA (drop down to be provided)	4a	
	4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture as individual line item)	4b	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt		
	a	Share of income from firm(s)	5a	
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b	
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)		
	i		ci	
	ii		cii	
	iii	Total (ci + cii)	5ciii	
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d		

6	Balance (1-2a-2b-3a-3b-3c-3d-3e-3f-3g-4a-4b-5d)				6		
7	a	Salaries	7a				
	b	House property	7b				
	c	Capital gains	7c				
	d	Other sources	7d				
	e	u/s 115BBF	7e				
	f	u/s 115BBG	7f				
	g	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition u/s 115BBH)	7g				
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a			
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)					8b	
9	Total (7a+7b+7c+7d+7e+7f+7g+8a+8b)			9			
10	Adjusted profit or loss (6+9)					10	
11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account					11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act						
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i				
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii				
	iii	Total (12i+12ii)				12iii	
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10+11-12iii)					13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6 s of Part A-OI)		14				
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7J of Part A-OI)		15				
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)		16				
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9F of Part A-OI)		17				
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (1i of Part A-OI)		18				
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		19				
20	Deemed income under section 41		20				
21	Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA		21				

22	Deemed income under section 43CA	22			
23	Any other item of addition under section 28 to 44DA	23			
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)	24			
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)	25			
26	Total (14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)				26
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27			
28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	28			
29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of Part A-OI)	29			
30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of Part A-OI)	30			
31	Any other amount allowable as deduction	31			
32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	32			
33	Total (27+28+29+30+31+32)				33
34	Income (13+26-33)				34
35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i	Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)	35i		
	ii	Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)	35ii		
	iii	Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)	35iii		
	iv	Section 44B	35iv		
	v	Section 44BB	35v		
	vi	Section 44BBA	35vi		
	vii	Section 44DA	35vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Total (35i to 35vii)			35viii
36	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35viii)				36
37	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+37b+37c+37d+37e+37f)				A37
	a	Income chargeable under Rule 7	37a		

	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	37b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	37c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	37d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	37e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 36)	37f		
	38	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(37a+37b+37c+37d+37e)]		38	
	<b>B</b> Computation of income from speculative business				
	39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)		39	
	40	Additions in accordance with section 28 to 44DA		40	
	41	Deductions in accordance with section 28 to 44DA		41	
	42	Income from speculative business (39+ 40 – 41) (if loss, take the figure to 6xvi of schedule CFL)		B42	
	<b>C</b> Computation of income from specified business under section 35AD				
	43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		43	
	44	Additions in accordance with section 28 to 44DA		44	
	45	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		45	
	46	Profit or loss from specified business (43 + 44 -45)		46	
	47	Deductions in accordance with section 35AD(1)		47	
	48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xvi of schedule CFL)		C48	
	49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)		C49	
	<b>D</b>				
	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' A37+B42+C48				D
	<b>E</b> Intra head set off of business loss of current year				
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
	ii	Income from speculative business	(B42)		
	iii	Income from specified business	(C48)		
	iv	Total loss set off (ii + iii)			
	v	Loss remaining after set off (i – iv)			
<b>NOTE</b> Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head					

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3a	Written down value on the first day of previous year				
	3b	Adjustment as per second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (Refer to rule 5)				
	3	Total (3a + 3b)				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
	11	Depreciation on 9 at half rate				
	12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7					
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days					
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)					

	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)					
	17	Net aggregate depreciation (15-16)					
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)					
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets					
	20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)					
	21	Written down value on the last day of previous year (6+9 -15) (enter 0 if result is negative)					

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3+4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)								

15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5+8-3-4-7-16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+9-12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)						
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	<b>1</b>	<b>Plant and machinery</b>						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d					
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c + 1d)					1e	
	<b>2</b>	<b>Building (not including land)</b>						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA - 14ii or 15ii as applicable)	2a					
	B	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA - 14iii or 15iii as applicable)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA - 14iv or 15iv as applicable)	2c					
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)					2d	
	<b>3</b>	<b>Furniture and fittings (Schedule DOA - 14v or 15v as applicable)</b>					<b>3</b>	
	<b>4</b>	<b>Intangible assets (Schedule DOA - 14vi or 15vi as applicable)</b>					<b>4</b>	
	<b>5</b>	<b>Ships (Schedule DOA - 14vii or 15vii as applicable)</b>					<b>5</b>	
<b>6</b>	<b>Total depreciation (1e+2d+3+4+5)</b>					<b>6</b>		

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets						
DEEMED CAPITAL GAINS	<b>1</b>	<b>Plant and machinery</b>						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iv)	1d					
	e	Total (1a + 1b + 1c + 1d)					1e	
	<b>2</b>	<b>Building (not including land)</b>						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA - 17i)	2a					
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA - 17ii)	2b					











			<b>NOTE</b> Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. ► In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.		
		2	From slump sale		
		a	i Fair market value as per Rule 11UAE(2)	2ai	
			ii Fair market value as per Rule 11UAE(3)	2aii	
			iii Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aiii	
			b Net worth of the undertaking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)
			c Balance (2aiii – 2b)	2c	
			d Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D below)	2d	
		e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)		B2e

		3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)		
		a	Full value of consideration	3a	
		b	Deductions under section 48		
		i	Cost of acquisition without indexation	bi	
			ii Cost of improvement without indexation	bii	
			iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
			iv Total (bi + bii + biii)	biv	
		c	Balance (3a – biv)	3c	
		d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)	3d	
		e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)		B3e
		4	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero-coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA		
		a	Full value of consideration	4a	
		b	Deductions under section 48		
		i	Cost of acquisition without indexation	bi	
			ii Cost of improvement without indexation	bii	
			iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
			iv Total (bi + bii + biii)	biv	
		c	Balance (4a – biv)	4c	
		d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)	4d	
		e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)		B4e
		5	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A		
		a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)	5a	
		b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5b	
		c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above (5a – 5b)		B5c
		6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)		
		a	LTCG computed without indexation benefit	6a	
		b	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)	6b	
		c	LTCG on share or debenture (6a-6b)		6c



				<b>b</b>	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	<b>ib</b>					
				<b>c</b>	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	<b>ic</b>					
				<b>ii</b>	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	<b>aii</b>					
				<b>iii</b>	Total (ic + ii)	<b>aiii</b>					
				<b>b</b>	Deductions under section 48						
				<b>i</b>	Cost of acquisition with indexation	<b>bi</b>					
				<b>ii</b>	Cost of improvement with indexation	<b>biv</b>					
				<b>iii</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	<b>bv</b>					
				<b>iv</b>	Total (bi + bii+biii)	<b>bvi</b>					
				<b>c</b>	Balance (10aiii – biv)	<b>10c</b>					
				<b>d</b>	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)	<b>10d</b>					
				<b>e</b>	Long-term Capital Gains on assets at B10 above (10c- 10d)				<b>B10e</b>		
<b>11 Amount deemed to be long-term capital gains</b>											
Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?											
<b>a</b> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not applicable. If yes, then provide the details below											
	<b>Sl.</b>	<b>Previous year in which asset transferred</b>	<b>Section under which deduction claimed in that year</b>	<b>New asset acquired/constructed</b>		<b>Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)</b>					
				<b>Previous year in which asset acquired/constructed</b>	<b>Amount utilized out of Capital Gains account</b>						
	<b>i</b>	2020-21	54/54D/54F/54G/54GA								
	<b>ii</b>	2021-22	54/54B/54D/54F/54G/54GA/54GB								
	<b>iii</b>	2022-23	54/54B/54D/54F/54G/54GA								
<b>b</b> Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'											
Total amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b)										<b>B11</b>	
<b>12 Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B12a1+B12a2+ B12b)</b>											
	<b>a</b>	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10%					<b>B12a</b>	<b>1</b>			
	<b>a</b>	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% - under sections other than u/s. 112A					<b>B12a</b>	<b>2</b>			
	<b>b</b>	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%					<b>B12b</b>				
<b>13 Amount of LTCG included in items B1 to B12 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA</b>											
	<b>Sl. No.</b>	<b>Amount of income</b>	<b>Item No. B1 to B12 above in which included</b>	<b>Country name &amp; Code</b>	<b>Article of DTAA</b>	<b>Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)</b>	<b>Whether TRC obtained (Y/N)</b>	<b>Section of I.T. Act</b>	<b>Rate as per I.T. Act</b>	<b>Applicable rate [lower of (6) or (9)]</b>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	<b>I</b>										
	<b>II</b>										
	<b>a</b>	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA									<b>B13a</b>

	<b>b</b>	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA			<b>B13b</b>		
<b>14</b>		Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e + B2e + B3e + B4e + B5f + B6c + B7e + B8f + B9c + B9f + B10e + B11 + B12 – B13a)			<b>B14</b>		
<b>C1</b>		Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)			<b>C</b>		
<b>C2</b>		Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)			<b>C2</b>		
<b>C3</b>		Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)			<b>C3</b>		
<b>D</b>		Information about deduction claimed against Capital Gains					
	<b>1</b>	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details					
		<b>a</b>	Deduction claimed u/s 54				
		<b>i</b>	Date of transfer of original asset	<b>ai</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>ii</b>	Cost of new residential house	<b>aii</b>			
		<b>iii</b>	Date of purchase /construction of new residential house	<b>aiii</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>iv</b>	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	<b>aiv</b>			
			<b>(iva)</b> Date of deposit	<b>(ivb)</b> Account number	<b>(ive)</b> IFS code		
			<i>dd/mm/yyyy</i>				
		<b>v</b>	Amount of deduction claimed	<b>av</b>			
		<b>b</b>	Deduction claimed u/s 54B				
		<b>i</b>	Date of transfer of original asset	<b>bi</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>ii</b>	Cost of new agricultural land	<b>bii</b>			
		<b>iii</b>	Date of purchase of new agricultural land	<b>biii</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>iv</b>	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	<b>biv</b>			
			<b>(iva)</b> Date of deposit	<b>(ivb)</b> Account number	<b>(ive)</b> IFS code		
			<i>dd/mm/yyyy</i>				
		<b>v</b>	Amount of deduction claimed	<b>bv</b>			
		<b>c</b>	Deduction claimed u/s 54D				
		<b>i</b>	Date of acquisition of original asset	<b>ci</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>ii</b>	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	<b>cii</b>			
		<b>iii</b>	Date of purchase of new land or building	<b>ciii</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>iv</b>	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	<b>civ</b>			
			<b>(iva)</b> Date of deposit	<b>(ivb)</b> Account number	<b>(ive)</b> IFS code		
			<i>dd/mm/yyyy</i>				
		<b>v</b>	Amount of deduction claimed	<b>cv</b>			
		<b>d</b>	Deduction claimed u/s 54EC				
		<b>i</b>	Date of transfer of original asset	<b>di</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>ii</b>	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees) (	<b>dii</b>			
		<b>iii</b>	Date of investment	<b>diii</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>iv</b>	Amount of deduction claimed	<b>div</b>			
		<b>e</b>	Deduction claimed u/s 54F				
		<b>i</b>	Date of transfer of original asset	<b>ei</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>ii</b>	Cost of new residential house	<b>eii</b>			
		<b>iii</b>	Date of purchase/construction of new residential house	<b>eiii</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>		
		<b>iv</b>	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	<b>eiv</b>			
			<b>(iva)</b> Date of deposit	<b>(ivb)</b> Account number	<b>(ive)</b> IFS code		
			<i>dd/mm/yyyy</i>				



	v	Amount of deduction claimed			ev					
	f	Deduction claimed u/s 54G								
	i	Date of transfer of original asset from urban area			fi	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset			fii					
	iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area			fiii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date			fiv					
		(iva)Date of deposit	(ivb) Account number	(ive) IFS code						
		dd/mm/yyyy								
	v	Amount of deduction claimed			fv					
	g	Deduction claimed u/s 54GA								
	i	Date of transfer of original asset from urban area			gi	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset			gii					
	iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ			giii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date			giv					
		(iva)Date of deposit	(ivb) Account number	(ive) IFS code						
		dd/mm/yyyy								
	v	Amount of deduction claimed			gv					
	h	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)								
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset			hi	dd/mm/yyyy				
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate			hii					
	iii	Date of investment			hiii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount of deduction claimed			hiv					
	i	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)			1i					
E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A 9a & B 13a which is chargeable under DTAA)										
Sl. Type of Capital Gain		Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss			Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off  (9=1-2-3-4-5-6-7-8)	
			15%	30%	applicable rate	DTA A rates	10%	20%		DTA A rates
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if figure computed is negative)		$(A3e^*+A4a^*+A8a^*)$	$(A5e^*+A8b^*)$	$(A1e^*+A2c^*+A4b^*+A6g^*+A7^*+A8c^*)$	$A9b$	$(B4e^*+B5c^*+B7e^*+B8c^*+B9c^*+B12a^*)$	$(B1e^*+B2e^*+B3e^*+B6c^*+B9f^*+B10e^*+B11^*+B12b^*)$	$B13b$	
ii	Short term capital	15%	$(A3e^*+A4a^*+A8a^*)$							
iii	Long term capital	30%	$(A5e^*+A8b^*)$							

iv	gain	applicable rate	$(A1e^*+A2c^*+A4b^*+A6g^*+A7^*+A8c^*)$							
v		DTAA rates	A9b							
vi		10%	$(B4e^*+B5c^*+B7e^*+B8c^*+B9c^*+B12a^*)$							
vii	Long term capital gain	20%	$(B1e^*+B2e^*+B3e^*+B6c^*+B9f^*+B10e^*+B11^*+B12b^*)$							
viii		DTAA rates	B13b							
ix	Total loss set off (ii+iii+iv+v+vi+vii+viii)									
x	Loss remaining after set off (i-ix)									
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A 9) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B 13) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
<b>F Information about accrual/receipt of capital gain</b>										
	Type of Capital gain / Date			Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)		
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>									
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>									
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i>									
4.	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>									
5	Long-term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>									
6	Long-term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>									
7	Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xii of schedule BFLA, if any.</i>									
8	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 17B of schedule SI, if any</i>									
<b>NOTE ▶</b>	Please include the income of the specified persons (referred to in Schedule SPI while computing the income under this head									





<b>Schedule VDA</b>	<b>Income from transfer of Virtual Digital Assets</b> <b>(Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)</b>					
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
<b>A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)</b>						<b>(Item No. A3g of Schedule BP)</b>
<b>B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)</b>						<b>(Item No. C2 of Schedule CG)</b>

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	<b>1</b>	<b>Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d+ 1e)</b>			<b>1</b>	
	<b>a</b>	<b>Dividends, Gross</b>		<b>1a</b>		
		<b>i</b>	<b>Dividend income other than ii</b>	<b>ai</b>		
		<b>ii</b>	<b>Dividend income u/s 2(22)(e)</b>	<b>aii</b>		
	<b>b</b>	<b>Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv + bvi + bvii + bviii + bix)</b>			<b>1b</b>	
		<b>i</b>	<b>From Savings Bank</b>	<b>bi</b>		
		<b>ii</b>	<b>From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)</b>	<b>bii</b>		
		<b>iii</b>	<b>From Income-tax Refund</b>	<b>biii</b>		
		<b>iv</b>	<b>In the nature of Pass-through income/Loss</b>	<b>biv</b>		
		<b>v</b>	<b>Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)</b>	<b>bv</b>		
		<b>vi</b>	<b>Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per Second proviso to section 10(11)</b>	<b>bvi</b>		
		<b>vii</b>	<b>Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)</b>	<b>bvii</b>		
		<b>viii</b>	<b>Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)</b>	<b>bviii</b>		
		<b>ix</b>	<b>Others</b>	<b>bix</b>		
	<b>c</b>	<b>Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross</b>			<b>1c</b>	
	<b>d</b>	<b>Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)</b>			<b>1d</b>	
		<b>i</b>	<b>Aggregate value of sum of money received without consideration</b>		<b>di</b>	
		<b>ii</b>	<b>In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property</b>		<b>dii</b>	
		<b>iii</b>	<b>In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration</b>		<b>diii</b>	
		<b>iv</b>	<b>In case any other property is received without consideration, fair market value of property</b>		<b>div</b>	
		<b>v</b>	<b>In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration</b>		<b>dv</b>	
	<b>e</b>	<b>Any other income (please specify nature)</b>			<b>1e</b>	
		<b>Sl. No.</b>	<b>Nature</b>			<b>Amount</b>
		<b>1</b>	<b>Family Pension</b>			
		<b>2</b>	<b>Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A</b>			
		<b>3</b>	<b>Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A</b>			
		<b>4</b>	<b>Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year</b>			
		<b>5</b>	<b>Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)</b>			
	<b>6</b>	<b>Any sum is received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)</b>				
	<b>Rows can be added as required</b>					
<b>2</b>	<b>Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e + 2f related to Sl. No. 1)</b>			<b>2</b>		
	<b>ai</b>	<b>Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB</b>		<b>2ai</b>		
	<b>aii</b>	<b>Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ</b>		<b>2aii</b>		
	<b>b</b>	<b>Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv + bv + bvi)</b>			<b>2b</b>	
		<b>i</b>	<b>Cash credits u/s 68</b>	<b>bi</b>		
		<b>ii</b>	<b>Unexplained investments u/s 69</b>	<b>bii</b>		
		<b>iii</b>	<b>Unexplained money etc. u/s 69A</b>	<b>biii</b>		

	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
	c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c	
		S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxx)			2d	
	i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	di			
	ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	dia			
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii			
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii			
	iv	Interest referred to in section 194LC (1)- chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@5%	div			
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv			
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi			
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii			
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)	dviii			
	ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix			
	x	Income by way of dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx			
	xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxii			
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxii			
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiii			
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiv			
	xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxv			
	xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	dxvi			
	xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxvii			
	xviii	Income by way of transfer of carbon credits- chargeable u/s 115BBG	dxviii			
	xix	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxix			

			xx	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E						dxx			
			e	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)								2e	
			f	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)								2f	
				Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai,1b to 1d & 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				I									
				II									

3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2d, 2e & 2f)										
	a(i)	Expenses / Deductions other than entered in "C" (in case of other than family pension)							3a(i)		
	a(ii)	Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)							3a(ii)		
	b	Depreciation (available only if income offered in 1.C of "Schedule OS")							3b		
	C	Interest expenditure on dividend u/s 57(1)(Available only if income offered in 1a)-							3c		
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value							3ci		
	d	Total							3d		
4	Amounts not deductible u/s 58										4
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A										5a
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										6
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										7
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses										
	a	Receipts							8a		
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only							8b		
	c	Amounts not deductible u/s 58							8c		
	d	Profits chargeable to tax u/s 59							8d		
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xvi of Schedule CFL)							8e		
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil, if negative)										9
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources										
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3				
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)									
	2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ									
	3	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)									
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PII Income)									



	5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PFI Income)						
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PFI Income)						
	7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PFI Income)						
	8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PFI Income)						
	9	Income from retirement benefit account maintained in a country specified u/s 89A but not claimed for relief from taxation u/s 89A						
	10	Dividend income chargeable at DTAA Rates						
<b>NOTE ▶</b>		Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.						

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Othersources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4	
i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(3 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)		
ii	Salaries	(6 of Schedule S)					
iii	House property	(3 of Schedule HP)					
iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A37 of Schedule BP)					
v	Speculative Income	(3ii of item E of Schedule BP)					
vi	Specified Business Income	(3iii of item E of Schedule BP)					
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)					
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)					
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)					
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)					
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)					
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)					

	xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of Schedule CG)				
	xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
	xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
	xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)				
	xvii	Total loss set off					
	xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					
<b>Schedule BFLA</b>		<b>Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years</b>					
<b>BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT</b>	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	Salaries	(5ii of Schedule CYLA)				
	ii	House property	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB)	(Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB)		
	iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
	v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
	vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of Schedule CYLA)				
	xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
	xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of Schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)						
xvii	Current year's income remaining after set off Total of (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)						



Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation u/s 115BAC(1A)	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
v	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit			
Sl. No.	ICDS	Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	Accounting Policies				
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
III	Construction Contracts				
IV	Revenue Recognition				
V	Tangible Fixed Assets				
VI	Changes in Foreign Exchange Rates				
VII	Government Grants				
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
IX	Borrowing Costs				
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets				
XI.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)				

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA				
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone					
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction	
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)	
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)	
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)				

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G						
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit						
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation	
					Donation in cash	Donation in other mode		Total Donation
		i						
		ii						

	iii	Total						
B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit							
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
	i							
	ii							
	iii	Total						
C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit							
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
	i							
	ii							
	iii	Total						
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit							
	Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i							
	ii							
	iii	Total						

**Schedule 80GGA**  
(applicable in the case of a partner of firm deriving only profit from the firm)

Details of donations for scientific research or rural development

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed ( <i>drop down to be provided</i> )	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
Total donation							

**Schedule 80GGC**

Details of contributions made to political parties

S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution			
i							
(add rows)							
Total contribution							

**Schedule 80DD**

Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability

Nature of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA	UDID Number (if available)
----------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------

					filed	
1. Dependent person with disability	1. Spouse					
2. Dependent person with severe disability	2. Son					
	3. Daughter					
	4. Father					
	5. Mother					
	6. Brother					
	7. Sister					
	8. Member of the HUF (in case of HUF)					

Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability		
Nature of disability		Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	UDID Number (If available)
1.	Self with disability			
2.	Self with severe disability			

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(iia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					

Schedule 80-IA			
a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	a1	Undertaking No. 1 (item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
		a2	Undertaking No. 2 (item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
b	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2)		b

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB	
a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
		a2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
b	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	b1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
		b2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
		d2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)		e

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE						
DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim			a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
					a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh			b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
					b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand			c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
					c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East						
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			da2	Undertaking no. 2				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			db2	Undertaking no. 2				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			dc2	Undertaking no. 2				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			dd2	Undertaking no. 2				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			de2	Undertaking no. 2				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			df2	Undertaking no. 2				(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			dh				
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			e				

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A				
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80C		b 80CCC		
	c	80CCD(1)		d 80CCD(1B)		
	e	80CCD(2)		f 80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	g	80DD		h 80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		

i	80E		j	80EE		
k	80EEA		l	80EEB		
m	80G		n	80GG		
o	80GGA		o(i)	80GGC		
Total Deduction under Part B (total of a to o(i))						1
<b>2 Part C - Deduction in respect of certain incomes</b>						
p	80-IA	(b of Schedule 80-IA)	q	80-IAB		
r	80-IB	(E of Schedule 80-IB)	s	80-IBA		
t	80-IC/80-IE	(e of Schedule 80-IC/80-IE)	u	80JJA		
v	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]	w	80QQB		
x	80RRB					
Total Deduction under Part C (total of p to w)						2
<b>3 Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction</b>						
i	80TTA		ii	80TIB		
iii	80U		iv	80CCH		
v	Any other Deduction as per the e-filing utility					
Total Deduction under Part CA and D (total of i, ii, iii, iv and v)						3
<b>4 Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)</b>						4

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC		
1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI	1		
2	Adjustment as per section 115JC(2)			
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"		2a	
b	Deduction claimed u/s 10AA		2b	
c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed		2c	
d	Total Adjustment (2a+2b+2c)	2d		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)	3		
a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any	3a		
b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)	3b		
4	Tax payable under section 115JC [(9% of (3a)+ 18.5% of (3b)] (if 3 is greater than Rs.20 lakh)	4		



Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD				
1	Tax under section 115JC in assessment year 2024-25 (1d of Part-B-TII)					1
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2024-25 (2i of Part-B-TII)					2
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D) = (B3) – (C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
	i	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
	viii	2020-21				
	ix	2021-22				
	x	2022-23				
	xi	2023-24				
xii	Current AY (enter 1 - 2, if 1 > 2 else enter 0)					
xiii	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item no 4 (C)]					5
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6

Schedule SPI		Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64							
S1 No	Name of person	PAN/Aadhaar No. of person (optional)					Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1									
2									
3									

Schedule SI		Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
SPECIAL RATE	1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	<input checked="" type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
	2	111A or Section 115AD(1)(b)(ii)-Proviso (STCG on shares units on which where STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	7a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	7b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	8	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	9	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
10	115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)		

	11	112 (LTCG on others)		<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)	
	12	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)		<input type="checkbox"/>	10	(5(x) of Schedule BFLA)	
	13	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA		<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
	14	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA		<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of Schedule BFLA)	
	15a	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)		<input type="checkbox"/>	30	(2ai of Schedule OS)	
	15b	115BBJ (Winning from online games)		<input type="checkbox"/>	30	(2aii of Schedule OS)	
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)		<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	
	17	115BBH (Tax on income from virtual digital asset)					
		A	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	(A3g of Schedule BP)	
		B	Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)	
	18	115BBF (Tax on income from patent)					
		A	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3e of Schedule BP)	
		B	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)	
	19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)					
		A	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3f of Schedule BP)	
		B	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)	
	20	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)		<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA		<input type="checkbox"/>		(part of 2f of Schedule OS)	
	22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%		<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%		<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. 112A		<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. other than section 112A			10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	26	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%		<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	27	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)		<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)	
	28	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)		<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)	
			<b>Total</b>				

Schedule IF		Information regarding partnership firms in which you are partner						
FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit i	Capital balance on 31 <sup>st</sup> March in the firm ii
	1							
	2							
	3							
4	Total							

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)			
EXEMPT INCOME	1	Interest income			1
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i	
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii	
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii	

	iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)					iv		
	v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						2	
	vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
	b	Measurement of agricultural land in Acre							
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)						3	
	4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA							
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)	
		I							
		II							
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax						4	
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)						5		
6	Total (1+2+3+4+5)						6		

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB							
Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current Year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PASS THROUGH INCOME	1. (drop down to be provided)			i	House property				
				ii	Capital Gains				
				a	Short term				
				a1	Section 111A				
				b	Long term				
				b1	Section 112A				
				B2	Sections other than 112A				
				iii	Other Sources				
				a	Dividend				
				b	Others				
				iv	Income claimed to be exempt				
				A	u/s 10(23FBB)				
				B	u/s .....				
				C	u/s .....				
2.				i	House property				
				ii	Capital Gains				
				A	Short term				
				a1	Section 111A				
				B	Long term				
				b1	Section 112A				
				b2	Sections other than 112A				

					iii	Other Sources			
					1	Dividend			
					2	Others			
					iv	Income claimed to be exempt			
					a	u/s 10(23FBB)			
					b	u/s .....			
					c	u/s .....			
<b>NOTE ▶</b> Please refer to the instructions for filling out this schedule.									

Schedule-TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a + b)					
		d	Total Additional tax payable (a + b + c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY Y)	Date 2 (DD/MM/YYYY Y)	Date 3 (DD/MM/YYYY Y)	Date 4 (DD/MM/YYYY Y)	Date 5 (DD/MM/YYYY Y)	Date 6 (DD/MM/YYYY Y)
	6	Name of Bank and Branch						
	7	BSR Code						
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
INCOME FROM OUTSIDE INDIA	Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-II)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)=(c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	Salary					
				ii	House Property					
				iii	Business or Profession					
				iv	Capital Gains					
				v	Other sources					
					Total					
	2			i	Salary					
				ii	House Property					
				iii	Business or Profession					
				iv	Capital Gains					
v				Other sources						
				Total						
<b>NOTE ▶</b> Please refer to the instructions for filling out this schedule.										



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
<b>A4</b> Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2023												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
<b>B</b> Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2023												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>C</b> Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2023												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>D</b> Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2023												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>E</b> Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2023 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
<b>F</b> Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												

Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, - (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
<b>NOTE</b>	Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.											

**Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code**

Name of the spouse						
PAN/Aadhaar No. of the spouse						
Whether books of account of spouse is audited u/s 44AB? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 44AB under this Act?						Yes/No
Whether books of account of spouse is audited u/s 92E? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 92E under this Act?						Yes/No
	Heads of Income	Receipts received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	House Property					
2	Business or profession					
3	Capital gains					
4	Other sources					
5	Total					

**Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)**

<b>DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES</b>	<b>A</b>	<b>Details of immovable assets</b>			
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	<b>B</b>	<b>Details of movable assets</b>			
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)			(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.
	(a)	Bank (including all deposits)			
	(b)	Shares and securities			
	(c)	Insurance policies			

	(d) Loans and advances given	
	(e) Cash in hand	
<b>C</b>	<b>Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof</b>	
<b>Sl. No.</b>	<b>Name and address of the firm(s)/ AOP(s)</b>	<b>PAN of the firm/ AOP</b>
		<b>Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>(i)</b>		
<b>(ii)</b>		
<b>D</b>	<b>Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)</b>	
<b>NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.</b>		

<b>Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>GSTIN No(s).</b>	<b>Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>NOTE ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately</b>		

<b>Schedule : Tax deferred on ESOP</b>		<b>Information related to Tax deferred - relating to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC</b>						
<b>PAN of the employer being an eligible startup</b>								
<b>DPIIT registration number of the employer</b>								
<b>DETAILS</b>	<b>Sl. No.</b>	<b>Assessment Year</b>	<b>Amount of Tax deferred brought forward</b>	<b>Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year</b>			<b>Amount of tax payable in the current Assessment Year</b>  (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	<b>Balance amount of tax deferred to be carried forward to be next Assessment years</b>  Col (3- 7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i) Fully (ii) Partly (iii) Not sold  Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3  (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No  If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2026-27 ) (Payment to be made in FY 2025-26)		
	2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	4	2024-25						



## PART-B

Part B – II		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1
	2	Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	2
	3	Profits and gains from business or profession	
		i Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i
		ii Profit and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii
		iii Profit and gains from specified business (3(iii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii
		iv Income chargeable to tax at special rates (3e, 3f & 3g of Schedule BP)	3iv
		v Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v
	4	Capital gains	
		a Short term	
		i Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai
		ii Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	a ii
		iii Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	a iii
		iv Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	a iv
		v Total Short-term (ai + a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	4av
		b Long-term	
		i Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi
		ii Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii
		iii Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii
		iv Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	4biv
	c Sum of Short-term/Long-term capital gains (4av+4biv) (enter nil if loss)	4c	
	d Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	4d	
	e Total capital gains (4c + 4d)	4e	
5	Income from other sources		
	a Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a	
	b Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b	
	c Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	5c	
	d Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)	5d	
6	Total of headwise income (1 + 2 + 3v + 4e + 5d)	6	
7	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)	7	
8	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of serial number (ii) to (xv) column 5 of Schedule CYLA + 5b + 3iv)	8	
9	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)	9	
10	Gross Total income (8-9) (also total of serial no (i) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 5b + 3iv)	10	
11	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10	11	
12	Deductions under Chapter VI-A		
	a Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (total of i, ii, iii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of BFLA]	12a	

	b	Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A)]	12b	
	c	Total (12a + 12b) [limited upto (10-11)]	12c	
13		Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)	13	
14		Total income (10 - 12c - 13)	14	
15		Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	15	
16		Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)	16	
17		Aggregate income (14-15+16)[applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	17	
18		Losses of current year to be carried forward (total of row xvi of Schedule CFL)	18	
19		Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	19	

Part B – TII		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a	
		b	Surcharge on (a) (if applicable)		1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c	
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d	
	2		Tax payable on total income			
		a	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI	2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c		
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)		2d	
		e	Rebate under section 87A		2e	
		f	Tax payable after rebate (2d – 2e)		2f	
		g	Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
			i @ 25% of 17(ii) of Schedule SI	2gi	ia	
				2g(ii)		
			ii @10% or 15%, as applicable (Refer Instructions)	2gii	iaa	
			iii On [(2f) – 17(ii) of Schedule SI- tax on income referred in 2G(ii) above ]]	2giii		
			iv Total (ia + iia)			2giv
		H	Health and Education Cess @ 4% on (2F+2Giii)		2H	
		I	Gross tax liability (2F+ 2Giv + 2H)		2I	
	3		Gross tax payable (higher of 1d and 2I)		3	
	3a		Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in <a href="#">section 80-IAC</a> (3-3b)		3a	
	3b		Tax deferred - relating to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in <a href="#">section 80-IAC</a>		3b	
	3c		Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)		3c	
	4		Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2I is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)		4	
	5		Tax payable after credit under section 115JD (3a + 3c - 4)		5	
6		Tax relief				
	a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	6a			
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	6b			
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)	6c			
	d	Total (6a + 6b + 6c)		6d		
7		Net tax liability (5 – 6d) (enter zero if negative)		7		
8		Interest and fee payable				

	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)			8a	
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)			8b	
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)			8c	
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)			8d	
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e	
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9	
TAXES PAID	10	Taxes Paid				
	a	Advance Tax (from column 5 of 17A)		10a		
	b	TDS (total of column 5 of 18B and column 9 of 17C)		10b		
	c	TCS (column 7(i) of 17D)		10c		
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)		10d		
e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)			10e		
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12	
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				Select Yes or No
	i.	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India ( )	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)
		I				
		II				
	Note: 1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2) In case of multiple accounts the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.					
	Rows can be added as required					
	ii. b) Non - residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:					
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN	
	1					
	14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]			o Yes	o No

15	If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:				
	Identification No. of TRP		Name of TRP		Counter Signature of TRP
	If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof				16
17	TAX PAYMENTS				
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax				
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
iv					
	<b>NOTE</b> ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl. No. 10a & 10d of Part B-TTI				
B	Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]				
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer	Name of the Employer	Income chargeable under Salaries	Total tax deducted
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I				

II																													
NOTE ▶ Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI																													

C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C /16D/16E furnished by Deductor(s) ]																
Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY 2023-24)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward			
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
							Income	TDS				Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.		
i																
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI																

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]											
Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37i(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward	
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37i(1) (if applicable)		
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)	
									TCS	PAN	
i											
NOTE ▶ Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI											

VERIFICATION

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making returns in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date	Place		Sign here → ”;
------	-------	--	----------------

(c) for FORM ITR-5, the following FORM shall be substituted, namely: —

“FORM	ITR-5	INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons other than- (i) individual, (ii) HUF, (iii) company and (iv) person filing Form ITR-7] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules,1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	4	-	2

Part A-GEN		GENERAL					
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name			(A2) PAN			
	(A3) Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name			(A4) Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) issued by MCA, if applicable			
	(A7) Flat/Door/Block No	(A8) Name of Premises/Building/Village		(A5) Date of formation (DDMMYYYY)			
				(A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)			
	(A9) Road/Street/Post Office	(A10) Area/Locality	Status (firm- <i>Isub-status-Partnership Firm, LLP, local authority-2, AOP/BOI- 3 sub-status- other cooperative bank, other cooperative society, society registered under society registration Act, 1860 or any other Law corresponding to that state, Primary agricultural credit society/cooperative bank, Rural development bank, Business trust, investment fund, Trust other than trust eligible to file Return in ITR 7, any other AOP/BOI,, artificial juridical person-4, sub-status- Estate of the deceased, Estate of the insolvent, Other AJP),</i>			<input type="checkbox"/>	
	(A11) Town/City/District		(A12) State	(A13) Pin code/Zip code			
			(A14) Country				
	(A15) Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1			(A16) Mobile No. 2			
(A17) Email Address -1			(A18) Email Address -2				
FILING STATUS	A19(ai)	Due date for filing return of income [Dropdown to be provided]: 1. 31st July 2. 31st October 3. 30th November					
	A19(ai)	(1) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay.				
		(2) Or Filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C				
		(3) Whether you are a business trust?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
		4) Whether you are an investment fund referred to in section 115UB?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
	(b)	If revised/Defective/ in response to notice for Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)			/ /		
	(c)	If filed in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	(unique number)	/ /			

(di)	Have you exercised the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes, within the due date <input type="checkbox"/> Yes, but beyond the due date ( If option other than 'No' is selected, please furnish date of filing and Acknowledgement number of form 10-IEA) Note-For Opting out, option in form 10-IEA should be exercised on or before the due date for filing return u/s 139(1)						
(dii)	Have you opted for tax regime u/s 115BAD? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of Form 10-IF & acknowledgment number.						
(diii)	If "No", Option for current assessment year <input type="checkbox"/> Not opting <input type="checkbox"/> opting it now . If "opting it now", please furnish		Date of filing of form 10-IF DD/MM/YYYY		Acknowledgement number:		
(div)	Are you a new manufacturing co-operative society opting for taxation u/s 115BAE? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If yes, please furnish date of filing of Form 10-IFA & acknowledgment number) Note-Option in form 10-IFA should be exercised on or before the due date for filing return u/s 139(1)						
(e)	Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident						
(f)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
(g)	Whether you are recognized as start up by DPIIT		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(h)	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT						
(i)	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(j)	If yes, please provide the certification number						
(k)	Whether you are recognized as MSME		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(l)	If yes, please provide registration number allotted as per MSMED Act, 2006						
(m)	In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
(n)	In the case of non-resident, is there a significant economic presence (SEP) in India as defined in Explanation (2A) to section 9(1) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i)						
(o)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.						
(p)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -						
	(1)	Name of the representative assessee					
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)					
	(3)	Address of the representative assessee					
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee					
(q)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information						
	Name of Firm		PAN				
(r)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares						
	Name of company	Type of company	PAN	Opening balance	Shares acquired during the year	Shares transferred during the year	Closing balance

			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

AUDIT INFORMATION	s	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)												
		LEI Number						Valid upto date						
	a	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
	a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
	a2i	If No, whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business is between Rs.1 crore and Rs.10 crores? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> turnover exceeds 10 crores												
	a2ii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash, & non-a/c payee cheque/DD does not exceed five per cent of the said amount? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
	a2iii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc. & non-a/c payee cheque/DD during the previous year, in cash, does not exceed five per cent of the said payment? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
	b	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
		If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions:												
	bi	Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>												
	bii	Assessee falling u/s 44AD/44ADA/44AE/44BB but not offering income on presumptive basis (Tick applicable section) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 44AD, <input type="checkbox"/> 44ADA, <input type="checkbox"/> 44AE, <input type="checkbox"/> 44BB												
	biii	Others (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>												
	c	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information-												
		(i)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /											
		(ii)	Name of the auditor signing the tax audit report											
		(iii)	Membership no. of the auditor											
		(iv)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)											
		(v)	Proprietorship/firm registration number											
		(vi)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)											
		(vii)	Date of audit report											
	(viii)	Acknowledgement number of the audit report												
	(ix)	UDIN												
di	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
dii	If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s 92E?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY		Acknowledgement number			
diii	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under) (Please see Instructions)													
	Sl. No.	Section Code				Date (DD/MM/YYYY)				Acknowledgement Number				

PARTNERS/MEMBERS/TRUST INFORMATION	e	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report									
		<i>Act and section</i>			(DD/MM/YY)		<i>Act and section</i>			(DD/MM/YY)	
	A	Whether there was any change during the previous year in the partners/members of the firm/AOP/BOI (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (In case of societies and cooperative banks give details of Managing Committee) If Yes, provide the details in respect of admitted/retired partners.									
		Sl. No.	Name of the Partner/member	Admitted/Retired	PAN	Date of admission/retirement	Remuneration paid/payable in case of retiring partner (in the case of a firm)	Percentage of share (if determinate)			
		1.									
		2.									
	B	Is any member of the AOP/BOI/executor of AJP a foreign company? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No									
	C	If Yes, mention the percentage of share of the foreign company in the AOP/BOI/executor of AJP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
	D	Whether total income of any member of the AOP/BOI/executor of AJP (excluding his share from such association or body or executor of AJP) exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in the case of that member? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No									
	E	Particulars of persons who were partners/members in the firm/AOP/BOI or settlor/trustee/beneficiary in the trust or executors in the case of estate of deceased / estate of insolvent as on 31 <sup>st</sup> day of March, 2024 or date of dissolution									
	S.No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number/Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)	Designated Partner Identification Number, in case partner in LLP	Status (see instructions)	Rate of Interest on Capital	Remuneration paid/payable		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
For persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)	F	To be filled in case of persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)									
	1	Whether shares of the beneficiary are determinate or known?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	2	Whether the person referred in section 160(1)(iv) has Business Income?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	3	Whether the person referred in section 160(1)(iv) is declared by a Will and/or is exclusively for the benefit of any dependent relative of the settlor and/or is the only trust declared by the settlor?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	4	Please furnish the following details (as applicable):									
	(i)	Whether all the beneficiaries have income below basic exemption limit?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	(ii)	Whether the relevant income or any part thereof is receivable under a trust declared by any person by will and such trust is the only trust so declared by him?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
(iii)	Whether the trust is non-testamentary trust created before 01-03-1970 for the exclusive benefit of relatives/member of HUF of the settlor mainly dependent on him/Family?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			



		(iv)	Whether the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bona fide by a person carrying on Business or profession exclusive for the employees in such Business or Profession?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
NATURE OF BUSINESS	G	Nature of business or profession, if more than one business or profession, indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under sections 44AD, 44ADA and 44AE)		
	S.N o.	Code [Please see instruction]	Trade name of the business, if any	Description
	(i)			
	(ii)			

Part A-BS		BALANCESHEET AS ON 31 <sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2024 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill item C)			
SOURCES OF FUNDS	<b>A Sources of Funds</b>				
	<b>1 Partners' / members' fund</b>				
	<b>a Partners' / members' capital</b>		<b>a</b>		
	<b>b Reserves and Surplus</b>				
	<b>i Revaluation Reserve</b>		<b>bi</b>		
	<b>ii Capital Reserve</b>		<b>bii</b>		
	<b>iii Statutory Reserve</b>		<b>biii</b>		
	<b>iv Any other Reserve</b>		<b>biv</b>		
	<b>v Credit balance of Profit and loss account</b>		<b>bv</b>		
	<b>vi Total (bi + bii + biii + biv + bv)</b>		<b>bvi</b>		
	<b>c Total partners' / members' fund (a + bvi)</b>		<b>1c</b>		
	<b>2 Loan funds</b>				
	<b>a Secured loans</b>				
	<b>i Foreign Currency Loans</b>		<b>ai</b>		
	<b>ii Rupee Loans</b>				
	<b>A From Banks</b>		<b>iiA</b>		
	<b>B From others</b>		<b>iiB</b>		
	<b>C Total (iiA + iiB)</b>		<b>iiC</b>		
	<b>iii Total secured loans (ai + iiC)</b>		<b>aiii</b>		
	<b>b Unsecured loans (including deposits)</b>				
<b>i Foreign Currency Loans</b>		<b>bi</b>			
<b>ii Rupee Loans</b>					
<b>A From Banks</b>		<b>iiA</b>			
<b>B From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act</b>		<b>iiB</b>			
<b>C From others</b>		<b>iiC</b>			
<b>D Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC)</b>		<b>iiD</b>			
<b>iii Total unsecured loans (bi + iiD)</b>		<b>Biii</b>			
<b>c Total Loan Funds (aiii + Biii)</b>		<b>2c</b>			
<b>3 Deferred tax liability</b>		<b>3</b>			
<b>4 Advances</b>					
<b>i From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act</b>		<b>i</b>			
<b>ii From others</b>		<b>ii</b>			
<b>iii Total Advances (I + ii)</b>		<b>4iii</b>			
<b>5 Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)</b>		<b>5</b>			

APPLICATION OF FUNDS	<b>B Application of funds</b>					
	<b>1</b>	<b>Fixed assets</b>				
		<b>a</b>	<b>Gross: Block</b>	<b>1a</b>		
			<b>b Depreciation</b>	<b>1b</b>		
			<b>c Net Block (a – b)</b>	<b>1c</b>		
			<b>d Capital work-in-progress</b>	<b>1d</b>		
			<b>e Total (1c + 1d)</b>		<b>1e</b>	
		<b>2</b>	<b>Investments</b>			
			<b>a</b>	<b>Long-term investments</b>		
				<b>i</b>	<b>Investment in property</b>	<b>i</b>
				<b>ii Equity instruments</b>		
				<b>A</b>	<b>Listed equities</b>	<b>iiA</b>
				<b>B</b>	<b>Unlisted equities</b>	<b>iiB</b>
				<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>iiC</b>
				<b>iii</b>	<b>Preference shares</b>	<b>iii</b>
				<b>iv</b>	<b>Government or trust securities</b>	<b>iv</b>
				<b>v</b>	<b>Debenture or bonds</b>	<b>v</b>
				<b>vi</b>	<b>Mutual funds</b>	<b>vi</b>
				<b>vii</b>	<b>Others</b>	<b>vii</b>
				<b>viii Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii)</b>		<b>aviii</b>
				<b>b Short-term investments</b>		
				<b>i Equity instruments</b>		
				<b>A</b>	<b>Listed equities</b>	<b>iA</b>
				<b>B</b>	<b>Unlisted equities</b>	<b>iB</b>
				<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>iC</b>
				<b>ii</b>	<b>Preference shares</b>	<b>ii</b>
				<b>iii</b>	<b>Government or trust securities</b>	<b>iii</b>
				<b>iv</b>	<b>Debenture or bonds</b>	<b>iv</b>
				<b>v</b>	<b>Mutual funds</b>	<b>v</b>
				<b>vi</b>	<b>Others</b>	<b>vi</b>
				<b>vii Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi)</b>		<b>bvii</b>
				<b>c Total investments (aviii + bvii)</b>		<b>2c</b>
	<b>3</b>	<b>Current assets, loans and advances</b>				
		<b>a</b>	<b>Current assets</b>			
			<b>i Inventories</b>			
			<b>A</b>	<b>Raw materials</b>	<b>iA</b>	
			<b>B</b>	<b>Work-in-progress</b>	<b>iB</b>	
			<b>C</b>	<b>Finished goods</b>	<b>iC</b>	
			<b>D</b>	<b>Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)</b>	<b>iD</b>	
			<b>E</b>	<b>Stores/consumables including packing material</b>	<b>iE</b>	
			<b>F</b>	<b>Loose tools</b>	<b>iF</b>	
			<b>G</b>	<b>Others</b>	<b>iG</b>	
			<b>H Total (iA + iB + iC + iD + iE + iF + iG)</b>		<b>iH</b>	
			<b>ii Sundry Debtors</b>			
			<b>A</b>	<b>Outstanding for more than one year</b>	<b>iiA</b>	
			<b>B</b>	<b>Others</b>	<b>iiB</b>	
			<b>C Total Sundry Debtors</b>		<b>iiC</b>	

NO ACCOUNT CASE	C	iii	Cash and bank balances			
		A	Balance with banks	iiiA		
		B	Cash-in-hand	iiiB		
		C	Others	iiiC		
		D	Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)		iiiD	
		iv	Other Current Assets		aiv	
		v	Total current assets (iH + iiC + iiiD + aiv)		av	
		b	Loans and advances			
		i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi		
		ii	Deposits, loans and advances to corporate and others	bii		
		iii	Balance with Revenue Authorities	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)		biv	
		v	Loans and advances included in biv which is			
		a	for the purpose of business or profession	va		
		b	not for the purpose of business or profession	vb		
		c	Total (av + biv)		3c	
		d	Current liabilities and provisions			
		i	Current liabilities			
		A	Sundry Creditors			
		1	Outstanding for more than one year	1		
		2	Others	2		
		3	Total (1 + 2)		A3	
		B	Liability for leased assets		iB	
		C	Interest Accrued and due on borrowings		iC	
		D	Interest accrued but not due on borrowings		iD	
E	Income received in advance		iE			
F	Other payables		iF			
G	Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF)		iG			
ii	Provisions					
A	Provision for Income Tax	iiA				
B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB				
C	Other Provisions	iiC				
D	Total (iiA + iiB + iiC)		iiE			
iii	Total (iE + iiD)		diii			
e	Net current assets (3c - diii)		3e			
4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a			
b	Deferred tax asset		4b			
c	Debit balance in Profit and loss account/accumulated balance		4c			
d	Total (4a + 4b + 4c)		4d			
5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d)		5			
	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 <sup>st</sup> day of March, 2024, in respect of business or profession					
	1	Amount of total sundry debtors	C1			
	2	Amount of total sundry creditors	C2			

	3	Amount of total stock-in-trade	C3	
	4	Amount of the cash balance	C4	

Part A- Manufacturing account		Manufacturing Account for the financial year 2023-24 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)			
	1	Debits to Manufacturing Account			
	A	Opening Inventory			
		i	Opening stock of raw-material	i	
		ii	Opening stock of Work in progress	ii	
		iii	Total (i + ii)	Aiii	
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B
	C	Direct wages			C
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D
		i	Carriage inward	i	
		ii	Power and fuel	ii	
		iii	Other direct expenses	iii	
	E	Factory Overheads			
		i	Indirect wages	i	
		i	Factory rent and rates	ii	
		iii	Factory Insurance	iii	
		iv	Factory fuel and power	iv	
		v	Factory general expenses	v	
		vi	Depreciation of factory machinery	vi	
		vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)	Evii	
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			F
	2	Closing Stock			
		i	Raw material	2i	
		ii	Work-in-progress	2ii	
		Total (2i + 2ii)			2
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F-2)			3

Part A-Trading Account		Trading Account for the financial year 2023-24 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)				
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations				
		A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
			i	Sale of goods	i	
			ii	Sale of services	ii	
			iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
			a		iiia	
			b		iiib	
			c	Total (iiia + iiib)	iiic	
			iv	Total (i + ii + iiic)	Aiv	
		B	Gross receipts from Profession			B
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
			i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii		
		iii	VAT/ Sales tax	iii		
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		

	v	State Goods & Services Tax (SGST)	v			
	vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi			
	vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii			
	viii	Any other duty, tax and cess	viii			
	ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)	Cix			
D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)			4D		
5	Closing Stock of Finished Goods			5		
6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6		
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7	
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8	
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9	
	i	Carriage inward	i			
	ii	Power and fuel	ii			
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii			
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
	i	Custom duty	10i			
	ii	Counter veiling duty	10ii			
	iii	Special additional duty	10iii			
	iv	Union excise duty	10iv			
	v	Service tax	10v			
	vi	VAT/ Sales tax	10vi			
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii			
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
xi	Any other tax, paid or payable	10xi				
xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii		
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11		
12	Gross Profit from Business/Profession – transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12		
12a	Turnover from Intraday Trading			12a		
12b	Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account			12b		

## Part A-P &amp; L

Profit and Loss Account for the financial year 2023-24 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)			13	
	14	Other income				
	i	Rent	i			
	ii	Commission	ii			
	iii	Dividend income	iii			
	iv	Interest income	iv			
	v	Profit on sale of fixed assets	v			
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
	vii	Profit on sale of other investment	vii			
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (FMV of inventory as on the date of conversion)	ix				

	x	Agricultural income	x			
	xi	Any other income ( <i>specify nature and amount</i> )				
	a		xia			
	b		xib			
	c	Total (xia + xib)	xic			
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)		14xii		
15		Total of credits to profit and loss account (13+14xii)		15		
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward		16		
	17	Consumption of stores and spare parts		17		
	18	Power and fuel		18		
	19	Rents		19		
	20	Repairs to building		20		
	21	Repairs to machinery		21		
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		
		ii	Bonus	22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
		iv	Leave encashment	22iv		
		v	Leave travel benefits	22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
		ix	Contribution to any other fund	22ix		
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
		xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi	
		xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiiia	Yes / No	
			If Yes, amount paid to non-residents	xiiib		
	23		Insurance			
		i	Medical Insurance	23i		
		ii	Life Insurance	23ii		
		iii	Keyman's Insurance	23iii		
		iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
		v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
	24		Workmen and staff welfare expenses		24	
	25		Entertainment		25	
	26		Hospitality		26	
27		Conference		27		
28		Sales promotion including publicity (other than advertisement)		28		
29		Advertisement		29		
30		Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)		30iii		
31		Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			

	iii	Total (i + ii)			31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		i		
	ii	To others		ii		
	iii	Total (i + ii)			32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging					33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling					34
35	Foreign travelling expenses					35
36	Conveyance expenses					36
37	Telephone expenses					37
38	Guest House expenses					38
39	Club expenses					39
40	Festival celebration expenses					40
41	Scholarship					41
42	Gift					42
43	Donation					43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)					
	i	Union excise duty		44i		
	ii	Service tax		44ii		
	iii	VAT/ Sales tax		44iii		
	iv	Cess		44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)		44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)		44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)		44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)		44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT		44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x	
45	Audit fee					45
46	Salary/Remuneration paid to Partners of the firm					46
47	Other expenses (specify nature and amount)					
	i			i		
	ii			ii		
	iii	Total (i + ii)			47iii	
48	Bad debts (specify PAN/ Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)					
	i(1)				48i(1)	
	i(2)				48i(2)	
	i(3)				48i(3)	
	i	(Rows can be added as required) Total [48i(1)+48i(2)+48i(3)]			48i	
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/ Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)			48ii	
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)			48iii	
	iv	Total Bad Debt (48i + 48ii + 48iii)			48iv	
49	Provision for bad and doubtful debts					49
50	Other provisions					50
51	Profit before interest, depreciation and taxes [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]					51
52	Interest					

		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or to a foreign company		i				
		ii	To others		ii				
		iii	Total (i+ii)			52iii			
	53	Depreciation and amortisation					53		
	54	Net profit before taxes (51 – 52iii – 53)					54		
PROVISIONS PROVISION FOR TAX AND APPROPRIATIONS	55	Provision for current tax					55		
	56	Provision for Deferred Tax					56		
	57	Profit after tax (54 – 55 – 56)					57		
	58	Balance brought forward from previous year					58		
	59	Amount available for appropriation (57 + 58)					59		
	60	Transferred to reserves and surplus					60		
	61	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (59 – 60)					61		
PRESUMPTIVE INCOME CASES	62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)							
		SR.NO.	Name of Business		Business code	Description			
		(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (iA + iB + iC) (62i limited to Rs. 2 Crores, however if 62iB is less than or equal to 5% of 62i then the limit under 62i is extended to Rs. 3 Crores.)				62i		
		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date		iA				
		B	Receipts in Cash		iB				
		C	Any mode other than A and B		iC				
		(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iiA + iiB)				62ii		
		A	6% of 62iA, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		iiA				
		B	8% of (62iB + 62iC), or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		iiB				
		<i>NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i>							
		63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)						
			SR.NO.	Name of Business		Business code	Description		
	(i)	Gross Receipts (63i limited to Rs. 50 Lakh, however if 63iB is less than or equal to 5% of 63i then limit under 63i is extended to Rs. 75 Lakh)				63i			
	A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date		iA					
	B	Receipts in Cash		iB					
	C	Any mode other than A and B		iC					
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 63i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)				63ii			
	<i>NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i>								
	64	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE							
		SR.NO.	Name of Business		Business code	Description			
			<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/leased/hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>		



		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		(a)							
		(b)							
		Total							
Add row options as necessary									
		(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 64(i)]					64(ii)	
		(iii)	Less: Salary/Remuneration to Partners of the firm					64(iii)	
		(iv)	Total Presumptive Income u/s 44AE (ii-iii)					64(iv)	
NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned at any time during the year exceeds 10, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under 44AB.									
NO ACCOUNT CASE	65	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2023-24 in respect of business or profession -							
		(i)	For assessee carrying on Business						
		a	Gross receipts (a1 + a2)				ia		
			1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date			a1		
			2	Any other mode			a2		
		b	Gross profit				ib		
		c	Expenses				ic		
		d	Net profit				65i		
		(ii)	For assessee carrying on Profession						
		a	Gross receipts (a1 + a2)				ia		
			1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date			a1		
			2	Any other mode			a2		
		b	Gross profit				iib		
		c	Expenses				iic		
		d	Net profit				65ii		
	(iii)	Total profit (65i + 65ii)				65iii			
	66	i	Turnover from speculative activity				66i		
		ii	Gross Profit				66ii		
		iii	Expenditure, if any				66iii		
		iv	Net income from speculative activity (66ii-- 66iii)				66iv		

Part A- OI		Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB, for others, fill if applicable)					
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash <input type="checkbox"/>					
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(3) of Schedule ICDS]					3a
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]					3b
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year					
		a	Raw Material (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)				<input type="checkbox"/>
		b	Finished goods (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)				<input type="checkbox"/>
		c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
		d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A				4d
		e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A				4e
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -					
		a	the items falling within the scope of section 28			5a	

	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b		
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c		
	d	any other item of income	5d		
	e	capital receipt, if any	5e		
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-				
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a		
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b		
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iiia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m		
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	r	Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6r		
	s	Any other disallowance	6s		
	t	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6s)		6t	
	u	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)			
		i deployed in India	i		
		ii deployed outside India	ii		
		iii Total	iii		
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section				
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		

	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or	7c		
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	f	Any other penalty or fine	7f		
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	h	Amount of any liability of a contingent nature	7h		
	i	Any other amount not allowable under section 37	7i		
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)		7j	
8	A.	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
	c	Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af		
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah		
	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40 (total of Aa to Ai)		8Aj	
	B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
9		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Marked to market loss or other expected loss except as allowable u/s 36(1)(xviii) [40A(13)]	9e		
	f	Any other disallowance	9f		
	g	Total amount disallowable under section 40A		9g	
10		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		

	<b>b</b>	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	<b>c</b>	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	<b>d</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	<b>da</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government	10da		
	<b>e</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	<b>f</b>	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	<b>g</b>	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	<b>h</b>	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	10h		
	<b>i</b>	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)		10i	
<b>11</b>	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	<b>a</b>	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	<b>b</b>	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	<b>c</b>	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	<b>d</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	<b>da</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da		
	<b>e</b>	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	<b>f</b>	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	<b>g</b>	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	<b>h</b>	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	11h		
	<b>i</b>	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)		11i	
<b>12</b>	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	<b>a</b>	Union Excise Duty	12a		
	<b>b</b>	Service tax	12b		

	c	VAT/sales tax	12c		
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	h	Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)	12i		
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC			13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15	
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16	
17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes, please fill schedule TPSA]			17	

Part A – QD		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)				
QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern					
	1	Opening stock		1		
	2	Purchase during the previous year		2		
	3	Sales during the previous year		3		
	4	Closing stock		4		
	5	Shortage/ excess, if any		5		
	(b) In the case of a manufacturing concern					
	6	Raw materials				
		a Opening stock		6a		
		b Purchases during the previous year		6b		
		c Consumption during the previous year		6c		
		d Sales during the previous year		6d		
		e Closing stock		6e		
		f Yield finished products		6f		
		g Percentage of yield		6g		
		h Shortage/ excess, if any		6h		
	7	Finished products/ By-products				
		a opening stock		7a		
		b purchase during the previous year		7b		
		c quantity manufactured during the previous year		7c		
	d sales during the previous year		7d			
	e closing stock		7e			
	f shortage/ excess, if any		7f			

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)						
<b>HOUSE PROPERTY</b>	<b>1</b>	Address of property 1		Town/ City	State	Country	PIN Code/ Zip code	
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)							
	Assessee's percentage of share in the property % <input type="text"/>							
	Name of other Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property (%)			
	I							
	II							
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)		PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
	<input type="checkbox"/> Let out		I					
	<input type="checkbox"/> Deemed let out		II					
	<b>A</b>		Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year; lower of the two if let out for part of the year)				<b>1a</b>	
	<b>B</b>		The amount of rent which cannot be realized		<b>1b</b>			
	<b>C</b>		Tax paid to local authorities		<b>1c</b>			
	<b>D</b>		Total (1b + 1c)		<b>1d</b>			
	<b>E</b>		Annual value (1a – 1d)				<b>1e</b>	
	<b>F</b>		Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				<b>1f</b>	
<b>G</b>		30% of 1f		<b>1g</b>				
<b>H</b>		Interest payable on borrowed capital		<b>1h</b>				
<b>I</b>		Total (1g + 1h)				<b>1i</b>		
<b>J</b>		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%				<b>1j</b>		
<b>K</b>		Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)				<b>1k</b>		
(fill up details separately for each property)								
<b>2</b>		Pass through income/ Loss if any *				<b>2</b>		
<b>3</b>		Income under the head "Income from house property" (1k + 2) (if negative, take the figure to 2i of schedule CYLA)				<b>3</b>		
<b>NOTE</b>		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-L.						

Schedule BP		Computation of income from business or profession					
<b>INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION</b>	<b>A</b>	From business or profession other than speculative business and specified business					
	<b>1</b>	Profit before tax as per profit and loss account (item 54, 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) & 66(iv) of Part A-P&L)				<b>1</b>	
	<b>2a</b>	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss) [Sl. No. 66iv of Schedule P&L]		<b>2a</b>			
	<b>2b</b>	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss)		<b>2b</b>			
	<b>3</b>	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH		<b>a</b> House property		<b>3a</b>	
				<b>b</b> Capital gains		<b>3b</b>	
				<b>c</b> Other sources		<b>3c</b>	
				<b>ci</b> Dividend income		<b>3ci</b>	
				<b>cii</b> Other than dividend income		<b>3cii</b>	
			<b>d</b> u/s 115BBF		<b>3d</b>		
		<b>e</b> u/s 115BBG		<b>3e</b>			

				f	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3f	(Item No. A of Schedule VDA)		
		4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44DA/ First schedule of Income-tax Act (other than profit from life insurance business referred to in section 115B) (Dropdown to be provided)					4a	
		4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B					4b	
		4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)					4c	
		5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt						
		a	Share of income from firm(s)	5a					
		b	Share of income from AOP/BOI	5b					
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)						
		i		Ci					
		ii		Cii					
		iii	Total (ci + cii)		5ciii				
		d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)			5d			
		6	Balance (1-2a-2b-3a-3b-3c-3d-3e-3f-4a-4b-4c-5d)					6	
		7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG or u/s 115BBH	a	House property	7a			
				b	Capital gains	7b			
				c	Other sources	7c			
				d	u/s 115BBF	7d			
				e	u/s 115BBG	7e			
				f	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition)	7f			
		8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a			
		8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b			
		9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a + 8b)			9			
		10	Adjusted profit or loss (6+9)					10	
		11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account					11	
		12	Depreciation allowable under Income-tax Act						
		i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (column 6 of Schedule-DEP)		12i				
		ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Act)		12ii				
		iii	Total (12i + 12ii)			12iii			
		13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10+11-12iii)					13	
		14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6t of Part A-OI)			14			
		15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)			15			
		16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)			16			
		17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9g of Part A-OI)			17			
		18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of Part A-OI)			18			
		19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			19			
		20	Deemed income under section 41			20			

	21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA	21		
	22	Deemed income under section 43CA	22		
	23	Any other item of addition under section 28 to 44DB	23		
	24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)	24		
	25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)	25		
	26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)	26		
	27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
	28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	28		
	29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)	29		
	30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of Part A-OI)	30		
	31	Any other amount allowable as deduction	31		
	32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	32		
	33	Total (27+28+29+30+31+32)	33		
	34	Income (13+26-33)	34		
	35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
		i	Section 44AD [62(ii) of schedule]	35i	
		ii	Section 44ADA [63(ii) of schedule]	35ii	
		iii	Section 44AE [64(iv) of schedule]	35iii	
		iv	Section 44B	35iv	
		v	Section 44BB	35v	
	vi	Section 44BBA	35vi		
	vii	Section 44DA	35 vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	First Schedule of Income-tax Act (other than	35viii		
	ix	Total (35i to 35viii)	35 ix		
36	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business				36
37	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c				A37
	a	Income chargeable under Rule 7	37a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	37b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	37c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	37d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	37e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & Rule 8 (Item No. 36)	37f		
38	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(37a+37b+37c+37d+37e)]				38
<b>B Computation of income from speculative business</b>					
39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account				39
40	Additions in accordance with section 28 to 44DB				40



	41	Deductions in accordance with section 28 to 44DB	41		
	42	Income from speculative business (if loss, take the figure to 6xvii of schedule CFL)	B42		
<b>C</b>	<b>Computation of income from specified business under section 35AD</b>				
	43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	43		
	44	Additions in accordance with section 28 to 44DB	44		
	45	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section, - (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	45		
	46	Profit or loss from specified business (43+44-45)	46		
	47	Deductions in accordance with section 35AD(1)	47		
	48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xvii of schedule CFL)	C48		
	49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C49		
<b>D</b>	<b>Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48)</b>			<b>D</b>	
<b>E</b>	<b>Intra-head set off of business loss of current year</b>				
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or (1))	Business loss set off (2)	Business income remaining after set off (3) = (1) - (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is)		(A37)	
	ii	Income from speculative business	(B42)		
	iii	Income from specified business	(C48)		
	iv	Income from life insurance business under section	(4b)		
	v	Total loss set off (ii + iii + iv)			
	v	Loss remaining after set off (i - v)			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3a	Written down value on the first day of previous year				
	3b	Adjustment as per second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (Refer to rule 5)				
	3	Total (3a + 3b)				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3+4 - 5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate					
12	Additional depreciation, if any, on 4					
13	Additional depreciation, if any, on 7					

14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days					
15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)					
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)					
17	Net aggregate depreciation (15-16)					
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)					
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets					
20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3-4 -7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)					
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)					

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3+ 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation* (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
	16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
	17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)								

		under any other section)	
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	<b>1</b>	<b>Plant and machinery</b>	
		<b>a</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 15 per cent</b> (Schedule DPM – 17i or 18i as applicable)
		<b>b</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 30 per cent</b> (Schedule DPM – 17ii or 18ii as applicable)
		<b>c</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 40 per cent</b> (Schedule DPM – 17iii or 18iii as applicable)
		<b>d</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 45 per cent</b> (Schedule DPM – 17iv or 18iv as applicable)
		<b>e</b>	<b>Total depreciation on plant and machinery ( 1a + 1b + 1c + 1d)</b>
	<b>2</b>	<b>Building (not including land)</b>	
		<b>a</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 5 per cent</b> (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)
		<b>b</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 10 per cent</b> (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)
		<b>c</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 40 per cent</b> (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)
		<b>d</b>	<b>Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)</b>
	<b>3</b>	<b>Furniture and fittings</b> (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)	
	<b>4</b>	<b>Intangible assets</b> (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)	
<b>5</b>	<b>Ships</b> (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)		
<b>6</b>	<b>Total depreciation ( 1e+2d+3+4+5)</b>		

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets	
	<b>1</b>	<b>Plant and machinery</b>	
		<b>a</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 15 per cent</b> (Schedule DPM – 20i)
		<b>b</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 30 per cent</b> (Schedule DPM – 20ii)
		<b>c</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 40 per cent</b> (Schedule DPM – 20iii)
		<b>d</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 45 per cent</b> (Schedule DPM – 20iv)
		<b>e</b>	<b>Total ( 1a + 1b + 1c + 1d)</b>
	<b>2</b>	<b>Building (not including land)</b>	
		<b>a</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 5 per cent</b> (Schedule DOA- 17ii)
		<b>b</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 10 per cent</b> (Schedule DOA- 17iii)
		<b>c</b>	<b>Block entitled for depreciation @ 40 per cent</b> (Schedule DOA- 17iv)
		<b>d</b>	<b>Total ( 2a + 2b + 2c)</b>
	<b>3</b>	<b>Furniture and fittings</b> (Schedule DOA- 17v)	
	<b>4</b>	<b>Intangible assets</b> (Schedule DOA- 17vi)	
<b>5</b>	<b>Ships</b> (Schedule DOA- 17vii)		
<b>6</b>	<b>Total ( 1e+2d+3+4+5)</b>		

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)		
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) – (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			

iii	35(1)(ia)		
iv	35(1)(iii)		
v	35(1)(iv)		
vi	35(2AA)		
vii	35(2AB)		
viii	35CCC		
ix	35CCD		
x	Total		
<b>NOTE</b>	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.		

Schedule CG Capital Gains												
CAPITAL GAINS	<b>A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 &amp; 5 are not applicable for residents)</b>											
	Short-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)									
				Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer	DD/MM/YYYY					
			a	i	Full value of consideration received/receivable			ai				
				ii	Value of property as per stamp valuation authority			aii				
				iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]			aiii				
			b	Deductions under section 48								
				i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with Rule 8AB			bi				
				ii	Cost of acquisition without indexation			bii				
				iii	Cost of Improvement without indexation			biii				
				iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biv				
				v	Total (bi + bii + biii+biv)			Bv				
			c	Balance (aiii – bv)					1c			
			d	Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)					1d			
			e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)							A1d	
			f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
				S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code	State	
			<b>NOTE ▶</b>		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
		2	From slump sale									
		A	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai					
			ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii					
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aii					
		B	Net worth of the under taking or division				2b					

C		Short term capital gains from slump sale (2Aii-2B)		A2c
3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)			
	a	Full value of consideration	3a	
	b	Deductions under section 48		
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi
		ii	Cost of acquisition without indexation	Bii
		iii	Cost of Improvement without indexation	Biii
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv
		v	Total (i + ii + iii+iv)	bv
	c	Balance (3a – bv)	3c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	3d	
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)		A3e
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)			
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid		A4a
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid		A4b
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD			
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii
		iii	Total (ic + ii)	aiii
	b	Deductions under section 48		
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi
		ii	Cost of acquisition without indexation	Bii
		iii	Cost of improvement without indexation	Biii
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Biv
		v	Total (i + ii + iii+iv)	Bv
	c	Balance (5aiii – bv)		5c
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		A5e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above			
	A	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	

			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii		Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii			
		iii		Total (ic + ii)	aiii			
	<b>B</b>	<b>Deductions under section 48</b>						
		i		Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi			
		ii		Cost of acquisition without indexation	Bii			
		iii		Cost of Improvement without indexation	Biii			
		iv		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv			
		v		Total (i + ii + iii+iv)	bv			
	<b>C</b>	Balance (6aiii – bv)				6c		
	<b>D</b>	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				6d		
	<b>E</b>	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)				6e		
	<b>f</b>	Deduction under section 54G/54GA				6f		
	<b>g</b>	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)					A6g	
<b>7</b>	Amount deemed to be short term capital gains							
<b>a</b>	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below							
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)		
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account			
	i	2020-21	54G/54GA					
	ii	2021-22	54G/54GA					
	iii	2022-23	54G/54GA					
<b>b</b>	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54G/54GA, other than at 'a'							
<b>c</b>	Amount deemed to be short term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act							Sl. NO. 4b of form 5c
	Amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii +Xiii + b +c)							A7
<b>8</b>	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a+A8b + A8c)							A8
	<b>a</b>	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%			A8a			
	<b>b</b>	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%			A8b			

	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates								A8c		
	9	Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
		Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
	a	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA										A9a
	b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA										A9b
	10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a )										A10
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7 & 8 are not applicable for residents)										
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)										
		Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY			Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY			
	a	i	Full value of consideration received/receivable						ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority						aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii			
	b	Deductions under section 48										
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules						bi			
		ii	Cost of acquisition						bii			
		iiia	Cost of acquisition with indexation						biia			
		iiib	Total cost of improvement with indexation						biib			
			(a) Cost of Improvement									
			(b) Year of Improvement									
			(c) Cost of Improvement with Indexation									
			Add Row									
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biii			
		iv	Total (bi+bi+bii +biii )						biv			
	c	Balance (aiii – biv)						1c				
	d	Deduction under section 54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)						1d				
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)										B1e
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)										

	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code	State
	<b>NOTE►</b>		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.					
<b>2</b>	<b>From slump sale</b>							
<b>a</b>	<b>i</b>	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			<b>2ai</b>			
	<b>ii</b>	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			<b>2aii</b>			
	<b>iii</b>	Full value of consideration (higher of ai or aii)			<b>2aiii</b>			
	<b>b</b>	Net worth of the under taking or division			<b>2b</b>			
	<b>c</b>	Balance (2aiii – 2b)			<b>2c</b>			
	<b>d</b>	Deduction u/s 54EC			<b>2d</b>			
	<b>e</b>	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)						<b>B2e</b>
<b>3</b>	<b>From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)</b>							
<b>a</b>	Full value of consideration			<b>3a</b>				
	Deductions under section 48							
	<b>i</b>	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			<b>bi</b>			
	<b>ii</b>	Cost of acquisition without indexation			<b>bii</b>			
	<b>iii</b>	Cost of improvement without indexation			<b>biii</b>			
	<b>iv</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			<b>Biv</b>			
	<b>v</b>	Total (bi + bii +biii+biv)			<b>bv</b>			
<b>c</b>	LTCG on bonds or debenture – (3a-bv)						<b>B3c</b>	
<b>4</b>	<b>From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable</b>							
<b>a</b>	Full value of consideration			<b>4a</b>				
	Deductions under section 48							
	<b>i</b>	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			<b>bi</b>			
	<b>ii</b>	Cost of acquisition without indexation			<b>bii</b>			
	<b>iii</b>	Cost of improvement without indexation			<b>biii</b>			
	<b>iv</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			<b>Biiiv</b>			
	<b>v</b>	Total (bi + bii +biii+biv)			<b>bv</b>			
<b>c</b>	Long Term Capital Gains on assets at B4 (4a – bv)						<b>4c</b>	
<b>5</b>	<b>From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A</b>							
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5(Column 14 of schedule 112A)						<b>B5</b>	
<b>6</b>	<b>For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)</b>							
	LTCG computed without indexation benefit						<b>B6</b>	
<b>7</b>	<b>For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)©, (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD</b>							



		a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia				
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib				
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic				
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		a ii				
			iii	Total (ic + ii)		a iii				
		b	Deductions under section 48							
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules		bi				
			ii	Cost of acquisition without indexation		bii				
			iii	Cost of improvement without indexation		biii				
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		b i iv				
			v	Total (bi + bii +biii+biv)		bv				
		c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (a iii-bv)					B7c		
	8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A								
		Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)							B8	
	9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable								
		a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia				
				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib				
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic				
			ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		a ii				
			iii	Total (ic + ii)		a iii				
		b	Deductions under section 48							
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules		bi				
			ii	Cost of acquisition with indexation		bii				
			iii	Cost of improvement with indexation		biii				
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		b i iv				
			v	Total (bi + bii +biii+biv)		bv				
		c	Balance (a iii - bv)			9c				
		d	Deduction under section 54D/54G/54GA (Specify details in item D below)			9d				
		e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c-9d)					B9d		
	10	Amount deemed to be long-term capital gains								
		a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below							
		S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized				

						Previous year in which asset acquired/constructed		Amount utilised out of Capital Gains account		in Capital gains account (X)				
		i	2020-21	54D/54G/54GA										
		ii	2021-22	54D/54G/54GA/54GB										
		iii	2022-23	54D/54G/54GA										
		b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'											
		c	Amount deemed to be long term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act									10c	Sl. NO. 4b of form 5c	
			Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b+c)									B10		
		11	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b)									B11		
		a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A					B11a1						
		a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A					B11a2						
		b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%					B11b						
		12	Amount of LTCG included in items B1 to B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
			Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			I											
			II											
		a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA									B12a		
		b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA									B12b		
		13	Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-12a]									B13		
		C1	Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)									C1		
		C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)									C2		
		C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)									C3		
		D	Information about deduction claimed against Capital Gains											
		1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details											
		a	Deduction claimed u/s 54D											
		i	Date of acquisition of original asset					ai	dd/mm/yyyy					
		ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking					aii						
		iii	Date of purchase of new land or building					aiii	dd/mm/yyyy					
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv						



i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		(A3e* + A4a* + A8a*)	(A5e* + A8b*)	(A1e* + A2c* + A4b* + A6g* + A7* + A8c*)	A9b	(B4c* + B5* + B7c* + B8* + B9e* + B11a1* + B11a2*)	(B1e* + B2e* + B3c* + B6* + B9e* + B10* + B11b*)	B12b	
ii	15%	(A3e* + A4a* + A8a*)								
iii	Short term capital gain applicable rate	30%	(A5e* + A8b*)							
iv	DTAA rates		(A1e* + A2c* + A4b* + A6g* + A7* + A8c*)							
v	DTAA rates		A9b							
vi	Long term capital gain applicable rate	10%	(B4c* + B5* + B7c* + B8* + B9e* + B11a1* + B11a2*)							
vii	DTAA rates	20%	(B1e* + B2e* + B3c* + B6* + B9e* + B10* + B11b*)							
viii	DTAA rates		B12b							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i-ix)									

The figures of STCG in this table (A1e\* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e\* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

**F Information about accrual/receipt of capital gain**

	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i>					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long-term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>					
6	Long-term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>					
7	Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xii of schedule BFLA, if any.</i>					
8	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 17B of schedule SI, if any</i>					



115AD(1)(b)(iii) proviso		For NON-RESIDENTS – From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A													
Sl. No.	Share/unit acquired	ISIN Code	Name of the Share/ Unit	No. of Shares/ Units	Sale-price per Share/ Unit	Full Value of Consideration -if shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are acquired after 31.01.2018- Please enter full of consideration	Cost of acquisition without indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31 <sup>st</sup> January,2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) Item 8 of LTCG Schedule of ITR5	
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)	
1															
2															
3															
4															
Add Rows															
<b>Total</b>															

Schedule VDA		Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (entire in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
<b>A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col.7)</b>						<b>(Item No.3f of Schedule BP)</b>
<b>B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)</b>						<b>(Item No. C 2 of Schedule CG)</b>

Schedule OS		Income from other sources			
OTHER SOURCES	<b>1</b>	<b>Gross Income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)</b>			<b>1</b>
	<b>a</b>	<b>Dividends, Gross (ai + aii)</b>		<b>1a</b>	
		<b>i</b>	<b>Dividend income other than (ii)</b>	<b>ai</b>	
		<b>ii</b>	<b>Dividend income u/s 2(22)(e)</b>	<b>aii</b>	
	<b>b</b>	<b>Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)</b>		<b>1b</b>	
		<b>i</b>	<b>From Savings Bank</b>	<b>bi</b>	
		<b>ii</b>	<b>From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)</b>	<b>bii</b>	
		<b>iii</b>	<b>From Income-tax Refund</b>	<b>biii</b>	
		<b>iv</b>	<b>In the nature of Pass through income/ loss</b>	<b>biv</b>	
		<b>v</b>	<b>Others</b>	<b>bv</b>	
	<b>c</b>	<b>Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross</b>		<b>1c</b>	
	<b>d</b>	<b>Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)</b>		<b>1d</b>	
		<b>i</b>	<b>Aggregate value of sum of money received without consideration</b>	<b>di</b>	
		<b>ii</b>	<b>In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property</b>	<b>dii</b>	
		<b>iii</b>	<b>In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration</b>	<b>diii</b>	
		<b>iv</b>	<b>In case any other property is received without consideration, fair market value of property</b>	<b>div</b>	
		<b>v</b>	<b>In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration</b>	<b>dv</b>	
	<b>e</b>	<b>Any other income (please specify nature)</b>		<b>1e</b>	
	<b>Sl. No.</b>	<b>Nature</b>			<b>Amount</b>
	<b>1</b>	<b>Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year as referred to in section 56(2)(xii)</b>			
		<b>Rows can be added as required</b>			
	<b>2</b>	<b>Income chargeable at special rates (2ai + 2aai + 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl. no. 1)</b>			<b>2</b>
		<b>ai</b>	<b>Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB</b>	<b>2a</b>	
		<b>aai</b>	<b>Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ</b>	<b>2ab</b>	
	<b>b</b>	<b>Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)</b>	<b>2b</b>		
	<b>i</b>	<b>Cash credits u/s 68</b>	<b>bi</b>		
	<b>ii</b>	<b>Unexplained investments u/s 69</b>	<b>bii</b>		
	<b>iii</b>	<b>Unexplained money etc. u/s 69A</b>	<b>biii</b>		
	<b>iv</b>	<b>Undisclosed investments etc. u/s 69B</b>	<b>biv</b>		
	<b>v</b>	<b>Unexplained expenditure etc. u/s 69C</b>	<b>bv</b>		
	<b>vi</b>	<b>Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D</b>	<b>bvi</b>		
	<b>c</b>	<b>Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxvii)</b>	<b>2c</b>		
	<b>i</b>	<b>Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)</b>	<b>ci</b>		

		ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	cia			
		ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii			
		iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii			
		iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ			
		v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	cv			
		vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi			
		vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvii			
		viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cviii			
		ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B)	cix			
		x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx			
		xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cxii			
		xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxiii			
		xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	cxiv			
		xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	cxv			
		xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	cxvi			
		xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	cxvii			
		xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BGG	cxviii			
		xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	cxix			
		xix	115AB(1)(a) - Income in respect of units - off-shore fund	cxx			
		xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxxi			
		xxi	Income being dividend received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxxii			
		xxii	Income (other than dividend) received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)				
		d	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)			2d	
		e	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)			2e	



	Sl. No.	Amount of income	Item No. 1a, 1b to 1d to No. 2a to 2d in which included	Country name & code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]										
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											I									
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c, 2d & 2e)																			
	A	Expenses / Deductions other than "C"						3a												
	B	Depreciation (available only if income offered in 1c)						3b												
	C	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a)						3c												
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(i) – computed value						3ci												
	d	Total						3d												
4	Amounts not deductible u/s 58									4										
5	Profits chargeable to tax u/s 59									5										
6	Net Income from other sources 1 (after reducing income related to DTAA portion)-3+4+5 (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)									6										
7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)									7										
8	Income from the activity of owning race horses																			
	a	Receipts						8a												
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only						8b												
	c	Amounts not deductible u/s 58						8c												
	d	Profits chargeable to tax u/s 59						8d												
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10 xvii of Schedule CFL)								8e										
9	Income under the head "Income from other sources" (7+ 8e) (take 8e as nil if negative)									9										
10 Information about accrual/receipt of income from Other Sources																				
	S.No.	Other Source Income			Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3											
					(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)											
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)																		
	2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ																		
	3	Dividend Income referred in Sl. No 1a(i)																		
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)																		
	5	Dividend income under proviso to sec 115A(1)(a)(A) @10% (Including PTI Income)																		
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)																		

	7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PII Income)						
	8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PII Income)						
	9	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of current year losses					
Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4	
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative) →		(3 of Schedule – HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)		
ii	House property	(3 of Schedule HP)					
iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(A37 of Schedule BP)					
iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)					
v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)					
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)					
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of Schedule CG)					
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of Schedule CG)					
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of Schedule CG)					
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of Schedule CG)					
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of Schedule CG)					
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of Schedule CG)					
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of Schedule CG)					
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)					
xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)					
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)					
xvii	Total loss set off						
xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)						

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years				
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
ii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB)	Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB)		
iii	Income from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of Schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of Schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off					
xvii	Current year's income remaining after set off		Total of (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)			

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT





Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD or 115BAC(1A)	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	3(a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
v	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit			
Sl. No.	ICDS	Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	Accounting Policies				
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
III	Construction Contracts				
IV	Revenue Recognition				
V	Tangible Fixed Assets				
VI	Changes in Foreign Exchange Rates				
VII	Government Grants				
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
IX	Borrowing Costs				
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets				
XI	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)				

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA			
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
c	Total deduction under section 10AA (a + b)				c

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G				
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
	i					
	ii					
iii	Total					

B		Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit				
Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
i						
ii						
iii	Total					
C		Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit				
Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
i						
ii						
iii	Total					
D		Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit				
Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
i						
ii						
iii	Total					
E		Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)				

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
Total donation							

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties					
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution			
i							
(add rows)							
Total contribution							

Schedule 80IAC		Deduction in respect of eligible start-up [to be filled only if answer to A19(g) is 'Yes']			
Sl. No.	Date of incorporation of Startup	Nature of business	Certificate number as obtained from Inter Ministerial Board of Certification	First AY in which deduction was claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Schedule 80LA		Deduction in respect of offshore banking unit or IFSC					
Sub-section in which deduction is claimed							
Sl. No.	Type of entity	Type of income of the unit	Authority granting registration	Date of registration	Registration number	First AY during which deduction is claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(add row option to be provided)							
Total							

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					

Schedule 80-IA		Deductions under section 80-IA			
a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2)				c

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB			
a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and	e1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	



	transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	e2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
f	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to e2)				f

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE					
DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim			a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh			b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal			c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East					
		da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dg2			Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			Dh		
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)				E		

Schedule 80P		Deductions under section 80P		
		Nature of Business Code	Income	Amount eligible for deduction
1	Sec.80P(2)(a)(i) Banking/Credit Facilities to its members			
2	Sec.80P(2)(a)(ii) Cottage Industry			
3	Sec.80P(2)(a)(iii) Marketing of Agricultural produce grown by its members			
4	Sec.80P(2)(a)(iv) Purchase of Agricultural Implements, seeds, live-stocks or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying to its members.			
5	Sec.80P(2)(a)(v) Processing, without the aid of power, of the agricultural Produce of its members.			
6	Sec.80P(2)(a)(vi) Collective disposal of Labour of its members			

7	Sec.80P(2)(a)(vii) Fishing or allied activities for the purpose of supplying to its members.			
8	Sec.80P(2)(b) Primary cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to Federal cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables/Government or local authority/Government Company / corporation established by or under a Central, State or Provincial Act			
9	Sec.80P(2)(c)(i) Consumer Cooperative Society Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
10	Sec.80P(2)(c)(ii) Other Cooperative Society engaged in activities Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
11	Sec.80P(2)(d) Interest/Dividend from Investment in other co-operative society			
12	Sec.80P(2)(e) Income from Letting of godowns/ warehouses for storage, processing / facilitating the marketing of commodities			
13	Sec.80P(2)(f) Others			
14	Total			

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments					
		a	80G		b	80GGA	
		c	80GGC				
		Total Deduction under Part B (a + b + c)				1	
	2	Part C - Deduction in respect of certain incomes					
		d	80-IA	(c of Schedule 80-IA)	e	80-IAB	
		f	80-IAC	(6 of Schedule 80-IAC)	g	80-IB	(f of Schedule 80-IB)
		h	80-IBA		i	80-IC/80-IE	(e of Schedule 80-IC/80-IE)
		j	80JJA		k	80JJAA	[Sl.no. 51(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]
		l	80LA(1)	(8 of Schedule 80-LA)	m	80LA(1A)	(8 of Schedule 80-LA)
		n	80P				
		Total Deduction under Part C (total of d to n)				2	
	3	Total deductions under Chapter VI-A (1+2)				3	

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC			
1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI			1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
	a	Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a		
	b	Deduction Claimed u/s 10AA	2b		
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed			
	d	Total Adjustment (2a+2b+2c)	2d		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1)(1+2d)			3	
a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any				
b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)				
4	Tax payable under section 115JC(1) [(9% of (3a)+18.5% or 15% of (3b) as applicable)] (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakh)			4	

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD		
1	Tax under section 115JC in assessment year 2024-25 (1d of Part-B-TII)		1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2024-25 (2g of Part-B-TII)		2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]		3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)			

S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
i	2011-12					
ii	2012-13					
iii	2013-14					
iv	2014-15					
v	2015-16					
vi	2016-17					
vii	2017-18					
viii	2018-19					
ix	2019-20					
x	2020-21					
xi	2021-22					
xii	2022-23					
xiii	2023-24					
xiv	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)					
xv	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

## Schedule SI

SPECIAL RATE	S1 No	Section/Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
		1	111A or section 115AD(1)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)	
	9	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(5x of Schedule BFLA)	
	10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
	11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of Schedule BFLA)	

12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.50	(5iii of Schedule BFLA)
13a	115AC (Income by way of interest received by a non-resident from bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cx of Schedule OS)
13b	115AC (Income by way of dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cxiof Schedule OS)
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2ai of Schedule OS)
15	115BBJ (Winnings from online games)	<input type="checkbox"/>	30	(2aiof Schedule OS)
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)
17	115BBF (Income from patent)			
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3d of Schedule BP)
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxv of Schedule OS)
18	115BBG (Income from transfer of carbon credits)			
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(7e of Schedule BP)
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxvi of Schedule OS)
19	115BBH-Tax on Income from Virtual Digital asset			
	a. Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	3f of Schedule BP
	b. Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)
20	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cviii of Schedule OS)
21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2e of Schedule OS)
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15% u	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of Schedule BFLA)
23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of Schedule BFLA)
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% - u/s other than 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5ix of Schedule BFLA)
26	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)
27	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)
28	Any other income chargeable at special rates (Please choose from dropdown menu)	<input type="checkbox"/>		(part of 2c of Schedule OS)
			<b>Total</b>	

Schedule IF		Information regarding partnership firms in which you are partner						
FIRMS IN WHICH PARTNER		Number of firms in which you are partner						
Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit i	Capital balance on 31 <sup>st</sup> March in the firm ii	
1								
2								
3								
4	Total							

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)			
EXEMPT INCOMES					
1	Interest income				1
2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)		i	
	ii	Expenditure incurred on agriculture		ii	
	iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years		iii	
	iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl.No. 38 of Sch. BP)		iv	
	v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)		2	

	vi	<b>In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)</b>						
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
	b	Measurement of agricultural land in Acre						
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
3	<b>Other exempt income (please specify) (3a+3b)</b>						3	
	a	Income u/s 10(23FB) or 10(23FBA) or 10 (23FC) or 10(23FCA) or 10(23FE) or 10(23FF) or 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed ) Add row option and drop down to be provided in utility for each section separately				3a		
	b	Any other Income (Specify nature) – Add row option with free text to enter the nature of income to be provided in utility				3b		
4	<b>Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA</b>							
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)	
	I							
	II							
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax					4	
5	<b>Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)</b>						5	
6	<b>Total (1+2+3+4+5)</b>						6	

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB								
Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PASS THROUGH INCOME	1.			i	House property					
				ii	Capital Gains					
				a	Short term					
				ai	Section 111A					
				aii	Others					
				b	Long term					
				bi	Section 112A					
				bii	Sections other than 112A					
				iii	Other Sources					
				a	Dividend					
				b	Others					
				iv	Income claimed to be exempt					
	a	u/s 10(23FBB)								
	b	u/s .....								
	c	u/s .....								
	2.				i	House property				
					ii	Capital Gains				
					a	Short term				
					ai	Section 111A				
					aii	Others				
					b	Long term				
					bi	Section 112A				
					bii	Sections other than 112A				
					iii	Other Sources				
a					Dividend					
b					Others					
iv					Income claimed to be exempt					
a	u/s 10(23FBB)									
b	u/s .....									
c	u/s .....									
<b>NOTE</b> Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule- TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
	7	BSR Code						
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule 115TD		Accreted income under section 115TD			
1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person	1			
2	Less: Total liability of specified person	2			
3	Net value of assets (1 – 2)	3			
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i			
	(ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration u/s 12AB, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said period	4ii			
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii			
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)-	4iv			
5	Liability in respect of assets at 4 above	5			
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]	6			
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate	7			
8	Interest payable u/s 115IE	8			
9	Specified date u/s 115TD	9			
10	Additional income-tax and interest payable	10			
11	Tax and interest paid	11			
12	Net payable (10 - 11) (Enter 0 if negative)	12			
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY	
14	Name of Bank and Branch				
15	BSR Code				
16	Serial number of challan				
17	Amount deposited				

Schedule FSI			De tails of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)						
Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e) = (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
2			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
<b>NOTE</b> ▶			Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule TR		Details Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
		a Amount of tax refunded		b Assessment year in which tax relief allowed in India		Yes/No
<b>NOTE</b> ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India											
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2023											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2023											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending on 31st December, 2023											
	Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period





<b>(ii)</b>												
<b>F</b> Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustee s	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiari es	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>G</b> Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, - (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

**NOTE ▶** Please refer to instructions for filling out this schedule.

<b>Schedule GST</b> INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST			
S OF	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

**NOTE ▶** Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

**PART-B**

<b>Part B - II</b>		<b>Computation of total income</b>			
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>1</b>	<b>Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss)</b>			
	<b>2</b>	<b>Profits and gains from business or profession</b>			
		<b>i</b>	<b>Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule BP) (enter nil if loss)</b>	<b>2i</b>	
		<b>ii</b>	<b>Profits and gains from speculative business (3(ii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)</b>	<b>2ii</b>	
		<b>iii</b>	<b>Profits and gains from specified business (3(iii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)</b>	<b>2iii</b>	
		<b>iv</b>	<b>Income chargeable to tax at special rate (3d, 3e, 3f and 4b of Schedule BP)</b>	<b>2iv</b>	
		<b>v</b>	<b>Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)</b>	<b>2v</b>	
		<b>3</b>	<b>Capital gains</b>		
		<b>a</b>	<b>Short term</b>		
			<b>i</b>	<b>Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)</b>	<b>ai</b>
			<b>ii</b>	<b>Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)</b>	<b>aii</b>
			<b>iii</b>	<b>Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)</b>	<b>aiii</b>
			<b>iv</b>	<b>Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)</b>	<b>aiv</b>
			<b>v</b>	<b>Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)</b>	<b>av</b>
		<b>b</b>	<b>Long-term</b>		
		<b>i</b>	<b>Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of Schedule CG)</b>	<b>bi</b>	

	ii	Long-term chargeable @20% (9vii of item E of Schedule CG)	bii	
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
	iv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	biv	
	c	Sum of Short-term / Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	3c	
	d	Capital gain chargeable @30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	3d	
	e	Total capital gains (3c + 3d)	3e	
4	Income from other sources			
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b	
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
	d	Total (4a + 4b + 4c)	4d	
5	Total of headwise income (1 + 2v + 3e + 4d)			5
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)			6
7	Balance after set off of current year losses (5 - 6) (total of serial no (ii), (iii), (iv) to (xv) of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)			7
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)			8
9	Gross Total income (7 - 8) (also total of serial no (i), (ii), (iv) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 4b + 2iii)			9
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9			10
11	Deductions under Chapter VI-A			
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (i+ii+iii+iv+v+viii+xiii+xiv) of column 5 of BFLA]	11a	
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]	11b	
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]	11c	
12	Deduction u/s 10AA (Total of Sch. 10AA)			12
13	Total income (9 - 11c - 12)			13
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)			14
15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)			15
16	Aggregate income (13 - 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]			16
17	Losses of current year to be carried forward (total of xix of Schedule CFL)			17
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)			18

Part B - TII		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	A	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a	
		B	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b	
		C	Health and Education Cess @ 4% on 1a+1b above		1c	
		D	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d	
	2	Tax payable on total income				
		A	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI	2a		
		B	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b		
		C	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c		
		D	Tax Payable on total income (2a+2b-2c)		2d	
		E	Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
		i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2ei 2g(ii)	ia	

	ii	10% or 15 %, as applicable (Refer instructions)	2eii					
	iii	On [(2d) - [(12(ii) of Schedule SI - tax on Income referred in 2e(ii) )]	2eiii		ii a			
	iv	Total (ia+ii a)				2eiv		
	F	Health and Education Cess @ 4% on 2d+2eiv				2f		
	g	Gross tax liability (2d + 2eiv + 2f)				2g		
3		Gross tax payable (higher of 1d or 2g)				3		
4		Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4		
5		Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)				5		
6		Tax relief						
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	6a					
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b					
	c	Total (6a + 6b)				6c		
7		Net tax liability (5 - 6c) (enter zero, if negative)				7		
8		Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a					
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b					
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c					
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d					
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)				8e		
9		Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid						
		a Advance Tax (from column 5 of 115A)	10a					
		b TDS (total of column 9 of 15B)	10b					
		c TCS (total of column 7 of 15C)	10c					
		d Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	10d					
		e Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)					10e	
	11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11		
	12	Refund (If 10e is greater than 9)				12		
	13	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)				13		
	14	Tax payable u/s 115TD after adjustment of refund at Sl. No. 12 (13-12)				14		
	15	Net refund after adjustment as per Sl. No. 14 (12-13) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)				15		
BANK ACCOUNT	16	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)					Select Yes or No	
		a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)						
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)		
		I						
		II						
		Note: 1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c 2) In case of multiple accounts, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.						
		Rows can be added as required						
		b) Non - residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:						
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN		
	Rows can be added as required							
	17	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		

18 TAX PAYMENTS															
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax															
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan			Amount (Rs)		
	(1)	(2)				(3)				(4)			(5)		
	i														
	ii														
	iii														
<b>NOTE</b> ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI															

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D/16E furnished by Deductor(s)]														
Sl No	TDS credit relating to self/other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2023-24)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward	
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	
							Income	TDS		Income	TDS	PAN/Aadhaar No.		
<b>I</b>														
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B-TTI														

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]												
TCS ON INCOME	Sl No	TCS credit relating to self/other person [other person as per rule 37I(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (Tax collected during FY 2023-24)		TCS credit being claimed this Year			TCS credit being carried forward
					Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)		
					(4)	(5)	(6)(i)	(6)(ii)		(7)(i)	7(ii)	
	i									TCS	PAN/Aadhaar No.	
	ii											
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI												

## VERIFICATION

<p>I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.</p> <p>I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (<i>drop down to be provided</i>) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (<i>Please see instruction</i>)</p> <p>I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)</p>				
<b>Date</b>		<b>Place</b>		<b>Sign here → ”.</b>

[Notification No. 19/2024/ F. No. 370142/47/2023-TPL]  
 SURBENDU THAKUR, Under Secy. Tax Policy and Legislation

**Note:-** The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 64(E), dated the 24<sup>th</sup> January 2024.